शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें, सब बढ़ें

वार्षिक वृत्तांत - 2014-15

ACCESS

EQUITY

QUALITY

PARTNERSHIP

Education for Empowerment

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद

सर्व शिक्षा अभियान

सेक्टर-17, गांधीनगर, गुजरात

Toll Free No. 1800-233-7965 | www.ssagujarat.org

प्रस्तावना

सभी के लिए समान अवसर के प्रावधान के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की भूमिका, का स्वीकार गणतंत्र की स्थापना के बाद किया गया है।

वर्तमान में, SSA के सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UEE) को भारत के मुख्य कार्यक्रम के रुप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका समग्र लक्ष्य सार्वभौमिक तक पहुँचना और प्रतिधारण शिक्षामें लिंग और सामाजिक वर्ग भेद की दूरी को दूर करके बच्चों में सीखने के स्तर में वृद्धि करना हे। SSA नई स्कूल खोलने के लिए, स्कूल की इमारत बनाने के लिए, नये वर्ग खंड बनाने के लिए लडके, और लड़कियों के लिए शौचालय बनाने के लिए तथा समयांतर शिक्षक प्रशिक्षण एवं सीखने की उपलब्धि के लिए शैक्षिक संसाधन सहायता यह सब सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कानूनी तौर पर अनिवार्य मानदंडो और मानको तथा मुक्त हको के साथ इन प्रावधान का गठबंधन आवश्यक है।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के देश के कार्यक्रम का प्रमुख कार्यक्रम है। गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राज्य में SSA और KGBV योजना और अन्य योजनाएँ कार्यान्वित करने में महत्वपूर्व भूमिका प्रदान कर रही है। राज्य में शिक्षा के महत्व की जागृति लोकसमूह तक पहुँचाने में, वर्ष दौरान नयी स्कूल खोलने की संख्या में बढावा, और बच्चों को प्रवेश संख्या में प्रगति हुई है। यह बहुत ही आनंददायक बात है कि बच्चोंकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की संख्या में लगातार बढ़ावा हो रहा है। वर्ष 2003-04 में प्रवेश संख्या कक्षा 1-5 में 51,44,278 से साल 2013-14 में 59,36,510 की बढौती हुई है। वर्ष 2003-04 में प्रवेश संख्या कक्षा 1-8 में 66,01,031 से साल 2013-14 में 92,29,028 की बढौती हुई है।

प्रारंभिक शिक्षा में SSA के असरकारक कार्य सें बच्चों को स्कूल छोडकर जाने के दर में कक्षा 1 से 7 में 2004-05 में 18.79 से 2013-14 में 6.91 तक की कमी हुई है। इसी तरह कक्षा 1 से 5 में 2004-05 में 10.16 से 2013-14 में 2.0 तक की कमी हुई है। बच्चों को केन्द्र में रखे तो बच्चें खुश रहे और शिक्षा / सिखाई प्राप्त करे उस के लिए नई पाठ्य पुस्तके, अभ्यासक्रम में अभिप्राय और बदलाव, नये तरीको के लिए शिक्षको को प्रशिक्षण जैसे ठोस कदम उठाये गये है। सर्व शिक्षा अभियान यह बात पर ध्यान केन्द्रित करता है की शिक्षक, शिक्षण में निर्णायक भुमिका पर-सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करके वर्गखंडो की गुणवत्ता में बढौती करें। यह प्रयासो से विभिन्न विषय, क्षेत्रों और शैक्षणिक अभ्यास में शिक्षक की दक्षताओं, ज्ञान और कौशल को बढाने के लिए किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तायुक्त शिक्षण और सिखाई प्राप्ति में ध्यान केन्द्रित करता है। शिक्षक की कार्यक्षमता में बढौती के लिए एक असरकारक प्रणाली की आवश्यकता है, इसमें स्वयं और संस्थाकिय व्यवस्था जैसे BRC,CRC, DIET और सबको अच्छा काम करना है। यह बात को ध्यान में रखके MHRD और UNICEF के एक सहयोगी परियोजना की अवधारणा ADEPTS थी। ADEPTS से शिक्षक भी शिक्षण में निर्णायक भूमिका प्रदान करके वर्ग - खंडो की गुणवत्ता में बढ़ौती करे। यह प्रयास से विभिन्न विषय क्षेत्र और शैक्षणिक अभ्यास में शिक्षक की कार्यक्षमता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साल 2013-14 मे 27,152 स्कुलो में ADEPTS कार्यान्वित किया गया है।

युवाओं के विकास के व्यापक अर्थ में कौशल और ज्ञान के साथ लोगो को सशक्त बनाने और उन्हे भविष्य में उत्पादक रोज़गार के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण निवेश शिक्षा (इनपुट) है। यह तभी हो सकता है, जब बच्चों को अभ्यास का योग्य वातावरण उपलब्ध हो। भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सही रुप से करने के लिये समग्र देश में ढ़ेर सारे कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये है। हालाकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न स्तरो पर ईमानदार और समर्पित प्रयासो के बावजूद सामान्य प्राथमिक कक्षाओ के बारे में सोचना है, इसके लिए अधिक प्रयत्न करना है, वहाँ शिक्षक केन्द्रित वर्ग खंडो की तस्वीर किसी के मन में आती है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए गुजरात राज्यमें एक गतिविधि आधारित शिक्षण दृष्टिकोण PRAGNA को विकसित किया गया है। PRAGNA का अर्थ है बुद्धि, समझ और ज्ञान। 31 मार्च 2014 से पहले 7504 स्कूलो में PRAGNA सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

2013-14 के दौरान लक्षित 84,358 में से 53,587 स्कूल के बाहरी बच्चों में सामेल करके उनकी उम्र में उन्हे नामांकन करके उनको विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामेल किया गया है।

2013-14 के सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 6-18 की उम्र के कुल 1, 09, 781 अक्षम बच्चों में से 1,08,034 को स्कूलो में नामांकन किया गया है और 1, 747 बच्चों को स्कूल के बहार से नामांकन किया गया है। इस में से 593 बच्चों को विशेष प्रशिक्षण में सामेल किया है, बहुत ही एवं C.P. बच्चों का देखभाल करने वालो के द्वारा घरों में शिक्षण प्रदान किया गया है।

बांधकाम (सिविल) निर्माण के तहत 1617 अतिरिक्त वर्गखंड, 1,441 लडको का शौचालय 1, 835 लड़कियोंका शौचालय, 100 पानी की सुविधाएँ, 1078 रेंप के साथ रेलिंग, 1900 मौजूद रैंप में हाथ रेल को पूर्ण किया गया है।

वर्ष के कुल बजट 1,374.00 करोड में से रु. 1,109.00 करोड गुजरात में SSA अंतर्गत विभिन्न परियोजना हस्तक्षेप के लिए खर्च किया गया है। नामांकन की सरल प्रवाहितता के कारण की अनुसूचित गतिविधियो की सुविधाओ के साथ असरकारक लागु किया गया है।

नई पहल जैसे की PRAGNA (ABL), BaLA, GREEN SCHOOLS, SMARTS SCHOOL और VIII कक्षा का उच्च प्राथमिक विद्यालय के उन्नयन के कारण कक्षा V से VII के लडका एवं लड़कियों की अवधारण में मदद हुई है। उसके परिणाम स्वरुप स्कुल छोडने वालो की दर में कमी हुई है।

बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, (आरटीई अधिनियम, 2009) के तहत राज्य में सभी स्तर पर सच्ची भावना से और सहयोग के साथ लागु किया गया है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की यहाँ पर विस्तृत जानकारी अनुबध्ध है।

वर्ष के अंत में कोई यह कह सकता है, कि ठोस कार्य के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति करके यह साल बहुत अच्छा रहा। सार्वभौमिक नामांकन और स्कुल में बच्चों की अवधारण सुनिश्चित करने ते बाद, हमारा ध्यान अब गुणवत्ता पर है। हम सबको प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाना है। राज्य भर के वर्गो में अच्छा, पर्याप्त और प्रत्यक्ष गुणवत्ता सभर शिक्षा हो

(मुकेश कुमार, आई ए एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा
तथा आयुक्त और मध्याहन भोजन, गांधीनगर, गुजरात

अनुक्रमणिका

CHAPTER

	प्रस्तावना	03
01	गुजरात : राज्य की रुपरेखा	11
02	अध्यापक प्रशिक्षण एलईपी, एडीईपीटीएस तथा प्रज्ञा	17
03	समुदाय की गतिशीलता	31
04	कन्या शिक्षा तथा के.जी.बी.वी.	39
05	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	49
06	विशेष जरुरतमंद के लिए समावेशी शिक्षा	54
07	मीडिया तथा दस्तावेजीकरण	59
08	संचालन सूचना पद्धति	61
09	आयोजन और संचालन	65
10	स्कुल के आधारभुत निर्माणका विकास (Civil Works)	67
11	वित्त एवं लेखा	74

शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित

शिक्षा अधिकार अधिनियम, २००९ के विशिष्ट लक्षण

शिक्षा-अधिकार अधिनियम, २००९ के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधान

- पड़ोस के स्कूल में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षण का अधिकार।
- स्पष्ट है कि अनिवार्य शिक्षा अर्थात ६ से १४ वर्षो तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्यत: शाला प्रवेश, उपस्थिति के साथ नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा मुहय्या कराना है। नि:शुल्क से मतलब किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की फीस या खर्च या शुल्क न लेना, जिसके कारण किसी भी बालक-बालिका को प्राथमिक शिक्षा जारी रखने तथा पूर्ण करने की बाधा उपस्थित होती हो।
- इस व्यवस्था में प्रवेसे वंचित बच्चे को, उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाना है। यह निर्दिष्ट उपर्युक्त कार्यो; उत्तरदायित्वों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने में सहायक बनता है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच द्वितीय एवम् इतर जवाबदारियों को भी निभाता है।
- यह छात्र-शिक्षक के हमेशा के अनुपात में मानदण्ड तथा मान निर्धारित करता है तथा भवन, आधारभूत ढाँचा, स्कूल के काम का दिन और अध्यापकों के शिक्षण-समय को भी निश्चित करता है।
- यह शिक्षकों के समान विस्तार के प्रावधान के द्वारा छात्र-शिक्षक के अनुपात को प्रत्येक स्कूल में प्रतिवादित करता है, न कि मात्र राज्य अथवा ब्लॉक के औसत स्तर पर। यह विश्वास दिलाता है कि शिक्षकों की नियुक्ति में नागरीय ग्रामीण असंतुलन को स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रतिदस वर्ष होने वाली जन-गणना, स्थानीय सत्ता के चुनाव, लोक सभा व राज्य सभा के सिवाय यह समान विस्तार शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यो की मनाई कर्माता है।
- सेवा में अनिवार्य प्रवेश तथा शैक्षणिक योग्यताओं के साथ योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों को उपलब्ध करवाता है।
- यहा मनाई करता है। (a) शारीरिक दण्ड एवम्, मानसिक त्रास (b) बच्चों के प्रवेश के समय जाँच प्रक्रिया (ष) प्रतिव्यक्ति की (d) शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत अध्यापन तथा (e) बिना मान्यता के स्कूल को चलाना।
- यह अभ्यासक्रम के मुमेल के साथ भारतीय संविधान में उल्लिखित शिक्षा के महत्व, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को निश्चित करता है, बालक के ज्ञान-सर्जन, सुषुप्त शक्ति को जगाने की संभावभा, प्रतिमा, बच्चों को भय मुक्त, चोर तथा बाल सहज उत्कंठा को बाल मैत्री के ढंग से तथा बाल केन्द्रित शिक्षा को मुहय्या करवाता है।

गुजरात के द्वारा उठाए गए कदम

ज्ञान तथा मूल जीवन कौशल्य के साथ लोंगो के शशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक मुख्य निर्णायक निवेश है। शिक्षा की गुणवत्ता जीवन की उत्तमता का संचालन करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक (कक्षा १ से ५) तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा ६ से ८) शैक्षणिक पद्धति पिरामिड का मूलाधार है। सामाजिक एवम्, आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा के कर्तव्य का मददरुप होना ही उसकी स्वीकृति है। यह व्यक्तिगत और समूह दोनों के लिए आगेवानी के अवसरों के द्वारा खोलते है। शिक्षा में सुधार से अपेक्षा मात्र कार्यक्षमता को आगे बढ़ना नहीं, परन्तु जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता की उन्नति करना है। त्वरित तथा समावेशी (स्वाभाविक विकास की सिद्धि के लिए १२ वीं योजना शिक्षा के केन्द्रीय बिन्दु को उच्च अग्रिमता प्रदान करती है। शिक्षा के सभी विभागों को एकत्र कर शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यह एक विस्तृत व्यूह रचना।

आर.टी.ई-२००९ को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा उठाए गए आवश्यक कदम यहाँ प्रस्तुत है। ८,९५,३२६ जिसका प्रतिशत १०.०४ है। ग्रामीण क्षेत्रों में एस जनसंख्या ८०,२१,८४८ है, जो ८९.२५ प्रतिशत है।

प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का पिरामिड मानकर, गुजरात सरकार ने इसके विकास के लिए हमेशा इसे सर्वाधिक अग्रिमता प्रदान की गई है। गुजरात के प्रत्येक गाँव की एक किलोमीटर की त्रिज्या में एक प्राथमिक स्कूल है। छात्र शिक्षाक का प्रमाण २९.९ डी.आई.एस.ई. रिपोर्ट २०१४-१५ के आधार से है।

यहाँ पर गुजरात सरकार द्वारा **RTE 2009** को कार्यान्वित करने के लिये दिए गये महत्वपूर्ण कदम बताये गये है ।

क्रमांक	नियमो का विवरण	उठाए गये कदम	कार्यान्वित कार्यालय संस्था
1	(१) विद्यार्थी प्रवेश (२) उम्र का प्रमाण (३) प्रवेश के लिए लंबित समय काल	नियम ३ (१), (२), (३) गुजरात राज्य के आर टी ई नियम, २०१२ के तहत, अधिसूचित	प्राथमिक स्कूल
2	विशिष्ट प्रशिक्षण	प्रत्येक वर्ष ६ से १४ वर्षो तक के बच्चों का नामांकन तथा वे बच्चे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्व पूर्ण करने से पूर्व शाला छोड़ दी है, ऐसे बच्चों को पहचानना एसे बच्चों के नाम एस.एस.ए. स्कूल रिकोर्ड में दर्ज करना, विशिष्ट प्रशिक्षण और समुचित सामग्री भी इस प्रशिक्षण के जुटाई जाती है तथा पूर्व संबंधित अमुक युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा इसे योजना बद्ध किया जाता है। इससे बच्चों का वास्तविक समुचित उम्र व कक्षा में प्रवेश प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्राप्त हो सकता है।	एस.एस.ए.
3	नए प्राथमिक स्कूलों को खोलना अथवा निजी स्कूलों का नियंत्रण लेना।	गुजरात आरटीई नियम,२०१२ के नियम ५ के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की पूर्व कल्पना रखी गई है।	जिला शिक्षण समिति अथवा म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड (वस्तुस्थिति के अनुसार)
4	स्कूलों द्वारा मुक्त तथा अनिवार्य तथा शिक्षा उपलब्ध कराना।	पहले से ही लागू है।	राज्य सरकार / स्थानीय सत्ता / स्कूल
5	स्थानिक सत्ता के द्वारा बच्चों के रिकोर्ड्स का प्रतिवादन करना।	पहले से लागू	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
6	पूर्व स्कूल प्रवेश प्रक्रिया	कार्य प्रगति पर	जीसीईआरटी
7	पूर्व स्कूल अभ्यासक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया	कार्य प्रगति पर	जीसीईआरटी
8	पूर्व-स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण एवम् मूल्यांकन	कार्य प्रगति पर	जीसीईआरटी
9	कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश तथा अन अनुदानित स्कूलों के अलामित गृंप।	कार्य प्रगति पर	जीसीईआरटी
10	स्कूलों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही जिन्होंने प्रति व्यक्ति शुल्क बिना छानबीन पद्धति के प्रवेश दिया तथा नियम का उल्लंघन किया हो।	पहले से लागू	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
11	स्कूलों की मान्यता देना राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के द्वारा प्रस्थापित, स्वामित्व या नियंत्रण न धराती हों।	कार्य प्रगति पर	निदेशक प्राथमिक शिक्षा

12	मान्यताओं को रद्द करना।	नियम १४, गुजरात आर टी ई नियम-२०१२ के तह्त, कार्यवाही अधिसूचित।	निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
13	स्कूल के लिए मानदण्ड एवम्, मानस	शिक्षण-विभाग के प्रस्ताव क्रमांक पी.आर.ई-१४२०-१०२४२०७६- के तारीख. ३-६-२०१० के द्वारा निश्चित	निदेशक प्राथमिक शिक्षा
14	स्कूल संचालन समिति की रचना तथा कार्य-कलाप	गुजरात आर.टी.ई., २०१२ के नियम १६ में स्कूल संचालन समिति की रचना एवम् कार्य निश्चित किए गए हैं।	अन अनुदानित स्कूलों के अलावा
15	स्कूल के विकास की रुपरेखा का निर्धारण	गुजरात आरटीई नियम, २०१२ के नियम १७ के अन्तर्गत स्कूल विकास की रुपरेखा एस.एम.सी. के द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है।	एस.एम.सी.
16	न्यूनतम शैक्षणिक	राज्य में शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अध्यापक	राज्य सरकार सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
17	विद्या सहायक अथवा शिक्षकों के सेवाकीय शर्ते	पूर्व से लागू	राज्य सरकार
18	शिक्षकों अथवा विद्या सहायकों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य	नंबर पी.आर.ई.-१२१-२०१४-४०७९६ के दिनांक ७-२-२०१४	प्राथमिक शिक्षा
19	शिक्षकों या विद्या सहायकों की शिकायत निवारण के वास्ते यंत्र रचना।	शिक्षण-विभाग के प्रस्ताव नं.पीआरई-१११२, जीओआई २९ के दिनांक ३०-४-२०१३	राज्य सरकार के द्वारा न्याय पंचों की रचना शेष
20	शैक्षणिक सत्ता द्वारा अभ्यासक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया बनाना	जी.सी.ई.आर.टी गांधीनगर के पत्र दिनांक १४-७-२०११ के द्वारा लागू	मुख्य अध्यापक स्कूल
21	अभ्यासक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति	उपरोक्त	उपरोक्त
22	नियत कालिक प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन के लिए पद्धति की रचना	उपरोक्त	जी.सी.ई.आर.टी.
23	नियत अर्वाच्य पर सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बाह्यमूल्यांकन	उपरोक्त	जी.सी.ई.आर.टी.
24	समय-समय पर शिक्षण की गुणवत्ता को आँकना तथा रिपोर्ट पेश करना।	कार्यवाही चालू है।	स्वतंत्र संस्था या पक्ष स्थापित करना शेष है।
25	श्रेष्ठता संबंधी रीति को	कार्यवाही चालू है। नियमित लागू करना राज्य सरकार द्वारा नियमित	सेवापूर्व शिक्षक - प्रशिक्षण उत्तमता सुधारने के लिए श्रेष्ठता के लिए पद्धति लागू करना।
26	शिक्षक की उपयुक्तता के लिए सामान्य प्रमाण कसौटी को दाखिल करना।	शिक्षा विभाग के प्रस्ताव दिनांक २७-४-२०११ एवम् १८-१-२०१२ के द्वारा शिक्षकों व मुख्य अध्याप कों की नियुक्ति हेतु साधारण प्रमाण कसौटी को लागू किया गया है।	राज्य परीक्षा बोर्ड

27	प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र देना।	काम चालू है।	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा तथा जीसीईआरटी
28	बाल-अधिकार संरक्षण के लिए राज्य कमिशन के द्वारा कार्य संपादन करना।	गुजरात राज्य के कमिशन की दिनांक-२१-२-२०१३ की नोटिस के द्वारा बाल-अधिकार संरक्षण का निर्धारण हो चुका है।	एस.सी.पी.सी.आ
29	एस.सी.पी.सी.आर. के समक्ष शिकायतें दर्ज करने की रीति।	गुजरात, आर.टी.ई. नियम २०१२, के नियम ३२ में निर्दिष्ट	एस.सी.पी.सी.आर
30	स्टेट एडवायज़री काउन्सिल का संविधान	शिक्षा-विभाग के प्रस्ताव नं.पीआरई-१२२०१२ ६९५४४५- के, दिनांक २१-३-२०१३ के द्वारा स्टेट एडवायजरी काउन्सिल के द्वारा लागू।	स्टेट एडवायजरी काउन्सिल

“शिक्षा एक अत्यन्त शक्तिशाली आयुध है, जिसके प्रयोग से विश्व में परिवर्तन लाया जा सकता है।”

अध्याय - 1

“गुजरात : राज्य की रूपरेखा”
वार्षिक रिपोर्ट : २०१४-१५

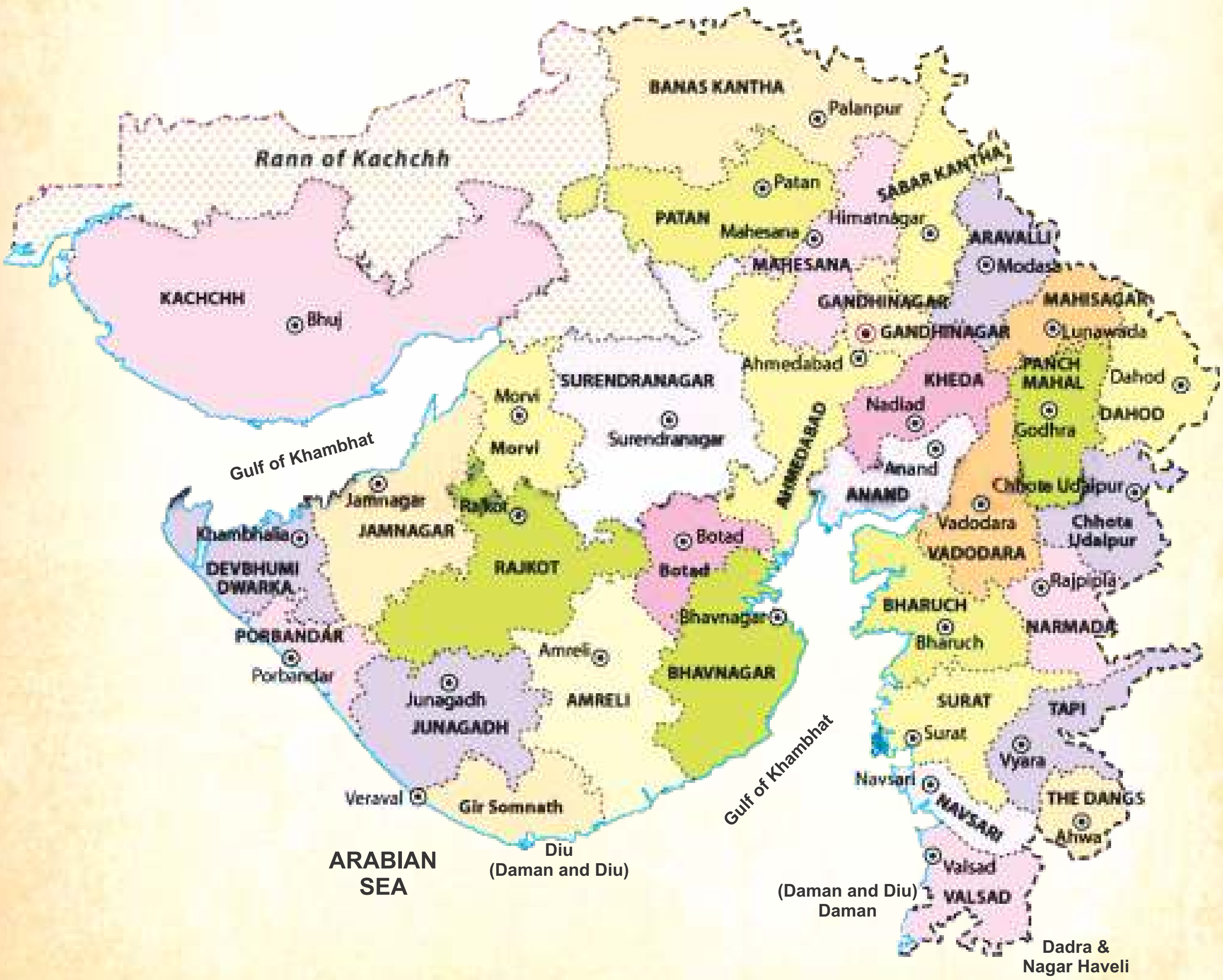

अध्याय - 1

गुजरात : राज्य की रुपरेखा

क्षेत्रफल और जनसंख्या

गुजरात का क्षेत्रफल लगभग १.९६ लाख वर्ग कि.मी. है। राज्य कों २६ डिस्ट्रिक्ट तथा २२८ ब्लोकों में विभाजित किया गया है। जनगणना २०११ के अनुसार राज्य की जनसंख्या ६.३० करोड़ है। भारत के क्षेत्रफल का ६.१९ प्रतिशत गुजरात धराता है।

- **जनसघनता :**

सन् २०११ में गुजरात की जनसंख्या की सघनता प्रति वर्ग कि.मी. ३०८ व्यक्तियों की थी। अत्याधिक सघनता १३७६ प्रति वर्ग कि.मी. सूरत जिले की रही, जब कि न्यूनतम शघनता ४६ व्यक्तियों की प्रति वर्ग किमी. कच्छ जिले में अंकित की गई है।

- **जाति-प्रमाण :**

गुजरात का जाति-प्रमाण २०११ में ९३४ था। डांग में सर्बाधिक जाति-प्रमाण १००७ है,. जबकि न्यूनतम अनुपात ७८८ सूरत में पाया गया था।

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जाति - प्रमाण राज्य में ९२५ जबकि ९११ शहरी क्षेत्र में और ९३४ ग्रामीण क्षेत्र में है। राज्य की अनुसूचित जनजाति का अनुपात ९७४ है, जबकि शहरी क्षेत्र में ९२६ तथा ग्रामीण इलाके में ९७८ है।

- **साक्षरता :**

राज्य की साक्षरता दर (०-६ तक के बच्चों के सिवाय) ६९.१२ प्रशित की बढ़ोतरी २००१ में थी . वह ७९.३१ प्रतिशत २०११ में हो गई। पुरुषों की दर जो २००१ में ७९.६६ प्रतिशत था। २०११ में ८७.२३ हो गया, २०११ ७०.७३ हो गया। अहमदाबाद की साक्षरता दर सबसे ज्यादा ८६.६५ प्रतिशत रहा, जब कि कम से कम दर दाहोद का ६०.६० प्रतिशत था।

- **शहरीकरण :**

२००१ की काम चलाउ जनगणना के अनुसार ३१.३५ प्रतिशत जनसंख्या गुजरात के शहरी क्षेत्रों में बसती है। कच्छ, जामनगर और राजकोट जिलों के सिवाय, जहाँ भूकम्प के कारण जनगणना नहीं हो सकी थी। १९९१ में इस शहरी करण का अनुपात ३४.४९ प्रतिशत था। गुजरात का अहमदाबाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है , जहाँ ८०.०९ प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है, जबकि डांग संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कोई शहरी जनसंख्या नहीं है।

- **अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन-जातियाँ :**

२०११ की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ४०,७४,४४७ है, जोकि कुल जनसंख्या का ६.७४ प्रतिशत है। इसमें २१,१०,३३१ पुरुषों का प्रतिशत ६.७० और १९,६४,११६ स्त्रियाँ है, जिनके ६.७८ प्रतिशत है। राज्य में शहरी क्षेत्रों की एस.सी. जनसंख्या १७,९२,८७४ है, जिसका प्रतिशत ४४.०० है। ग्रामीण क्षेत्रों की एस.सी. जनसंख्या २२,८१,५७३ है, जो ५५.९९ प्रतिशत है।

२०११ की जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ८९,१७,१७४ जो कुल जनसंख्या का १४.७५ प्रतिशत है। जिनका ४५,०१,३८९ पुरुष, १४.२९ प्रतिशत तथा ४४,१५,७८५ स्त्रियों का प्रतिशत १५.२५ प्रतिशत है। शहरी एस.टी. जनसंख्या राज्य में।

प्रारंभिक स्कूल :

वर्षो से गुजरात में प्रारंभिक स्कूलों की सतत बढ़ोतरी होती रही है। जिन प्रारंभिक स्कूलों की संख्या २००४-०५ में ३६३१५ थी उनकी संख्या २०१४-१५ में ४३६३८ हो गई है। इन आँकडो से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में सर्वशिक्षा अभियान ने सफलता पूर्वक प्रारंभिक शिक्षा की मांग को प्रभावी जागरुक अभियानों के द्वारा लागू किया है।

वर्ष	स्कूल				नामांकन			
	सरकारी	खानगी सहायता प्राप्त	खानगी सहायता के बिना	कुल	सरकारी	खानगी सहायता प्राप्त	खानगी सहायता के बिना	कुल
2004-05	32258	765	3292	36315	5966913	158823	695356	6821092
2005-06	32318	777	4161	37256	6065451	161194	928355	7155000
2006-07	33061	888	5194	39143	6083903	201410	1255657	7540970
2007-08	33236	852	5477	39565	6031806	212076	1418611	7662493
2008-09	33182	843	5081	39106	6006917	220315	1485112	7712344
2009-10	33429	913	5610	39952	5882190	253373	1683300	7818863
2010-11	33503	788	6403	40728	5904497	225706	2014842	8145045
2011-12	33537	703	6738	40943	5968507	184638	2223822	8376967
2012-13	33619	908	7920	42447	6192645	248625	2735163	9176433
2013-14	33624	836	8716	43176	6061842	264167	2903019	9229028
2014-15	33666	845	9124	43638	5899680	2655638	2977133	9142451

नामांकन पृष्ठ :

शिक्षा की आवश्यक के विषय में लोगों में बढ़ती जागरुक्ता के बीच प्रारंभिक स्कूलों के द्वारा बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी जा सकती है। यह बढ़ोतरी लड़कों एवं लड़कियों दोनों में देखी जा सकती है। प्रसन्नता का विषय है कि इस मामले में सतत बढ़ते आँकडों के द्वारा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो सकी है। नामाँकन की कुल संख्या कक्षा १-७ तक जो २००३-०४ में ६६०१०३१ थी वह कक्षा १-८ तक बढ़कर २०१४-१५ में ९१४२४५१ हो गई।

वर्ष	नामांकन(सभी) कक्षा 1 से 5			नामांकन (सभी) कक्षा 1 से 8		
	कुमार	कन्या	कुल	कुमार	कन्या	कुल
2003-04	2753851	2390427	5144278	3577331	3023700	6601031
2004-05	2817873	2457464	5275337	3690323	3130769	6821092
2005-06	2905938	2573721	5479659	3841530	3313470	7155000
2006-07	3048072	2682210	5730282	4049751	3491219	7540970
2007-08	3095168	2711659	5806827	4110074	3552419	7662493
2008-09	3092593	2716192	5808785	4125572	3586772	7712344
2009-10	3124744	2730882	5855626	4190175	3628688	7818863
2010-11	3163491	2723977	5887468	4390931	3754114	8145045
2011-12	3138434	2719585	5858019	4507418	3869549	8376967
2012-13	3141405	2723994	5865399	4945404	4231039	9176433
2013-14	3167053	2769457	5936510	4978756	4250272	9229028
2014-15	306736	2696946	5764682	4920420	4222031	9142451

अध बीच पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी :

प्रारंभिक शिक्षा वैश्विकरण के बास्ते विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से शानदार सफलता के द्वारा कक्षा १-६/८ तक जो २००४-०५ में १८.७९ था, वह दर घटकर २०१४-१५ में ६.६१ हो गया इसी प्रकार कक्षा १-५ का दर जो २००४-०५ में १०.१६ था, वह घरकर २०१४-१५ में १.९७ हो गया। इसका साफ मतलब है कि प्रतिधारण दर अब ९८.०० हो गया है।

शाला छोडने वाले छात्रों की दर (ड्रोप-आउट रेट)						
वर्ष	कक्षा 1 से 5			कक्षा 1 से 7		
	कुमार	कन्या	सभी	कुमार	कन्या	सभी
2004-05	8.72	11.77	10.16	15.33	22.8	18.79
2005-06	4.53	5.79	5.13	9.97	14.02	11.82
2006-07	2.84	3.68	3.24	9.13	11.64	10.29
2007-08	2.77	3.25	2.98	8.81	11.08	9.87
2008-09	2.28	2.31	2.29	8.58	9.17	8.87
2009-10	2.18	2.23	2.2	8.33	8.97	8.66
2010-11	2.08	2.11	2.09	7.87	8.12	7.95
2011-12	2.05	2.08	2.07	7.35	7.82	7.56
2012-13	2.02	2.06	2.04	6.87	7.37	7.08
2013-14	1.97	2.02	2.00	6.53	7.28	6.91
2014-15	1.94	2.00	1.97	6.19	7.03	6.61

जीईआर तथा एनईआर

वर्षो के दौरान गुजरात ने महत्वपूर्ण सुधार दो मुख्य संकेत को सफल नामाँकन अनुपात (जी.ई.आर) तथा शुद्ध नामाँकन अनुमान (एनईआर) दोनों बालकों तथा कन्यायों में क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। वर्ष २००.०४ में कुल जीईआर तथा एनईआर क्रमशः ९५.०५ व ७५.०७ थे। वर्ष २०१४-१५ में कुल जीईआर व एनईआर क्रमशः १०३-८० तथा ९८.६३ हैं। वर्ष २००३-०४ बालकों के जीईआर तथा एनईआर क्रमशः ९४.३८ तथा ७४.८ थे, जबकि २०१४-१५ में बालिकाओं के जीईआर व एनईआर क्रमशः १०३.१४ एवम् ९८.१५ है।

वर्ष	जीईआर			एनईआर		
	कक्षा 1 से 5			कक्षा 1 से 7		
	कुमार	कन्या	कुल	कुमार	कन्या	कुल
2003-04	96.62	94.38	95.5	75.33	74.8	75.07
2004-05	109.68	109.39	109.54	96.06	95.23	95.65
2005-06	110.68	110.39	110.54	96.56	95.73	96.15
2006-07	111.78	111.49	111.64	97.83	96.23	97.03
2007-08	103.11	100.84	101.98	98.17	96.67	97.42
2008-09	104	101.72	102.86	98.58	98.58	97.82
2009-10	104.67	102.34	103.51	98.82	98.04	98.29
2010-11	105.03	103.12	104.08	99.06	98.23	98.64
2011-12	105.08	104.2	104.64	99.08	98.53	98.8
2012-13	102.06	100.87	101.47	99.53	98.96	99.24
2013-14	99.74	99.70	99.72	97.12	97.30	97.21
2014-15	104.46	103.14	103.80	99.10	98.15	98.63

गुजरात सरकार के विशेष हस्तक्षेप :

एस.एस.ए. को अपने फंड के भाग के योगदान के अलावा गुजरात राज्य सरकार ने अपनी मध्यस्थता से अनेक नवीन नीतियों को सुद्दढ़ता से लागू किया है। जैसे कि कक्षा १-७ के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मुहय्या करवाना, प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाना, विद्या लक्ष्मी योजना तथा विद्यादीप योजना, कार्यान्वित करना।

विद्या सहायकों की नियुक्ति :

प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी के मुद्दे को वाचा देने गुजरात सरकार संयोगानुसार विद्या सहायकों की मर्ती कर रही है। विद्या सहायक के अध्यापक है जिनकी नियुक्ति एक निश्चित संगठित वेतन पर की जाती है, जिनको पद खाली होने पर नियमित संवर्ग में जिले में समा लिया जाता है। शिक्षा - विभाग के प्रकाशित आँकडों के अनुसार कुल १,४६,८०४ की नियुक्ति हो सकी है, जिनमें से ११.६२५ को सन् २०१३-१४ में नियुक्त किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें :

ज़िला शिक्षण समितियों एवम् म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा स्कूलो १-७ तक के विद्यार्थियो, गुजरात सरकार मुफ्त में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाती है। राज्य की तमाम सरकारी तथा अनुदानित स्कूलों की कक्षा ८ के सभी बच्चों को एस.एस.ए. के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। इस बात का विशेष उल्लेख होना चाहि कि गुजरात सरकार सात माध्यमों गुजराती, हिन्दी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, सिंधी तथा गनित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करती है, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाती है।

प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाना :

गाँवों में बच्चों की प्राथमिक शिक्षापूर्ण न होने के मुख्य कारण कक्षा ५ के बाद आगे की कक्षा का सुविधा न मिलना है। इस समस्या से उबरने के लिए हरेक गाँव में कमसे कम एक प्राथमिक शाला के स्तर को बढ़ाया गया है।

विद्या लक्ष्मी योजना :

विद्या लक्ष्मी को वहाँ लागू किया गया है, जहाँ गाँवों में स्त्री शिक्षा का दर ३५% के नीचे है। इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक स्कूलोंमें १००% नामाँकन एवं प्रतिधारणा प्राप्त करना है। इस योजना के अन्तर्गत, जिस छात्रा का प्रवेश कक्षा १ में किया जाता है, उसे रू-२,००० का नर्मदा बोण्ड दिया जाता है, जिसकी परिपक्व अविष्ट ८ वर्षो की है बालिका इसे तभी भुना सकती है, जन वह आठ वर्षो के बाद अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेती है। कन्या लाभार्थियों की संख्या तथा राशि को बाँटना, नर्मदा बोण्ड के जरिए इस प्रकार है।

वर्ष	कुल लाभार्थी लडकियाँ	नर्मदा बोन्ड के द्वारा कुल बाँटी गई धनराशी रकम (रु. लाख में)
2002-03	1,10,829	1108.29
2003-04	1,54,457	1544.57
2004-05	1,30,000	1300.00
2005-06	1,51,034	1510.34
2006-07	1,16,300	1163.00
2007-08	1,47,506	1475.06
2008-09	1,28,757	1287.57
2009-10	1,11,553	1115.53
2010-11	1,04,319	1043.19
2011-12	1,44,491	1144.91
2012-13	1,15,500	2310.68
2013-14	1,06,955	2131.91
2014-15	1,04,676	2093.52

विद्यादीप योजना :

स्कूल में पढ़ते बच्चों के लिए राज्य सरकार ने इस विद्या दीप योजना को लागू किया है, जिससे सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके। यह योजना उन बच्चों की याद में दाखिल की गई है। जिन्होंने २६ जनवरी, २००१ के भूकंप में अपनी जाने गँवाई थी। इस योजना का लाभ प्राथमिक , माध्यमिक तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों के सभी बच्चों को दिया जाता है। रु.२५,००० की राशि की जीवन सुरक्षा प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए रु.५०,००० की जीवन सुरक्षा माध्यमिक एवम् उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

आत्महत्या व स्वाभाविक मृत्यु के अलावा ईंश्योरंस कंपनी विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसकी माता अथवा पिता को बीमा सुरक्षा की राशि प्रदान करेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र निर्धारित रुप में हेड मास्टर के द्वारा विद्यार्थी के अवसान से एक सप्ताह के अन्दर जारी करेगा, जिसके आधार पर बीमा की गई राशि का भुगतान चैक के द्वारा १५ दिनों के अंदर हो जाएगा।

विद्यादीप योजना के अन्तर्गत वर्ष वार भुगतान किए गए दावों का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	दावो का भुगतान	विभाग
2002-03	436	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
2003-04	248	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
2004-05	456	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
2005-06	153	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
2006-07	381	प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
2007-08	31	प्राथमिक
2008-09	382	प्राथमिक
2009-10	277	प्राथमिक
2010-11	318	प्राथमिक
2011-12	184	प्राथमिक
2012-13	263	प्राथमिक
2013-14	361	प्राथमिक
2014-15	385	प्राथमिक

अध्याय - 2

अध्यापक प्रशिक्षण एलईपी, एडीईपीटीएस तथा प्रज्ञा

सेवारत अध्यापको का प्रशिक्षण

अध्यापकों के पढ़ाने-सीखने के ज्ञान को महत्व दिया जाता है। उनका प्रभाव विद्यार्थी तथा विधार्थी सिध्दि को ऊँचा आँकता है। सेवा रत अध्यापक का प्रशिक्षण निरन्तर शिक्षा की प्रक्रिया का एक भाग है, जिससे उन्हें पढ़ाने की नई अन्तदृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में अध्यापक इसमें रच पच जाता है, उसका ज्ञान वृध्दि पाता है और उसका कौशल्य और बढ़ता है। गुणवत्ता मुक्त पढ़ाई गुणवत्ता मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का साधन है।

राज्य के सर्वागीण परिवर्तन के द्वारा आरटीई-२००९ के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को संतोष है। इसमें मुख्यत: ध्यान कक्षा की पढ़ाई को समानता के साथ समावेश किया जाता है। सन्-२०१४-१५ में, एसएसए. गुजरात ने ७ दिवसीय ब्लोंक लेबल ट्रेनिंग और ३ दिवसीय क्लस्टर लेबल ट्रेनिंग का आयोजन किया था। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिससे शिक्षक को नए विकास शील क्षेत्रों के प्रति पुन:ऊर्जा तथा विगत ज्ञान को फिर से ताजा करने का अवसर प्राप्त होता है।

प्रशिक्षण के लक्ष्य है (१) शैक्षणिक अध्यापन विद्या (२) सामग्री आधारित प्रशिक्षण तथा (३) व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण आवश्यक्ता आधारित विषयो को ध्यान में रखकर के लिए किया गया है। इस प्रकार २०१३ के लिए निम्न विषयों का चयन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किया गया है। १२ पंचवर्षीय योजना के सुझावों को ध्यानमें रख कर को प्रशिक्षण में रखा गया है जीसीईआरटी को सभी प्रशिक्षणों में केन्द्रित किया गया है जैसे रुपरेखा, समय-तलिका, समय बद्धता, प्रशिक्षण मोड्यूल, और आरपी के लिए प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉंक में कक्ष परिक्षण एवं गाईड तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बायसेग के द्वारा के आर पी प्रशिक्षण का भी आयोजन है।

डिस्ट्रिक्ट कमिटी के द्वारा डिस्ट्रीक्ट स्तर का वार्षिक प्रशिक्षण का केलेन्डर बनाया जाता है। वार्षिक आयोजन को डीआजी सदस्यों की उपस्थिति तथा मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा विदों, अध्यापकों, बी.आर.सी/सीआरसी समन्वय और डीआईईटी के प्राध्यापक भी इसमें भाग लेते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके सुझावों तथा मार्गदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है।

राज्य ने शिक्षक प्रशिक्षण की केसकेड रीति के द्वारा पहल की थी। प्रसारण की सीमा के कारण, एस.एस.ए. गुजरात ने आमने-सामने पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से प्रशिक्षण की शुरुआत की।

प्रशिक्षण का आदर्शरुप राज्य स्तरीय विषय निष्णांत व्यक्तियों द्वारा तैयार किया है। के आर पी जिला कक्षा के विशिष्ट व्यक्तियों (डीआरजी) को तैयार करते हैं। जिला साधनपूर्ण ग्रुप (डीआरजी ब्लॉंक स्तर के मास्टर ट्रेनर (एम.टी.एस.) प्रशिक्षित करते हैं। यह ब्लॉंक स्तर के मास्टर ट्रेनर फिर क्लस्टर लेवल के निष्णांत सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं।

प्रशिक्षण सत्र की समय तालिका प्रसारण तथा बिना प्रसारण गतिविधियों के आधार पर बनाई जाती है। ट्रेनिंग मोड्युल भी प्रसारण तथा बिना प्रसारण गतिविधियों को समा लेता है। प्रसारण सत्र को के.पी.आर. के द्वारा सूत्र बनाकर टेली कोन्फेरेन्सिंग माध्यम से तथा बिना प्रसारण विधियों के सी.आर.जी सदस्यों के द्वारा पूरा किया जाता है।

जून,२०१३ से राज्य में कक्षा ६,७ और ८ का पाठ्यक्रम लागू किया गया है एवम् नया पाठ्यक्रम और अभ्यास विषय कक्षा १-५ के लिए जून,२०१४ से लागू हो चुका है।

शिक्षा की गुणवत्ता के संरक्षण तथा सुधारणा के लिए शिक्षक मुख्य अभिनेता होता है। सेवा काल में प्रशिक्षण शिक्षकों की समझ और अध्यापन विद्या का विकास महता है। उच्च अपेक्षाएँ व महती आवश्यक्ताओं के बावजूद शिक्षको से यह अपेक्षित है कि वे कक्षा में प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुति करें। यहि सभी छात्रों के सफलता की अपेक्षा तो ऐसे शिक्षकों को अपेक्षा है, जो प्रत्येक छात्र को उच्चत्तर को पढ़ाई कराए। सर्वाधिक आवश्यक बात व्यावसायिक विकास का रखने के लिए है। विकास प्रक्रिया को समझने के लिए निरन्तर प्रयास के हम सबको पढ़ना सोचने तथा बोलने की प्रक्रिया में लगाना पड़ेगा जिससे नवयुवान छात्रों को उन आवश्यक बातों से शिक्षण दिया जा सके। इसके लिए विधि से ब्लॉंक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण दो आया में में गठित किया गया है। इसका मसौदा शिक्षक अभि प्रायवली की रुपरेखा से मिलता जुलता है। इसका मुख्य विषय जीसीईआरटी समन्वय तथा एस.एस.ए के आधार पर है। शिक्षकों की जरुरियात के हिसाब से प्रशिक्षण को तैयार किया जाता है, जिसका संबंध वास्तविक जीवन की समस्याओं से रहता है। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विषय के ज्ञान को मज़बूत करना, अध्यापन विद्या का ज्ञान, अध्यापन विद्या के विषय का ज्ञान, छात्र के ज्ञान एनसीएफ और आरटीई के संदर्भ में, स्वंका ज्ञान, परिवर्तन संस्कृति के संदर्भ का ज्ञान।

प्रशिक्षण के परिणाम होंगे :

- अध्यापक के द्वारा कहा की पढ़ाई-लिखाई प्रक्रिया बालक केन्द्रित
- बाल-मित्रता तथा बाल केन्द्रित अध्यापन विद्या को समझना तथा उसे कक्षा में दाखिल करना।
- शिक्षक स्वयं मूल्यांकन क्षेत्रों को विद्या के परिणामों को सुदृढ़ बनता है।
- शिक्षक एनसीएफ-०५, आर.टी.ई. तथा बाल अधिकार को भली-भाँती समझता है।
- शिक्षक प्रभावशाली विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति समर्पित रहता है।

ब्लोक और क्लस्टर लेबल के प्रशिक्षण के विषय निम्न प्रकार हैं : मुख्य साधारण विषय कक्षा १-८ शिक्षक के लिए है।

१. प्रभावक कक्षा की पढ़ाई के लिए प्रभावी विचारों का आदान प्रदान
२. बाल केन्द्रित पढ़ाई की रीति और अध्यापन विद्या गतिविधि अधारित विद्या।
३. बाल-विद्या के विकास के लिए सकारात्मक सोच।
४. रचनात्मक्ता बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को निर्मित करती है।
५. प्रभावकारी वर्ग शिक्षा के संकेत
६. कक्षा शिक्षा के लिए आयोजन प्रक्रिया
७. समावेशी शिक्षा
८. शिक्षा कौशल्य के निदान
९. निरीक्षण तथा कौशल्य के प्रश्नों को निर्मित करना
१०. कला, शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव के द्वारा विषय सीखना।
११. बाल अधिकार एवम् पढ़ाई-लिखाई को लागू करना।
१२. शिक्षा में आईसीटी का उपयोग ई तैयारी तकनीकी ज्ञान, जिसके द्वारा पढाई में लाया जाए। हम क्या पढाते है उसका ज्ञान, कैसे पढ़ाते हैं, का ज्ञान हमारे विषय / विद्या क्षेत्रों की पढ़ाई की रीति / विषयवस्तु / विषय / शिक्षण के क्षेत्र / निर्दिष्ट प्रशिक्षण संबंधित कक्षा शिक्षक के लिए।

१. नई पाठ्यपुस्तक सामग्री और कुल शिक्षा पेकेज
(भाषाएँ एवं पर्यावरण, कक्षा १-५ शिक्षकों के लिए)
२. भाषाएँ (गुजराती, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी)
(विषय ज्ञान, अध्यापन विद्या का ज्ञान एवम् अध्यापन विद्या विषयवस्तु का ज्ञान)
३. गणित - विज्ञान
(विषयवस्तु का ज्ञान, अध्यापन विज्ञान का ज्ञान तथा अध्यापन विद्या विषय वस्तु का ज्ञान)
४. सामाजिक विज्ञान
(विषयवस्तु की जानकारी, अध्यापन विद्या का ज्ञान और अध्यापन विद्या विषय वस्तु का ज्ञान)

ब्लॉकलेवल प्रशिक्षण की सूची :

ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ दिनों का होगा तथा प्रशिक्षण की रीति रहेगी। इस प्रशिक्षण को दो भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग में सिद्धांत तथा दूसरे भाग में उसके कार्यान्वयन एवम् समस्या को सुलझाना है। छुट्टी के समय के अलावा प्रशिक्षण का समय निम्न समय दालिका के अनुसार निश्चित किया गया है।

प्रथम भाग प्रशिक्षण	**द्वितीय भाग प्रशिक्षण**
४ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २-७ जून के दौरान	कार्यान्वयन तथा उठाए गए प्रश्नो की निराकरणात्मक ब्यूह रचना १३-१७ अक्टूबर के दौरान

क्लस्टर लेवल प्रशिक्षण :

पाठ की रुपरेखा, शिक्षकों की शैक्षिक व्यूहरचना का मूल्यांकन, श्रेष्ठ अभ्यास, कठिनाइ्या, अनुभव बाँटना अर्धदिवसीय सभा का समय छात्रों के विद्या के परिणामों के मुख्य विषयों का आकलन विषय तथा कक्षा के अनुसार क्लस्टर लेवल प्रशिक्षण मीटिंग में सतत घनिष्ट मूल्यांकन को समान्तर पुन: निरीक्षण और शिक्षा के परिणाम क्लस्टर लेवल मीटिंग प्रत्येक माह, पहले शनिवार को होती है।

क्लस्टर लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीआरसी मिटींग	माह	क्लस्टर मीटिंग की तारीख
१	नवम्बर	१५-११-२०१४
२	दिसम्बर	०६-१२-२०१४
३	जनवरी	१०-०१-२०१५

१० दिवसीय संबधित अद्यापन का प्रशिक्षण

क्र.	केन्द्रित क्षेत्र	ग्रुप का लक्ष्य (शिक्षण प्रसार)	समयपालन जिस मास में बेजी गई	भौतिक लक्ष्य	सिद्धि मार्च २०१५ तक
	७ दिवसीय ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण				
01	नई पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का परिचय तथा आर.टी.ई. व एन.सी.एफ. की विषय वस्तु	कक्षा १-५ के शिक्षक	प्रथम भाग २-७ जून, २०१४ दुसरा भाग १३-१६ अक्टूबर, २०१४	२२२४९३ अध्यापक (१५५७४५१) सभी दिवस)	(१४,९०,७०३ व्यक्ति दिन) ९५.७१%
02	विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण नये अभ्यास क्रम हेतु तथा कुल विद्या पेकेज	कक्षा १-५ के शिक्षक			
03	अद्यापन विद्या सामग्रीकी जानकारी-नए अभ्यास क्रम १-५ कक्षा के लिए	कक्षा १-५ के शिक्षक			
04	विशिष्ट विषय सामग्री अद्यापन विद्या एवं उसकी सामग्री की जानकारी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ	कक्षा ६-८ के शिक्षक			
05	विद्या के फल एससीई-सीसीई	कक्षा १-८ के शिक्षक			
06	एडीईपीटीएस - PINDICS	कक्षा १-८ के शिक्षक			
07	मुख्य सामग्री प्रशिक्षण, उपरोक्त निश्चित विषय	कक्षा १-८ के शिक्षक			
	७ दिवसीय ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण				
1	३ दिवसीय क्लस्टर लेवल प्रशिक्षण पिछले मास के कार्य का मूल्यांकन - अगले मास की रुपरेखा - टीएलएम का विकास - पाठों का प्रस्तुति करण - एडीईपीटीएस-पीआईएनडीसीएस - कक्षा की पढाई का न्युन्तम निदान - वाँचन, लेखर और (आंकडाकीय कैशल्य का प्रमाण एवम, विद्या संबंधित परिणाम) - गणित-विज्ञान की पढाई-उच्च प्राथमिक - कक्षा, विषय, अभ्यासक्रम संबंधित व्यूहात्मक रुपरेखा को अपनाना	कक्षा १-५ के शिक्षक कक्षा १-५ के शिक्षक कक्षा १-५ के शिक्षक कक्षा ६-८ के शिक्षक कक्षा १-८ के शिक्षक कक्षा १-८ के शिक्षक कक्षा १-८ के शिक्षक	नव-दिस २०१४ एवम, जून२०१५	२२२४९३ अद्यापक (६६७४७९ व्यक्ति दिवस)	(६,३४,१०६ व्यक्ति दिन ९५.००%)
			१० दिन	२२२४९३ अद्यापक (२२२४९३ व्यक्ति दिन)	२१,२४,८०९ व्यक्ति दिन ९५.५०%

Block स्तरीय का प्रशिक्षण कैलेन्डर

प्रगति रिपोर्ट : २०१४-१५

- अनुदानित स्कूलों के अध्यापक, निजी सहायता से, बिना सहायता के प्राथमिक स्कूल, आश्रम शाला, के.जी.बी.वी. के अध्यापकों को १० प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाहित किया गया है।
- पहला भाग ४ दिवसों के ब्लोक लेवल प्रशिक्षण मोड्यूल को तथा की सहायता से विकसित किया गया है। दूसरा भाग-३ दिवसों के क्लस्टर लेवल प्रशिक्षण मोड्चल को द्वारा विषय निष्णांतों की सहायता से तैयार किया गया है। उनके मोड्यूल की सामग्री का के द्वारा पुन:निरीक्षण किया जाता है।
- मोड्यूल लेखन कार्यशालाओं का आयोजन जीसीईआरटी के सामंजस्य से किया जाता है।
- राज्य के योजना अफसर, कर्मचारी वर्ग के द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है। इन मोड्चल को ध्येय मुख्यत: प्रभावी वर्ग खण्ड के शिक्षकों को सक्षम बनाना होता है। मोड्चलों को जि कार्य प्रबंध।

  तथा राज्य स्तर पर जीसीईआरटी और एस.एस.ए. के द्वारा तैयार किया जाता है। ताकि जिले को तथा राज्य को संबोधित कर साधारण मुख्य सामग्री को किया जा सके।
- एक समय के प्रशिक्षण के बजाय राज्य विधि से प्रशिक्षण का आयोजन करती है, प्रशिक्षण को सहभागिता एवं अनुभवात्मक ढंग से बनाया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण पेकेज, जो शिक्षक प्रशिक्षण मोड्चल एवं प्रशिक्षक मोड्यूल से विकसित होती है।

  प्ररिक्षण केन्द्र की मुलाकात एस.पी.डी., ए.एस.पी.डी. तथा एस.पी.ओ. कार्यालय के समन्वय को रोडर तथा जीसीईआरटी के शोध कर्ताओं के एस.आर.जी. के सदस्यो के व्याख्याता ने ली है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रशिक्षणों को पूरे राज्यमें आयोजित करना पूर्वनियोजन के अनुसार एक ही समय में निर्दिष्ट परिणामो को प्राप्त करना एक सिद्धि ही है।
- वर्ष २०१४-१५ के दौरान, कुल २१,२४,८०९ व्यक्ति दिनों के प्रशिक्षण की सिद्धि वार्षिक लक्ष्य के २२,२४,९३० व्यक्तियों के विशिष्ट (२,२२,४९३ शिक्षक) हैं। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण ९५.५०% का वास्तविक लक्ष्य मार्च २०१५ तक पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य प्रशिक्षण :

अनुमान पर आधारित प्रशिक्षण :

गुणवत्ता सभर अध्यापक निश्चित ही एक महान सिद्धि होते हैं। शिक्षक की शिक्षा, योग्यता एवं अनुभव विद्यार्थियों की सिद्धि में अन्य कारणों से अधिक कार्य करते हैं। अनुमान पर आधारित प्रशिक्षण का प्रयोजन एक दृढ समझ से अपने व्यवसाय की अपेक्षाएँ, स्कूल, शैक्षणिक अभ्यास का विकास करना है। तथा प्रतिभाव के अवसर को आपसी साथ संबंधों को निश्चित स्वरुप देना, समकक्ष साथी के रुप में शैक्षणिक समुदाय से परिचय, अभ्यास सुधार के लिए समर्पित ताकि विद्यार्थियों के सर्वाधिक विद्या परिणामों को भारपूर्वक नैतिक्ता के साथ पूर्ण किया जाय अनुमान पर आधारित प्रशिक्षण का आयोजन वर्ष के लिए गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए राज्यों में किया जाता है। नये भर्ती किए गए शिक्षकों को प्रशिक्षण के विभिन्न घटक निम्न प्रकार से है।

प्रशिक्षण की सामग्री :

- एस.एस.ए. घटक
- शिक्षा के अधिकार का अधिनियम - २००९
- राष्ट्रीय अभ्यास क्रम, फ्रेमवर्क - ०५
- विषय सामग्री की जानकारी
- अध्यापन विद्या की माहिती
- अध्यापन विद्या की माहिती
- अध्यापन विद्या सामग्री का ज्ञान
- एन.सी.एफ. तथा आर.टी.ई के संदर्भ में पढ़ने वाले की जानकारी
- संदर्भ की जानकारी ज्ञानोन्नति के परिवर्तन के साथ

अनुमानित शिक्षक प्रशिक्षण की प्रगति (२०१४-१५ के दौरान)

स्तर	अनुमानित प्रशिक्षण २०१४-१५ के लक्ष्य	भर्ती लिए गए शिक्षक (मार्च २०१४ अंत तक)	प्रशिक्षित शिक्षक (मार्च १४ तक)	सिद्धि प्रतिशत	प्रशिक्षण की अवधि (विश्रृत विवरण)
प्राथमिक उच्च प्राथमिक	(भाषा व गणित विज्ञान के शिक्षक)	११८४६	११८४६	३० मेसे २० दिन	२० दिन

अनुमान आधारित प्रशिक्षण के परिणाम है, एक गहन सोच व्यावसायिक अपेक्षाओं के प्रति, स्कूल से अपेक्षाएँ विद्याभ्यास का विकास, परावर्तन और प्रतिमान के अवसर को पारस्परिक संबंधों से निश्चित करना, समकक्ष साथी के रूप में शिक्षा समुदाय से परिचय, अभ्यास, सुधारणा के प्रतिसमर्पण ताकि छात्रों के अत्यांतिक शिक्षा परिणाम को भारपूर्वक नैतिक्ता के साथ पूरा किया जा सके।

बी.आर.सी., बी.आर.पी.एस. का वर्ष २०१४-१५ का प्रशिक्षण :

बी.आर.सी., सी.आर.सी. समन्वय को , बी.आर.पी.एस. से अपेक्षित गुणवत्ता की सूची निम्न प्रकार से है जिसके अनुसार प्रशिक्षण को मजबूत करने की रुपरेखा होगी।

- शैक्षणिक नायकत्व
- शिक्षा के महत्व की समझ
- स्कूल के कार्यकलापों तथा उत्तरदायित्वों को समझना
- योजना तथा कानून कायदों की जानकारी
- आँकड़ों के विश्लेषण का कौशल्य
- रुपरेखा के लिए कौशल्य संपादन समन्वय तथा लागू करना, प्रतिमावों को जागृत करना तथा मिलान करना।
- प्रशिक्षण की जरुरतों को संवाद द्वारा पहचानने की योग्यता, शिक्षकों तथा आँकड़ो का विश्लेषण करना।
- स्कूल के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को समझना
- स्थानीय शैक्षणिक मुद्दों के प्रति जागरुक्ता।
- ग्रूप के गतिविज्ञान की समझ।

वर्ष २०१४-१५ के अंतर्गत हमने सी.आर.सी., बी.आर.सी.सी.ओ. और बी.आर.पी.एस. के लिए ३ दिनों का प्रशिक्षण ब्लोंक लेवल पर आयोजित किया था। इसका उद्देश्य बी.आर.सी., बी.आर.पी.एस., सी.आर.सी. समन्वय कों की क्षमता को मजबूत बनाना था.

सी.आर.सी., बी.आर.सी. समन्वयकों तथा बी.आर.पी.एस. का प्रशिण उनके कार्य, कर्तव्य तथा कार्यकलापों के अनुसार वर्ष २०१४-१५ में रखा गया।

जबसे नई पाठ्य पुस्तकें कक्षा १-५ तक वर्ष २०१४-१५ में निर्धारित की गई, सभी सी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा बी.आर.पी.एस. को नए अभ्यास पाठ्य पुस्तक सामग्री, विषय निर्धारित नए विषय तथा गतिविधि आधारित पढ़ाई को नई पाठ्यपुस्तक सामग्री के हिसाब से लागू किया है। सभी शिक्षक सहायक रीति से कर्मचारी वर्ग को सेवा सहायक तथा अध्य प्रशिक्षित किया जाएगा।

अब एस ए.डी.ई.पी.टी. लगभग २२०० स्कूलों भलिभाँति लागू किया जाएगा अगले वर्ष बी.आर.सी. समन्वयकों तथा बी.आर.पी.एस. की कामगीरी का सिद्धांत निश्चित कर लागू किया जाएगा। इसी प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा।

सी.आर.सी, बी.आर.सी. समन्वय को और बी.आर.पी.एस को श्रेष्ठता विधि तथा आश्रय के आधार प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य ने एसी मोनीटरींग टूथ बनाया है, जिससे कक्षा तथा स्कूल निरीक्षण के आँकडे एकत्रित कर ओन लाईन में दर्ज हो सके। आँकड़ों का विस्लेषण कम्प्यूटर स्वयं करेगा सी.आर.सी., बी.आर.सी. समन्वय तथा बी.आर.पी.एस को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें आँकड़ों के उपयोग तथा आगामी मुलाकात में क्या करना, उसका पता चल सके।

बी.आर.पी.एस. के प्रशिक्षण के लिए ३ दिन का है। तीन दिन की आवासीच प्रशिक्षण कार्यक्रम विशिष्ट विषय से ब्लॉक निष्णात व्यक्तियों के लिए आयोजित किया है। इस प्रशिक्षण का प्रधान लक्ष्य उन्हें उनके संबंधित विषय व निश्चित क्षेत्रों में मजबूत बनाना है, ताकि वे अपना कार्य प्रभावकारी रुप से स्कूल समुदाय में कर सकें। प्रशिक्षण की सामग्री नई पाठ्यपुस्तकों के द्वारा नई उर्जा पैदा करना तथा अभ्यासक्रम पाठ्यपुस्तक को लागू करना है। विषय केन्द्रित टोपिकस,

गतिविधि आधारित पढ़ाई, दूसरों को मददगार होना इसका उद्देश्य है।

मुख्याध्यापक का प्रशिक्षण :

- स्कूल हेडमास्टर / मुख्याध्यापक के प्रशिक्षण विधि एन.वी.ई.पी.ए., मोड्यूल पर स्कूल लीडरशिप प्रशिक्षण।
- स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम ३ जिलों (आणंद, अमरेली,डांग में लागू किया गया। ताकि उनके जिलों में ५० निष्णात लोगों ने १० दिनों का प्रशिक्षण दिसम्बर,२०१४ में डी.आई.ई.टी. के द्वारा पूर्ण किया।
- १६ दिनों का प्रशिक्षण मुख्य अध्यापकों के डी.आई.ई.टी. के माध्यम से आयोजित किया गया।

शैक्षणिक अवलंब तथा श्रेष्ठता विधि :

- राज्य के पास श्रेष्ठता स्कूल निरीक्षण तथा वर्ग निरीक्षण के लिए एक श्रेष्ठता विधि है। यह आधारित प्रयोजित, आँकड़ा स्वरुप उत्पन्न रिपोर्ट आधारित है। इस रिपोर्ट का विभाजन सी.आर.सी., बी.आर.सी. स्तर होता है। यह रिपोर्ट शिक्षक के वर्ग कार्य को दर्शाता है। राज्य गुणोत्सव का आयोजन इसे बढ़ाने के लिए करता है। जी.एस.एल.ए तथा सभी रिपोर्ट के आधार पर छात्रों की उपलब्धि प्रशिक्षण के प्रभाव को दर्शाती हैं।
- गुजरात स्टेट लेवल अविष में सर्वे हर वर्ष पूरेराज्य में प्रत्येक विषय तथा हरेक कक्षा का नीरीक्षण करता है। गुणोत्सव-११ में प्रत्येक बालक की अनुसरण विधि को दाखिल किया गया है। प्रति बालक अनुसरण की रिपोर्ट बनाई गई है। यह रिपोर्ट शिक्षक के वर्ग की कामगीरी, तथा विषय रुपसे स्कूलों की मुलाकात लेते है तथा वर्गो का निरीक्षण करते है। उनकी कामगीरी का एक जिला होन्ड होल्डिंग तता शिक्षकों को मदद करना है। इस प्रशिक्षण का आयोजन स्पिलीट पद्दति है, जिससे शिक्षक स्वयं के अभिगम को जान सको राज्य के जी.सी.ई.आर.टी. के समन्वय के लिए एक श्रेष्ठता यंत्र कला है। परे राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा राज्य स्तरीय अफसर के द्वारा किया जाता है। तथा वही अभिगम पत्र भी भरता है। अभिगमों की छानबीन एवं सहायता कर उसे जिले में और प्रगति के लिए भेजा जाता है।
- राज्य कक्षा के साधन मुद्दो को आई.ई. विभाग की गुणवात्ता के लिए उर्जावान/सीखने के मूल्यांकन, विशेषकर जीसीईआरटी/डी.आई.ई.टी. के कार्यकलाप के संबंध में गुणवत्ता सुधारना प्रक्रिया के द्वारा बी.आर.सी., सी.आर.सी. की प्रभावक्ता।
- श्रेष्ठता विधि की पहल, समन्वयकों तथा निरीक्षको की यंत्रकला एस.पी.ओ., राज्य स्तर को, राज्य की पद्धति के द्वारा लागू करना।
- एन.ए.एस. तथा एस.एल.ए.एस. के परिणामों को विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने के लिए राज्य के द्वारा लिए गए कदम।
- स्कूलों के लक्षणों तथा यन्त्रकला कि श्रेष्ठता विधि के पद्धति बनाना।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक :

कक्षा १-८ तक जिला शिक्षण समितियों तथा म्युनिसिपल स्लूक बोर्डो के द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियो को राज्य सरकार नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराती हैं। राज्य की एस.एस.ए के अन्तर्गत कक्षा ८ सभी विद्यार्थियों को राज्य की सरकारी स्कूलों तथा अनुदानित स्कूलों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपल्ब्ध कराती है। यहा उनीय है कि गुजरात सरकार पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन तथा वितरण सात भाषा माध्यमों (गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, सिन्धी तथा तमिल) में करती है।

10 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का प्रगति रिपोर्ट 2014-15								
		शिक्षको की संख्या	१ दिवसीय ब्लोक लेवल परिक्षण		३ दिवसीय ब्लोक लेवल परिक्षण		१० दिवसीय ब्लोक लेवल परिक्षण	
क्रमांक	जिला	लक्ष्य	लक्ष्य	व्यक्ति दिन	लक्ष्य	व्यक्ति दिन	लक्ष्य	व्यक्ति दिन
1	अहमदाबाद	7652	53564	51039	22956	21808	76520	72847
2	अमरेली	6227	43589	41534	18681	17747	62270	59281
3	आणंद	8323	58261	55541	24969	23721	83230	79235
4	बनासकांठा	16331	114317	108928	48993	46543	163310	155471
5	भरुच	5725	40075	38186	17175	16316	57250	54502
6	भावनगर	11499	80493	76698	34497	32772	114990	109470
7	दाहोद	12755	89285	85076	38265	36352	127550	121428
8	डांग	1891	13237	12613	5673	5389	18910	18002
9	गांधीनगर	5478	38346	36703	16434	15612	54780	52315
10	जामनगर	8252	57764	55288	24756	23518	82520	78807
11	जूनागढ	9664	67648	64749	28992	27542	96640	92291
12	खेडा	10470	73290	70149	31410	29840	104700	99989
13	कच्छ	9927	69489	66511	29781	28292	99270	94803
14	महेसाणा	8498	59486	56937	25494	24219	84980	81156
15	नर्मदा	3298	23086	22097	9894	9399	32980	31496
16	नवसारी	4514	31598	30244	13542	12865	45140	43109
17	पंचमहाल	13002	91014	87113	39006	37056	130020	124169
18	पाटन	6519	45633	43677	19557	18579	65190	62256
19	पोरबंदर	2259	15813	15153	6777	6438	22590	21573
20	राजकोट	9044	63308	60595	27132	25775	9440	86370
21	साबरकांठा	13890	97230	93063	41670	39587	138900	132650
22	सुरत	5933	41531	39751	17799	16909	59330	56660
24	सुरेन्द्रनगर	7993	55951	53953	23797	22780	79930	76733
23	तापी	4039	28273	27263	12117	11511	40390	38774
25	वडोदरा	11839	82873	79913	35517	33741	118390	113654
26	वलसाड	6175	43225	41681	18525	17599	61750	59280
27	अहमदाबाद (AMC)	4676	32732	31593	14028	13327	46760	44920
28	राजकोट (RMC)	1081	7567	7297	3243	3081	10810	10378
29	बड़ौदा (VMC)	1818	12726	12286	5454	5181	18180	17467
30	सूरत (SMC)	3721	26047	25117	11163	10605	37210	35723
	कुल	222493	1557451	1490703	667479	634105	2224931	2124809
							95.50	

बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. समन्वयकों की स्थिति तथा ब्लोक निष्णांत व्यक्ति बी.आर.सी., सी.आर.सी. समन्वय का तथा ब्लोक निष्णांत व्यक्तियों (बी.आर.पी.एस.) की मंजूरी सभी जिलो में निम्न प्रकार से है

क्रमांक	जिला	BRC	CRC	BRP
1	अहमदाबाद	11	155	55
2	अमरेली	11	120	55
3	आणंद	8	164	40
4	बनासकांठा	12	278	60
5	भरुच	8	129	40
6	भावनगर	11	171	55
7	दाहोद	7	174	35
8	डांग	1	42	5
9	गांधीनगर	4	95	20
10	जामनगर	10	194	50
11	जूनागढ	14	184	70
12	खेडा	10	211	50
13	कच्छ	10	232	50
14	महेसाणा	9	146	45
15	नर्मदा	4	84	20
16	नवसारी	5	103	25
17	पंचमहाल	11	274	55
18	पाटन	7	109	35
19	पोरबंदर	3	48	15
20	राजकोट	14	185	70
21	साबरकांठा	13	328	65
22	सुरत	9	137	45
23	सुरेन्दनगर	5	81	25
24	तापी	10	139	50
25	वडोदरा	12	238	60
26	वलसाड	5	133	25
27	अहमदाबाद (AMC)	5	43	25
28	राजकोट (RMC)	3	22	15
29	वडोदरा (VMC)	3	16	15
30	सूरत (SMC)	4	33	20
	कुल	**239**	**4268**	**1195**

ADEPTS गुणवत्ता सुधार की और

सन् २००७-०८ में गुजरात में शैक्षणिक कामगीरी को अध्याय आश्रय के द्वार आगे बढ़ाने की पहल की गई। ए.डी.ई.पी.टी.एस. का पुण्य आशय शिक्षा की उत्तमता को शिक्षकों की कामगीरी कों बेहतर आगेबढ़ाना है। राज्य के २४४ ब्लोंको में, २८५३ अध्यापकों के साथ, ४५६ स्कूलों में ए.डी.ई.पी.टी.एस. के द्वारा पहल की गई थी। बाद में इसे २७,१५२ स्कूलों तक पहुंचाया गया।

ए.डी.ई.पी.टी.एस. के कार्य कलापों का कार्यान्वन इनके द्वारा होता है।

- स्टेट कों टीम (एस.टी.सी.) - एस.एस.ए तथा जी.सी.ई.आर.टी.
- स्टेट फील्ड टीम (एस.एफ.टी) के द्वारा समान पदों का मूल्यांकन
- नेशनल कों कोर टीम (एन.सी.टी.) - एन.सी.ई.आर.टी. तथा एम.एच.आर.डी.
- एम.एच.आर.डी. की देखरेख तथा टेकनीकल सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट
- निष्णांत लोगो को विभिन्न स्तरों पर शामिल कर जैसे राष्ट्रीय समन्वयको तथा Ed. CIL के द्वारा विभिन्न स्तरो पर एन.सी.ई.आर.टी. Ed. CIL स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा S.S.A. के कर्मचारी गण, के nisef तकनीकी कर्मचारी, स्वतंत्र व्यावसायिक सलाहकार तथा टीम के सदस्य।

शिक्षकों की कमगीरी को निश्चित करने के लिए उनकी आश्रय पद्धति जैसे, सी.आर.सी.एस., बी.आर.सी.एस तथा डी.आई.ई.टी. भी आगे बढ़ाने का काम माथे लिया है।

अनुमान परिमाण संबंधी क्या शिक्षक :

- बच्चों को समझता है ?
- शिक्षा के माहोल की निर्मिती के कारणभूत बनता है। आशावादी नजरिये के लिए बच्चों संचालन क्लास रुपम पढ़ाई का इस्तेमाल करता है।
- अभ्यासक्रम तथा सामग्री को समझता है।
- प्रभावक शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- सामग्री का उचित प्रयोग करता है।
- सबके लिए शिक्षा तथा सब कें लिए कक्षा की बात के सर्जन के निश्चित करता है।
- अपनी बात को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करता है।
- बच्चों के साथ मिलता जुलता है।
- मूल्यांकन तथा जाँच से प्राप्त परिणामों को शिक्षा - सुधार कार्य करता है।

संस्थाकीय/संगठन संबंधी परिमाण क्या शिक्षक :

- व्यावसायिक उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही को दिखाता है।
- स्वयं का व्यावसायिक उद्धार करता है।
- आशावादी मनोवृत्ति के साथ अपने साथियों के एक टीम के रूप में काम करता है।
- परावर्तित अभ्यास के प्रति वचनबद्ध है।
- संचालन कार्यान्वित के कार्यक्रमो में शामिल होता है।

- भौतिक परिमाण जैसे : शिक्षा के स्वच्छ तथा कारणभूत वातावरण के लिए सहायता प्रदान करता है।

सामाजिक परिमाण :

- विद्यार्थी उनकी संस्कृति के संघर्ष में तथा उनके अन्य कार्यो से संबंधित बातों में निष्पक्ष रुप से महत्व देता है।
- अभ्यासक्रम की इतर प्रवृत्तियों को बढ़ावा, मूल्यों के विकास तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ाता है।
- साथी शिक्षकों तथा समुदाय के साथ मेलजोल से काम करता है।

शिक्षको से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं की कार्यवाही के मानदण्डों को जाँचें। उन्हें सौंपे गए परमाणो को समय बद्धता से पूर्ण करें। इस मूल्यांकन के पश्चात सी.आर.सी. समन्वयक स्कूल में जाएगा तथा उनकी कामगीरी का मूल्यांकन का आवश्यक्ता होगी तो सूचन, मार्गदर्शन देगा।

सन् २०१३-११४ के औसतन ६१.१६% राज्य के शिक्षकों ने परिमार्गो के विषय में अच्छा प्रदर्शन किया है। ज्यादातर जिलों में, ज्यादा से ज्यादा जिसकों ने भौतिक परिमाणो में श्रेष्ठ कामगीरी की है। औसतन ६४.४३% शिक्षको ने इस परिमाण में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका एक कारण संभवत: इसके कम मानदण्डों का होना है। राज्य के शिक्षको के लिए उनकी परिमाण संबंधी कामगीरी सुधारने के लिए अवसर हैं। जबकि शिक्षको की कामगीरी अन्य परिमाणो में, अमुक वर्षो में गणना पात्र सुधार किए हैं। यह थी देखा गया है कि परिमाणो संबंधी मामलों में शुरुआत में गिरावट आई परंतु बाद में इसके काफी सुधार हुआ। शिक्षको की कामगीरी के स्तर को ऊँचा उठाना।

- कामगीरी के स्तर को ऊँचा उठाने के लए विभिन्न परिमाणों से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। अध्यापकों के व्यक्तिगत स्तर की कामगीरी को और ज्यादा गतिविधियों से प्रकट किया जाता है।
- डी.आई.ई.टी तथा एस.एस.ए के सांझे से निर्मित जिला निश्चित योग्य मोड्यूल को तैयार करना इन मोड्यलों को व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों को संदर्भ सामग्री के रुप में दिया जाता है।
- ए.डी.ई.पी.टी.एस. के मार्फत जिला अध्यापन विद्या के समन्वय को प्रयत्नों को मजबूत करना।

गतिविधियाँ :

ए.डी.ई.पी.टी.एस. की धारणा को गुणवत्ता की उन्नति के वास्ते मुख्य कार्यक्रम के रुप में जबसे स्वीकार किया गया है, तब से स्कूलों के अच्छे उद्यमों, डी.आई.ई.टी.एस., बी.आर.सी. के समन्वय को तथा सी.आर.सी. के समन्वयको के द्वारा ए.डी.ई.पी. यथाचेत व्यवस्था की गई। गतिविधियों के अन्तर्गत डी.आई.ई.टी. के आदर्श स्कूल कार्यक्रम को लिया गया। गुणवत्ता के समूद्द को ए.डी.ई.पी.टी.एस. के लिए एक समान कामगीरी के स्तर पर रखकर, शिक्षकों से अपेक्षा की गई हैं। वे उन्हें प्राप्त करें।

अक्षयपात्र जो वास्तव में अखूट प्रचुर मात्रा का भोजन पात्र है। जो बच्चों को देने की आवश्यक्ता की पहल को कता सिखाता है। एक बड़ा बर्तन स्कूल में रखा जाता है। अनाज के दाने पक्षियों को खिलाए जाते हैं। कई बच्चे, जो पक्षियो का खाना लाते हैं, शनै: शनै: वे पक्षियों से प्रेम करना सीखते हैं और शाकाहार समर्थक हो जाते हैं।

आजका गुलाब एक गतिवित्वो है, जो बच्चों के स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत आरोग्यों पर जोर देता है। प्रात:कालीन सभा की पंक्तियों मे सबसे ज्यादा स्वच्छ बालक तथा बालिका को कक्षा १-८ की कक्षाओं में पहचानते हैं। उन बच्चों के समान पद् वाले बच्चे उनका स्वीकार करतें हैं। यह कार्य बच्चों को स्वयं को स्वच्छ साफ तथा निरोगी रखने के लिए उत्साहित करते हैं।

जन्मदिन मनाने की प्रथा :

मान्यता दिलाने में मददरुप होना है। बच्चों के जन्म दिनों को प्रात: कालीन सभा में मनाया जाता है। जन्म दिवस के प्रसंग पर विद्यार्थी को स्कूल गणवेश के स्थान पर कोई भी मनचाहे रंगीन वस्त्र पहनने के छूट दी जाती है। उनके मातापिता अभिभावको भी औपचारिक रुपसे स्कूल सभा में उपस्थित रहने का निमंत्रण दिया जाता है। कभी-कभी माता-पिता बच्चों में चाँकलेट बाँटते है या स्कूल को दान देते हैं। जन्म-दिवस मनाने की प्रथा ग्रामीण क्षेत्रमें आम नहीं है। आज का

दीपक कार्यक्रम स्कूल तथा समाज को पास लाने का काम करता है।

खोया पाया स्टोर : वास्तव में प्रिन्सीपल के कार्यालय अध्यापक कक्षा या स्कूल के बरामदे में रखा गया एक खुला बक्सा है। यदि किसी बच्चे को कोई हाथ घड़ी, पेन, पैसे, पर्स आदि स्कूल में मिलता है, तो उसे खोया पाया बक्से में जमा कर दिया जाता है, जहाँ खोने वाला अपनी वस्तु पा सकता है। यह कार्य बच्चों में सच के प्रति मूल्य का विकास करता है। बच्चे को एहसास होता है कि यह वस्तु मेरी नहीं है, भले ही मुझे मिली है, में इस पर स्वामित्व रखने उपयोग नहीं कर सकता।

इस गतिविधि के अतिरिक्त बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पहेलियाँ बूझने, प्रश्नोत्तरी तथा कहानी कथन से उनकी पढ़ाई मे चार चाँद लग जाते हैं।

उत्तम गुणवत्ता पेकेज के अतर्गत गतिविधियाँ जिन्हे ए.डी.ई.पी.टी.एस. के अनुकूल बनाया गया है वे है:

श्रुतलेखन तथा क्रियात्मक लेखन बच्चों की भाषा शुद्धि, पढ़ने तथा लिखने के कौशल्य को सुधारते है।

कक्षा का एक कोना बच्चों के खाली समय में कथा- पुस्तके पढ़ने के लिए रखा जाता है।

ज़ोर से बोलकर पढ़ना उनकी अभिव्यक्पि, संचार कौशल्य में बढ़ावा कर, उनके साहस को बढ़ाता है।

विद्यार्थी-दफ्तर : बच्चे की गतिविधियों का संकलन होता है। शिक्षक हरेक विद्यार्थी का दफ्तर बनाता है। चूँकि शिक्षक अपने ढंग से इसको बनाता है , अत: इसका रुप एक दूसरे स्कूल से अलग हो सक्ता है।

विद्यार्थी पार्श्वचित्र : जिसमें बच्चे की जानकारी की सूचना, फोटो, उपस्थि, दि रुचियाँ, सबलता और निर्बलता एवम् उन्नति रिपोर्ट का समावेश होता है।

प्रदर्शन पट्ट : प्रत्येक कक्षामें उपलब्ध काराया जाता है, ताकि बच्चों के कार्य कलापों का प्रदर्शन उस पर हो सके, जिससे वे ज्यादा शिक्षा प्राप्न करने प्रति प्रोत्साहित होते हैं।

आगे का रास्ता : सोफ्टवेर के विकास से, जहाँ आँकडो को सी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा संग्रह कर तथा रिपोर्ट को विभिन्न स्तरों तक पहुँचा जाता है, इससे ए.डी.ई.पी.टी.एस. की प्रक्रिया को लागू करना सरल हो जाता है। साथ ही इसके द्वारा निर्णायक तथा कामगीरी को लागू करने के तथा बी.आर.सी. समन्वयकारों, जो शिक्षकों को सहारा तथा उनकी कामगीरी का मूल्यांकन भी सरल बनता है। इसके अलावा यह ए.डी.ई.पी.टी.एस. कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होता है।

आर.टी.ई.-२००९ में सूचित, प्रत्येक बालक को निम्न सुविधाएँ देनी चाहिए :

- व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना
- उसके पढ़ने की गति के हिसाब से पढ़ाना
- विद्या-सामग्री तथा स्कूल बेग से मुक्ति
- कार्य-कलापों के द्वारा रमणीय पढ़ाई
- वह क्या पढ़ता है, उसे जानना तथा क्या पढ़ पाया उसे लिखना
- सीसीई को पूरा करना तथा निदान व सुधार को उपलब्ध कराना
- विषय के गतिरिक्त अंतरिक विकास के अवसर प्रदान करना
- स्कूल स्तर तक शिक्षा सामग्री मुहय्या कराना

आरटीई-२००९ के मार्गदर्शनानुसार, जून-२०१० से एबीएल मोडल को गुजरात में लागू किया गया है। इसे गुजरात में प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा लागू किया गया है।

अवस्था	स्कूल			शिक्षक			विद्यार्थी			घटक		
	कक्षा 1-2	कक्षा 3-4	कक्षा 5	कक्षा 1-2	कक्षा 3-4	कक्षा 5	कक्षा 1-2	कक्षा 3-4	कक्षा 5	कक्षा 1-2	कक्षा 3-4	कक्षा 5
अवस्था-1 (2010-11)	256	-	-	566	-	-	18484	-	-	306	-	-
अवस्था-2 (2011-12)	2330	256	-	5106	575	-	169567	19712	-	2798	308	-
अवस्था-3 (2012-13)	1170	2330	-	2680	5707	-	82928	187190	-	1525	2886	-
अवस्था-4 (2013-14)	3748	170	-	7616	3492	-	220694	94241	-	4278	1597	-
अवस्था-5 (2014-15)	8494	3742	484	15308	7354	610	45364	242309	20487	9374	4308	610
अवस्था-6 (2015-16)	4082	8494	0	6233	15155	-	164425	479419	-	4501	9725	-
कुल	20080	15992	484	37509	32283	610	1110462	1022871	20487	22782	18824	
कुल जमा					70402			2153820		42216		

- बी.आर.पी. प्रज्ञा की नियुक्ति राज्यके प्रत्येक लॉक में आश्रय तथा श्रेष्ठता पद्धति से प्रज्ञा प्रस्ताव के समर्थन में की गई है।
- प्रज्ञा प्रस्ताव से संबंधित साहित्य शीट में बताए अनुसार स्कूलों में लागू करने हेतु उपलब्ध कराई गई है।
- प्रज्ञा प्रस्ताव का प्रशिक्षण निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। सभी प्रज्ञा अध्यापकों को ०८ दिवस ब्लॉक लेवल तथा ४ दिवस क्लस्टर लेवल का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रज्ञा प्रस्ताव के अन्तर्गत आश्रयमुलाकात के दौरान प्रज्ञा कक्षा में काम करते हैं।
- आश्रय का काम प्रशिक्षण तथा समाधान के आदान प्रदान से पूर्ण किया जाता है।
- आकाशवाणी द्वारा आश्रय पाठों का प्रसारण

प्रज्ञा प्रस्ताव परिमाण :

- प्रत्येक बालक व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करता है।
- विषय की पढाई जो गुजरात में लागू की गई, उससे विद्यार्थियों को लाभ होना सिद्ध हुआ है।
- कक्षा १ और २ के विद्यार्थी स्कूल दफ्तर से मुक्त हो चुके हैं। कक्षा ३, ४ और ५ में मात्र गृहकार्य पुस्तकें तथा प्रोजेक्ट शीट जो अनिवार्य है, लागू की गई है।
- दैनिक प्रगति को दर्ज की जाती है तथा विद्यार्थी स्वयं, उनके अभिभावक तथा अध्यापक बालक की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सीसीई ने वास्तव में पूर्ण कर दिया है तथा निदान तथा उपाय के जल्द ही लागू किया जाएगा।
- प्रत्युत्तर देने वाले बच्चों को खोजा जा सकता है , तथा ऐसे बच्चों को आगे पढ़ने के अवसर प्राप्त हुए है।
- विद्यार्थियों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है।
- शिक्षा को श्रेष्ठ सामग्री तथा कक्षा के द्वारा शिक्षा दी जाती हैं।
- (रेनबो) सतरंगी गतिविधियों के द्वारा बच्चों के इस तथा भावभंगिना को जाना सकता है। इसके कारण उन्हें अपनी प्रतिमा को उजागर करने का मौका मिलता है।
- विद्यार्थियों को कार्य आधारित एवम् खुशनुभा शिक्षा प्रदान की जाती है।
- विद्यार्थियों को कक्षा में टी.एल.एम के द्वारा व्यक्ति गत पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ है।
- हरेक वर्ग तथा स्कूल की सफल गाथा पर ध्यान दिया गया।
- तीसरे पक्ष के द्वारा संशोधन को लागू किया गया।
- राष्ट्रीय तथा राज्य मंत्रियों, अफसरों तथा महानुभावो के द्वारा आवश्यक प्रेरणा तथा मार्गदर्शन दिया गया है।
- मुख्य-शिक्षक, शिक्षक बी.आर.सी.सी.एस, सी.आर.सी.सी.एस. तथा अभिवावको के अभिमत प्रज्ञा के पक्ष में लिए गए हैं।

अनुवर्ती कार्यवाही एक दिवसीय प्रशिक्षण से मासिक प्रगति रिपोर्ट की तुलनाभ्यास के द्वारा पूर्ण की गई है।

श्याम रंग मनो भावों के अनुसार अनुचित है,
परन्तु प्रत्येक श्याम-पट्ट विद्यार्थियों के जीवन में उजाला लाता हैं।

अध्याय -3

समुदाय की गतिशीलता

अध्याय -3 समुदाय की गतिशीलता

RTE अधिनियम २००९ का सेक्सन २१ सभी स्कूलों में स्कूल मेनेजमेंट कमिटी को गढ़न तथा तथा कार्यो को अनिवार्य बनाना है। मात्र अन-अनुदानित स्कूलों को छोड़कर के सदस्य प्रधानरुप से बच्चों के माता-पिता होंगे जिनके बच्चे का दाखिला उसी स्कूल में हुआ हो। ५०% समिति के सदस्य स्त्रियाँ होगीं। सेक्शन २२, एस.एम.एल. के द्वारा स्कूल डेवलेपमेन्ट प्लान (ए.डी.पी.) बनाने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार एस.एम.सी. से अपेक्षा है, कि वह स्कूल के कार्यो को श्रेष्ठता प्रदान करे, एस.डी.पी. का सूचन कर उसे आगे बढ़ाए तथा सरकार से प्राप्त अनुदान का उचित उपयोग करे अथवा स्थानीय सत्ता या अन्य किसी स्त्री के द्वारा एस.एम.सी. का गठन प्रत्येक दो वर्गों में होना चाहिए स्कूल व्यवस्थापक समिति (एस.एम.सी.) का गठन।

एस.एम.सी. का मुख्य कर्तव्य

एस.एम.सी. निम्न कार्य करेगी :

- सरकारी या स्थानीय सत्ता अथवा अन्य त्रोतों से प्राप्त अनुदान को स्कूल के कार्यो में श्रेष्ठता लाने तथा उसका उपयुक्त उपयोग करेगी। इसके अलावा दूसरे निर्दिष्ट कार्य भी करेगी।

स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना

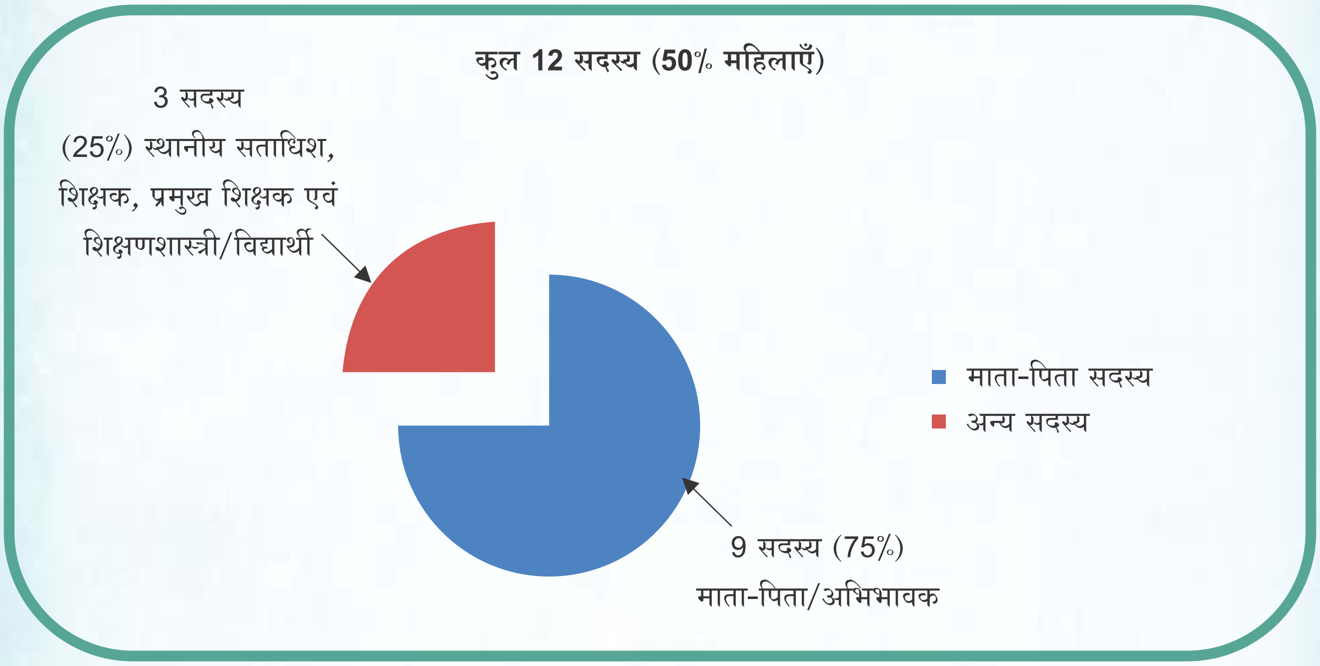

- प्रत्येक एस.एम.सी. स्कूल विकास रुपरेखा बनायेगा १ प्रत्येक SDP मानव संसाधन ने सूचनाओं का स्कूल के भौतिक आधार, शिक्षा की उत्तमता, समानता, स्कूल से बाहर बच्चों की शिक्षा, स्कूल व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

गुजरात राज्य में SMCs की स्थिति

क्रमांक	जिले का नाम	सरकारी स्कूल	संख्या SMCs की स्थापना
1	अहमदाबाद	905	905
2	अमरेली	798	798
3	आणंद	1056	1056
4	बनासकांठा	2323	2323
5	भरुच	935	935
6	भावनगर	1178	1178
7	दाहोद	1646	1646
8	डांग	627	627
9	गांधीनगर	1422	1422
10	जामनगर	1330	1330
11	जूनागढ	1716	1716
12	खेडा	1675	1675
13	कच्छ	1005	1005
14	महेसाणा	694	694
15	नर्मदा	741	741
16	नवसारी	2363	2363
17	पंचमहाल	817	817
18	पाटन	331	331
19	पोरबंदर	1349	1349
20	राजकोट	2467	2467
21	साबरकांठा	1030	1030
22	सुरत	1009	1009
23	सुरेन्द्रनगर	806	806
24	तापी	381	381
25	वडोदरा	2320	2320
26	वलसाड	997	997
27	अहमदाबाद (AMC)	450	450
28	राजकोट (RMC)	81	81
29	बड़ौदा (VMC)	285	285
30	सूरत (SMC)	105	105
	कुल	32842	32842

समुदाय प्रशिक्षण २०१४-२०१५ का विवरण :

- ने एस.एम.सी. प्रशिक्षण को Cascade ढंग से रुपादित किया है जिससे सभी एस.एम.सी. सदस्य उनके कार्य तथा उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर सकें। प्रशिक्षण पेके में विकसित मोड्यूल, सी.डी.एस. तथा टेलीकोन्फरेस का समावेश किया गया है। स्कूल के अध्यक्ष तथा शिक्षणविदों के द्वारा एस.एम.सी. को ब्लोंक लेवल तथा स्कूल लेवल के प्रशिक्षण से पहले ही तैयार किया जाता है वे प्रशिक्षक बनकर एस.एम.सी. के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं।

प्रशिक्षण की सामग्री में शामिल है।

- आर.टी.ई. अधिनियम, नामांकन कन्या शिक्षा को सुरक्षित करना, स्कूल का वातावरण उत्तम शिक्षण समावेशी शिक्षा स्कूल भवन तथा मरम्मत, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल विकास की रुपरेखा तथा एस.एम.सी.एस. में अनुदानों का विविरण।

  ३ दिवसीय स्कूल लेवल बिन आवासीय प्रशिक्षण (एस.एम.सी, सदस्य के लिए)

(SMCs सदस्यो के लिए 3 दिन की स्कूल स्तर की बिन-निवासी प्रशिक्षण)

क्रमांक	जिले का नाम	स्कूलो की संख्या	मौजूदा SMC की कूल संख्या	प्रशिक्षित किये जाने वाले सदस्य (स्तंभ 3 दिन x 6 सदस्य)
1	2	3	4	5
1	अहमदाबाद	905	905	5430
2	अमरेली	798	798	4788
3	आणंद	1056	1056	6336
4	बनासकांठा	2323	2323	13938
5	भरुच	935	935	5610
6	भावनगर	1178	1178	7068
7	दाहोद	1646	1646	9876
8	डांग	627	627	3762
9	गांधीनगर	1422	1422	8532
10	जामनगर	1330	1330	7980
11	जूनागढ	1716	1716	10296
12	खेडा	1675	1675	10050
13	कच्छ	1005	1005	6030
14	महेसाणा	694	694	4164
15	नर्मदा	741	741	4446
16	नवसारी	2363	2363	14178
17	पंचमहाल	817	817	4902
18	पाटन	331	331	1986
19	पोरबंदर	1349	1349	8094
20	राजकोट	2467	2467	14802
21	साबरकांठा	1030	1030	6180
22	सुरत	1009	1009	6054
23	सुरेन्द्रनगर	806	806	4836
24	तापी	381	381	2286
25	वडोदरा	2320	2320	13920
26	वलसाड	997	997	5982
27	अहमदाबाद (AMC)	450	450	2700
28	राजकोट (RMC)	81	81	486
29	बड़ौदा (VMC)	285	285	1710
30	सूरत (SMC)	105	105	630
	कुल	32842	32842	197052

टेलीकोन्फ रेन्स :

९ दिसम्बर, २०१४ को स्टेट लेवल टेलीकोन्फरेन्स को आयोजन किया गया। इसमें एस.एम.सी. के सदस्यों के द्वारा इस मीटिंग में एस.एम.सी. के आदर्श कर्तव्यों को प्रस्तुत किया गया। नवागाम प्राथमिक स्कूल जो जूनागढ़ जिले तथा जूनागढ ब्लोंक में है। इस स्कूल के एस.एम.सी. सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जिले से प्राप्त आँकडों के अनुसार इस टेली कोन्फरेंस में कुल ३,४०,९०३ एस.एम.सी. सदस्यों ने भाग लिया था।

2014-15 के दौरान SMC दूर-संवाद

टेलीकोन्फरेन्स की सभा का एस.डी.पी.के द्वारा निदर्शन

दूर-संवाद द्वारा **SDP** सभा का प्रदर्शन

SMC मोड्यूल - 2014-15

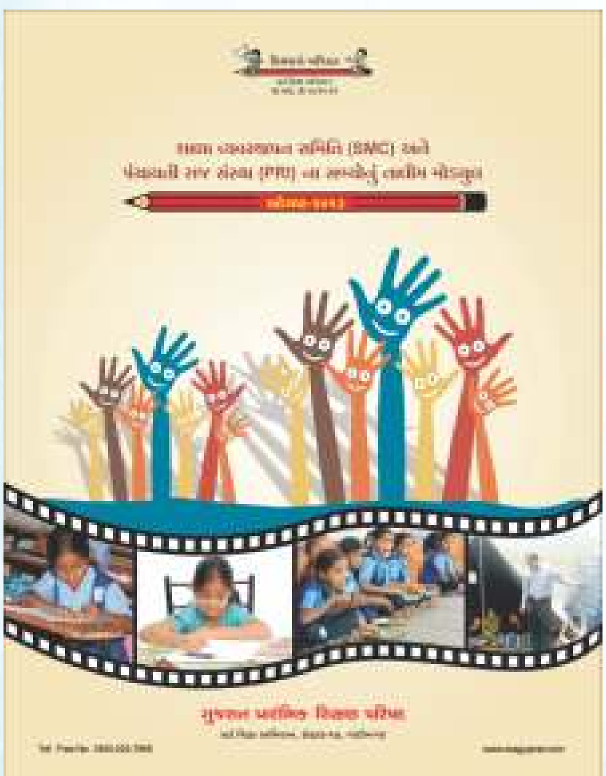

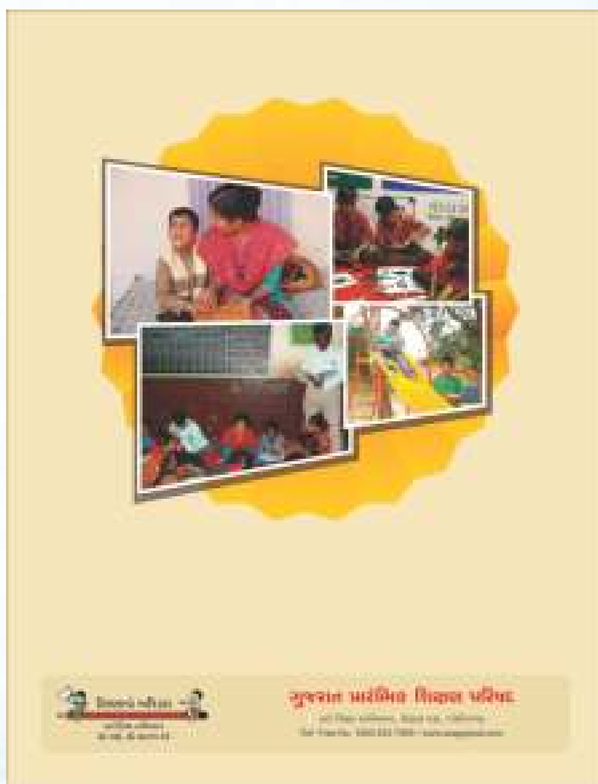

अध्याय –4

कन्या शिक्षा तथा के.जी.बी.वी.

अध्याय -4

कन्या शिक्षा तथा के.जी.बी.वी.

कन्या शिक्षा भारतीय संविधान की धारा १५ का समानता का अधिकार कन्या शिक्षा की दृष्टि को उजागर कर उसकी मूल योजना की रुपरेखा प्रस्तुत करता है तथा यह भी निर्दिष्ट करता है कि उसे किस उत्साह से लागू किया जाए।

इस नए ज्ञान को कन्या शिक्षा की राष्ट्रीय नीति १९८६ (१९९२ मे सुधार) के अन्तर्गत लागू किया गया था। जो स्त्री व कन्या शिक्षा के समग्र दृष्टियोग को लागू करता था। इसमे आनेवाली अड़चनों को महसूस कर इसकी प्राप्ति के लिए दूर किया गया इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति को मूल रुप से बदलना है।

नामाँकन मे जाति यथा दर्शन :

वर्ष २०१४-१५ में कुल ९१,४२,४५१ बच्चों का दाखिला प्राथमिक उच्च प्राथमिक विभाग मे तथा ३३,७७,७६९ को उच्च प्रथाममिक विभाग मे प्रवेश दिया गया। इसमें लड़कों से कन्या ६,९८,३८९ अधिक थी। प्राथमिक स्तर पर लड़कों लड़कियों को दाखिले का प्रतिशत क्रमशः ५३.२२% और ४६.७८% रहा। उच्च प्राथमिक विभाग में लड़कों लड़कियों का प्रतिशत क्रमश : ५४.८५% तथा ४५.१५% रहा। यदि दोनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विभागों का ध्यान पर लिया जाए तो बालक कन्याओं का नामाँकन का प्रतिशत क्रमशः ५३.८२% और ४६.१८% होगा जो मौजूदा सकारात्मक जाति नामाँकन को स्पष्ट करता है।

BRC एवम् CRC ब्लॉक निष्णांत व्यक्ति: BRC/CRC समन्वय को तथा ब्लॉक निष्णांत व्यक्तियों (BRPS) की मंजूरी सभी जिलो में निम्न प्रकार से है।

निम्नलिखित संख्या भी उसी को ईंगित करती है।

वर्ष	२०१३-१४
प्राथमिक	९६.९९
उच्च प्राथमिक	९५.७७
वर्ष	**२०१४-१५**
प्राथमिक	९७.९५
उच्च प्राथमिक	९८.६३

(Source: DISE)

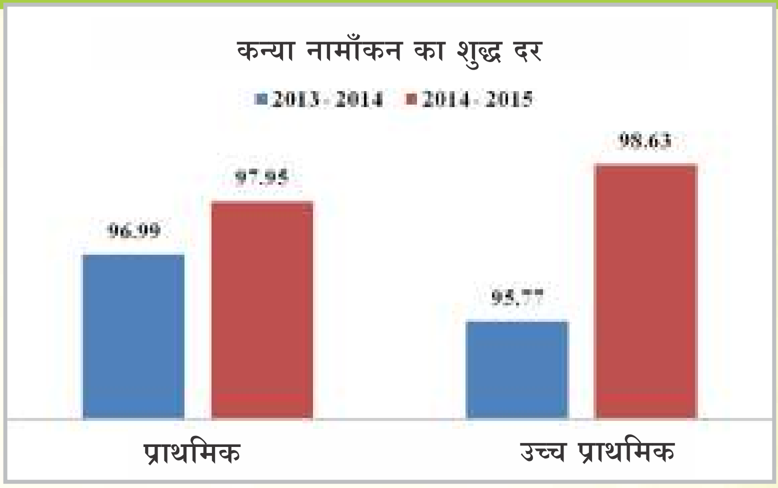

कन्याओं का समक्राक्षि दर (२०१४-१५)

कक्षा	सभी	एस.सी.	एस.टी.	मुस्लीम
५.६	९७.००	९८.७८	९२.९०	९६.११

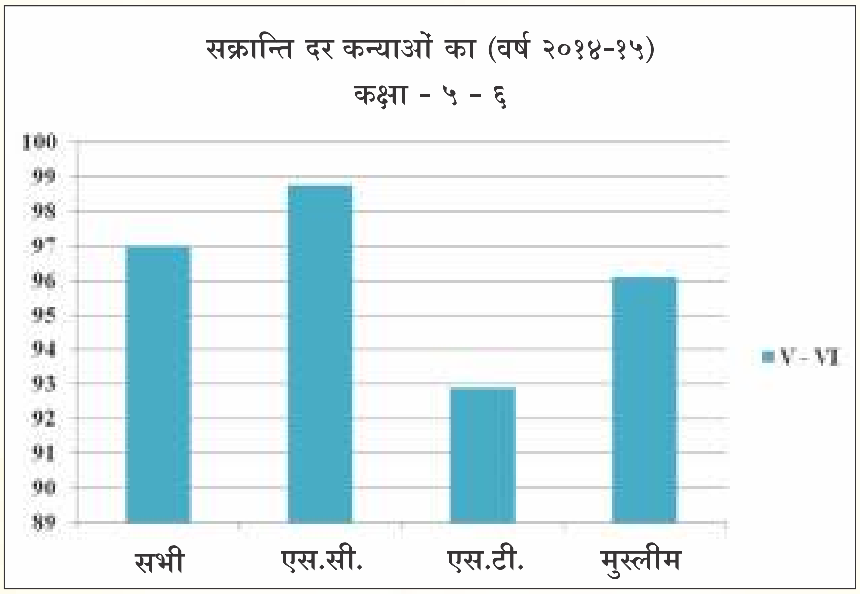

(Source: DISE)

कन्याओं का स्कूल से विमुख होने का दर

वर्ष	२०१३-१४
प्राथमिक	२.००
उच्च प्राथमिक	६.९१
वर्ष	**२०१४-१५**
प्राथमिक	१.९७
उच्च प्राथमिक	६.६१

(Source: DISE)

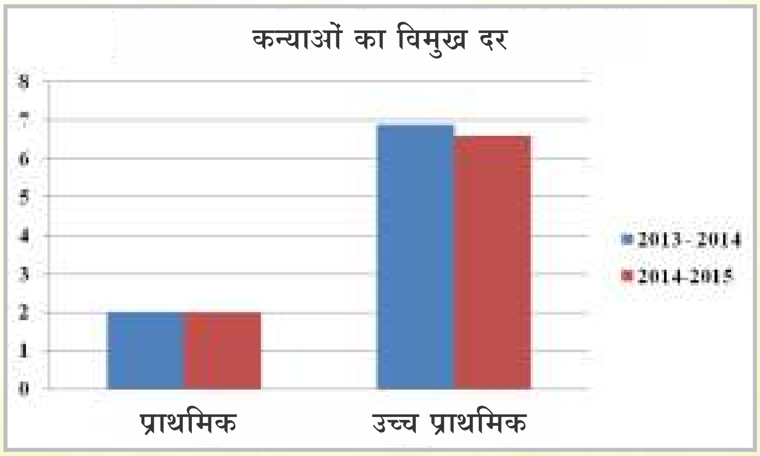

कन्या शिक्षा का कार्य कलाप जाति के हिसाब की जाँच

जातिगत उत्तरदायी पढ़ाई - लिखाई के वातावरण के लिए जाति हिसाब की जाँच एस.एस.ए. के द्वारा एक चेकलिस्ट से आँकी गई है। इस चेकलिस्ट में विभिन्न संकेतों को रखा गया है।

चेकलिस्ट द्वारा जातिगत उत्तरदायी शिक्षा के वातावरण को सभी डी.जी.सी.स, ब्लांक तथा क्लस्टर स्त्रोत समन्वयको के साथ बाँटा जाता है। जातिगत हिसाब हिसाब की जाँच को राज्य की २८७८० स्कूलों में व्यवहार में लाया गया।

चेकलिस्ट में सूचकों को मुख्यत: तीन रुपो में विभक्ति किया गया।

(१) स्कूल तथा कक्षा का भौतिक वातावरण

(२) स्कूल और वर्ग का शैक्षिक वातावरण

(३) शिक्षक छात्र के बीच संवाद तथा आध्यापन विद्या।

मुख्य अन्वेषणों का अमल किया जाता हैं। जातिगत पूर्वगत और स्वतंत्र वर्ग स्कूल के वातावरण तथा प्रशिक्षिण की आवश्यक्ता को अनुसरण के द्वारा पहचाना जाता है। ईसी प्रकार के हिसाब जाँच का कार्य अगले वर्ष भी किया जाएगा। निश्चित जिलों के सभी स्कूलों में जातिगत हिसाब की जाँच जातिगत इन्द्रियग्राह्यको उबारने का काम सभी जिलो करेगें।

कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय :

भारत सरकार के द्वारा के.जी.बी.वी. योजना अगस्त,२००४ को अमल में रखा गया था, ताकि उच्च प्राथमिक स्तर पर कन्याओं को आवासीय स्कीूलों में रखा जाए जो मुख्त: विभिन्न क्षेत्रों की एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., तथा अन्य संख्यक है।

कुल ८९ के.जी.बी.वी. ७४ एस.एस.ए के द्वारा तथा १५ महिला सामख्य के द्वारा संचालित है। जून, २०१४ से एस.एस.ए ने १५ के.जी.बी.वी को महिला सामख्य से अपने हाथो ले लिया है। राज्य में कुल कार्यरत के.जी.बी.वी. की संख्या ८९ है। ८९ के.जी.बी.वी. में से ४३ के.जी.बी.वी. मोडल- १ प्रकार के, २४ मोडल-२ प्रकार के तथा २२ के.जी.बी.वी. मोडल-३ प्रकार के हैं। कुल ६३४७ कन्याओं का समावेश भौतिक सिद्धि ९६% है।

के.जी.बी.वी के नामाँकन की कोटी के प्रकार स्थिति।

मोडल्स	प्रमाणित के.जी.बी.वी	कार्यरत के.जी.बी.वी	नामाँकन कन्याओं की संख्या					
			एस.सी.	एस.टी.	ओबीसी	जनरल	मुस्लीम	कुल
I	43	43	145	1507	1357	1074	30	4113
II	24	24	126	343	364	256	84	1173
III	22	22	151	88	554	245	23	1061
Total	**89**	**89**	**422**	**1938**	**2275**	**1575**	**137**	**6347**
% of enrolment			**6.65**	**30.53**	**35.84**	**24.81**	**2.16**	**96.16%**

कन्याओं के प्रकार :

नामाँकित कन्याओं की संख्या						
छोडने की दर	कभी नामाँकन नहि हुआ	अकेल अभिभावक की कन्या	अनाथ बच्चा	सीड्युल एस.एन	ज्यादा उम्रवाले	अन्य
२३१०	८२६	५६८	१६२	१०५	१२५	२२५१

जाति के प्रकार से कन्याओं की संख्या २०१४-१५

- १००% राज्यफंड के द्वारा २६ के.जी.बी.वी को उच्च शिक्षा की सुविधाओं तक पहुँचाया गयाहै।
- कुल ९७५ कन्याएँ २६ के.जी.बी.वी. में शिक्षा प्राप्त कर रही है। ३२३ बालिकाएँ कक्षा १० तथा ६५२ कन्याएं कक्षा - ९ में पढ़ रही हैं।
- शेष के.जी.बी.वी. की बच्चियों का नामाँकन आर.एम.एस.ए. मॉडल स्कूल तथा समाज कल्याण विभाग संचालित स्कूलों में किया गया है।

वर्ष २०१४-१५ में उच्च स्कूलों में गमन

कक्षा	९	१०
कन्याओं की संख्या	१४२०	१२४१

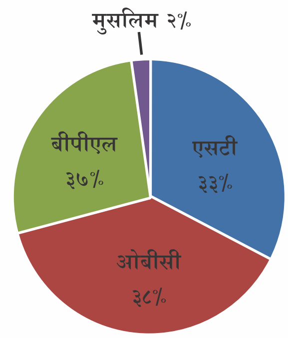

के.जी.बी.वी. में अध्यापकों की स्थिति :

आर.टी.ई. के अधिकार से कक्षा ८ को उच्च प्राथमिक विभाग में समाहित किया गया है। इस प्रकार वर्ष २०१०-११ से कक्षा ८ का प्रारंभ किया जा चुका है। स्नातक तथा शिक्षक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापकों को नियुक्ति की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर की गई। विज्ञान के शिक्षकों के साथ सभी विषयों में निश्चित अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। खण्ड कालीन शिक्षकों की भर्ती आर्ट तथा कम्प्युटर तथा योग के विषयों के लिए की गई है।

अद्यापको की क्षमता का निर्माण :

प्रशिक्षण सामग्री	अर्वाच्य	प्रशिक्षण प्राप्त करनेवालो की संख्या
विषयवार सामग्री संबंधित प्रशिक्षण को कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण के साथ जोडना।	७ दिन क्लास लेवल ३ दिन क्लस्टर लेवल।	३० पूर्ण कालिन शिक्षक तथा वार्डन / मुख्य शिक्षक।
के.जी.बी.वी. प्रशासनिक तथा संचालन प्रशिक्षण	दो दलो में एक दिन राज्य स्तर पर	१७८ के.जी.बी.वी., सीआरसी समन्वयक तथा वार्डन कम मुख्य शिक्षक
जीवन कला को दरोदाजा करने का प्रशिक्षण तथा कार्य शोध का संकलन	तीन दिनो में ३ दल राज्य स्तर पर	७० के.जी.बी.वी. अध्यापक तथा डिस्ट्रीक्ट जेंडर समन्वयक
क्षमता मापन कसोटी के परिणाम के द्वारा विषयगत सामग्री से कठिन स्थल प्रशिक्षण राज्य स्थल में मूल्यांकन गुणोस्तव के समान जिले के एस.आर.जी. सदस्यो तथा अध्यापन विद्या के साथ	३दिन मण्डल स्तर पर	२४५ के.जी.बी.वी. अध्यापक
के.एम.सी. के सदस्यो की कन्या गमन की युनिसेफ के द्वारा उच्च शिक्षा पर कार्य शाला।	राज्य स्तर की दो दिनो की	४० के.एम.सी. सदस्य
के.जी.बी.वी. वार्डन प्रशिक्षण स्पेश्यल आर्थिक माप दण्ड तथा प्राप्ति पर	दो दलो में एक दिन राज्य स्तर पर	१४६ के.जी.बी.वी. वार्डन कम मुख्य शिक्षक तथा लेखाकार

के.जी.बी.वी. भवन निर्माण प्रगति २०१४-१५

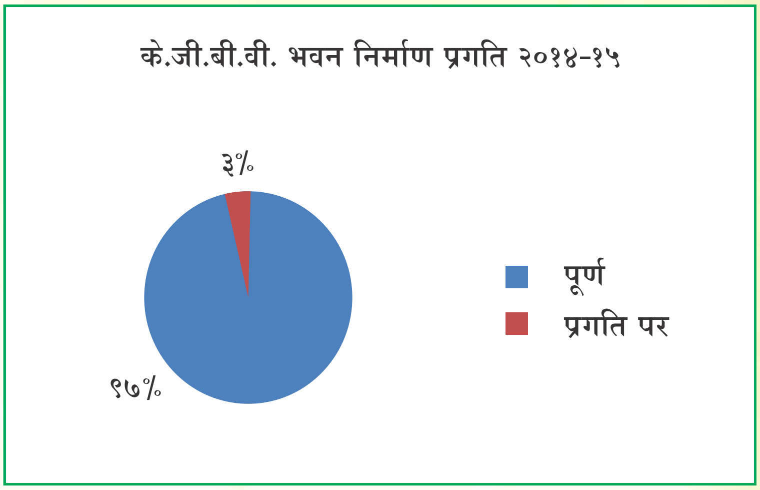

कार्य कलाप :

दक्ष जीवन कला प्रशिक्षण के द्वारा कन्याओं के जीवन कला प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को सहायता करना तथा अध्यापकों को जीवन कला शिक्षा से महसूस करवाकर मन में उतारना था। इसका कस लक्ष्य इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रदर्शन करना था। बहुत से के.जी.बी.वी. दूरस्थ स्थानों पर स्थापित हैं तथा उसमें सामाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़ी जाति के लोंगों के बच्चें पढते हैं। अधिकार प्रथम पीढी के शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन कौशल्य क्षमताओं के यवहार को एक समान करना है। यह छात्रों तथा व्यक्तिगत लोगों को प्रत्येक दिन की चुनौतियों तथा आवश्यक्ताओं को प्रभावी ढंग व्यवहार में ला सकेंगे। वर्ष२०१२ से २०१४ जीवन कौशल्य प्रशिक्षण ने के.जी.बी.वी. की कन्याओं अध्यापकों तथा जिला समन्वय कों जीवन में एक विशिष्ट परिवर्तन ला दिया है। यह उनके दैनिक व्यवहार तथा संवाद को उनके समकक्ष पद वाले तथा अध्यापकों के साथ देखा जा सकता है।

कन्याओं के विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पहल की शुरुआत अतिरिक्त निर्धारित पाठ्यक्रम तथा कौशल्यवर्धन के साथ लागू करना।

स्व-रक्षण प्रशिक्षण जैसे कि जूडो कराटे, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट, स्काउट गाइड तथा जूनियर एन.सी.सी. गुजरात राज्य के द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में भाग लेना आन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला, ब्लॉक तथा क्लस्टर स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेना।

स्पर्धा का स्तर	अन्तराष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिल्ला स्तर	ब्लोक स्तर	क्लस्टर स्तर
कन्याओं की संख्या	२	५३	२९४	७६७	१२५२	२२२५
गतिविधियों का नाम	कराटे	कराटे तथा तीरंदाजी	कराटे, उंची कूद, लंबी कूद, रस्सा खेंच, मारलि आर्ट	चेस, कबड्डी, दोड, झूडो, मारलि आर्ट	१०० मीटर दोड, २०० मीटर दोड,	चेस, कबड्डी, दोड, झूडो, मारलि आर्ट

गुजरात सरकार के द्वारा कन्याओं का के.जी.बी.वी. से उच्च शिक्षा की ओर के संचार के लिए नजर में सहाय ता आवास सुविधा को २६ के.जी.बी.वी. में शामिल किया है। तथा १० में भर्ती किया जाता है। बची हुई के.जी.बी.वी. की छात्राओं के शाला तथा अन्य आवासीय शालाएँ, जो समाज कल्याण तथा जनजाति निकास विभाग के द्वारा संचालित हैं , में समाया जाता है। उच्च स्कूल में पढ़ती तथा के.जी.बी.वी. में पढ़ती कन्याओं का रोज ब रोज का खर्चा गुजरात सरकार उठाती है। राज्य सरकार बड़े कमरों के निर्माण टोललेट (जहाँ अधिक स्थान उपलब्ध हैं) के लिए भी फंड उपलब्ध कराती है। फर्नीचर तथा अन्य खर्चों के लिए भी पैसा देती हैं।

सलाह सूचन का तरीका

मार्द दर्शन तथा क्षेत्र में सलाह सूचन

३) परिणाम (मूल्यांकन तथा निर्णय)

ए) गुणवत्ता के अनुसार कन्याओं की तुलना

गुणवत्ता प्रतिशत	ए (८०% से उपर)	बी (६५ से ७९ प्रतिशत)	सी (५० से ६४ प्रतिशत)	डी (३५ से ४९ प्रतिशत)	ई - ३५ प्रतिशत के निचे
अगस्त-२०१४	५%	३०%	३०%	२२%	१३%
मार्च-२०१५	७%	३८%	३१%	१७%	७%

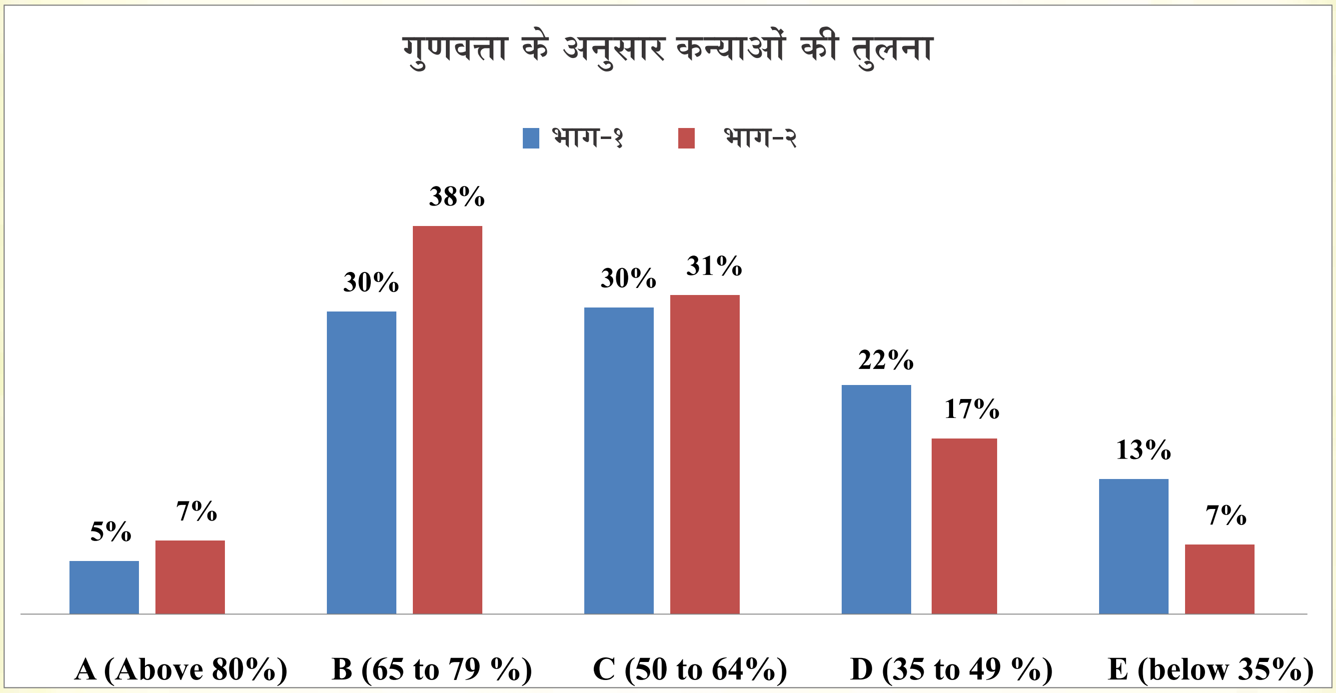

उपरोक्त तुलनात्मक ग्राफ का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि स्तर डी. तथा ई के विद्यार्थी कम हुए है तथा इसी प्रकार स्तर ए तथा बी में विद्यार्थी संख्या अधिक हुई है।

के.जी.बी.वी. शैक्षणिक कामगीरी के सुधार के लिए राज्य की पहल :

२१, अगस्त २०१४ को सभी के.जी.बी.वी. में राज्य के द्वारा कन्याओं के अभ्यास का मूल्यांकन किया गया। के.जी.बी.वी. की बालिकाओ की जरुरतें माँगही हूं, क्योंकी उनके विभिन्न पार्श्व धरातले जिन्होंने कभी भी नामाँकन और स्कूल छोडने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ, इसबात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगस्त २१,२०१४ तथा मार्च २०१५ को कक्षा ६ से ८ तक की सभी के.जी.बी.वी. कन्याओं का नवीन अभ्यास मूल्यांकन किया गया।

१. उद्देश्य :

(अ) के.जी.बी.वी. की कन्याओं की समग्र शैक्षणिक स्थिति (कक्षा तथा विषयानुसार)

- के.जी.बी.वी. की कन्याओं की समग्र शैक्षणिक स्थिति को समझना
- बालिकाओं की कक्षानुसार प्रगति पर ध्यान
- कन्याओं की विषयानुसार प्रगति पर ध्यान

(ब) एक.एक कन्या की शैक्षणिक स्थिति (कक्षा तथा विषयानुंसार)

- प्रत्येक बालिका की कक्षा तथा विषयानुसार शैक्षणिक स्थिति को दृष्टि में रखना।

(क) विद्यार्थिनियों की शैक्षणिक प्रगति की व्यूहरचना की रूपरेखा।

२. प्रक्रिया :

- जी.सी.ई.आर.टी. (एस.सी.ई.आर.टी.) के साथ एक सूत्रता
- डी.पी.ई.ओ. का संक्षेपण
- ईन्डेक्स बी. के साथ सुमेल
- जिलेवार तथा के.जी.बी.वी. के अनुसार प्रश्न पत्रों तथा ओ.एम.आर. शीट का राज्य दफ्तर से वितरण।

(ब) विषयानुसार तुलना।

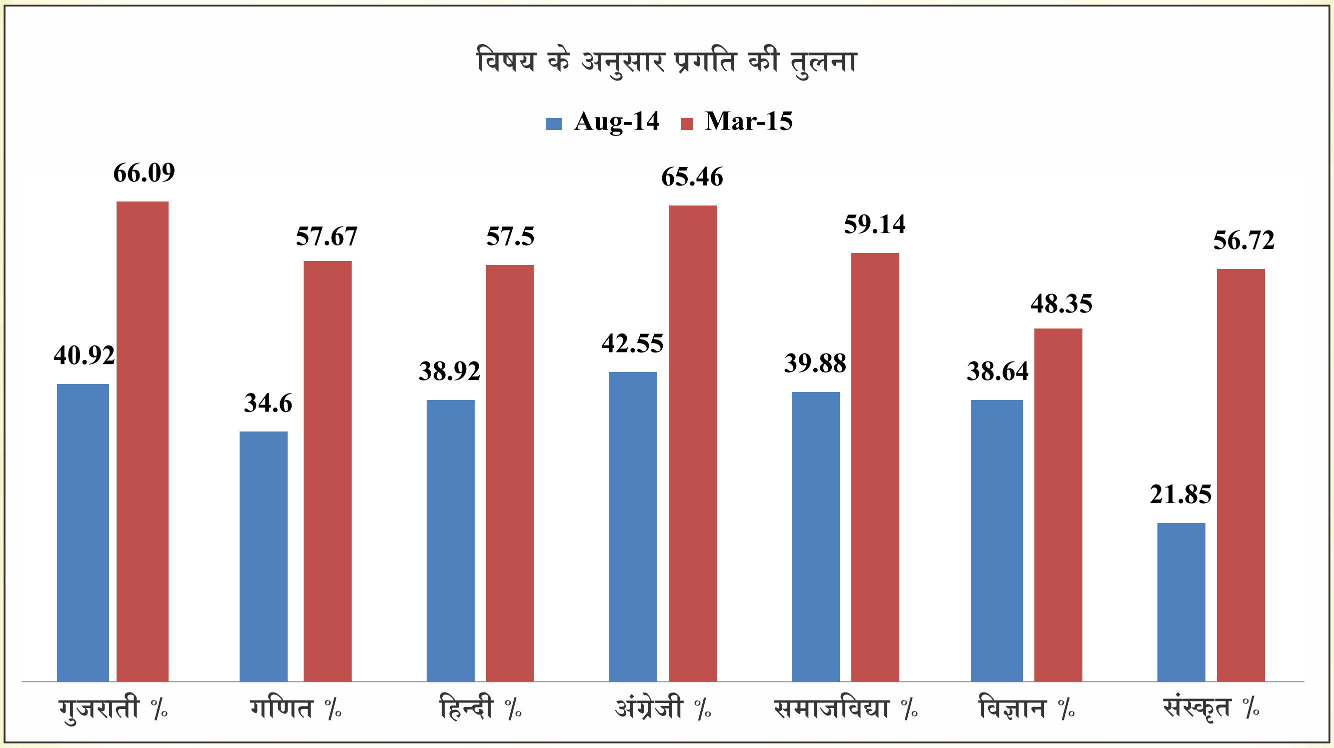

उपरोक्त निरूपण के आँकडो से ध्यान देने योग्य यह सामने आति है कि पिछले मूल्यांकन की अपेक्षा अब की तुलना में इस बार एक तथा प्रत्येक विषय में सुधार हुआ है।

के.जी.बी.वी. के मूल्यांकन की प्रेस विज्ञप्ति (इन्डियन एक्सप्रेस)

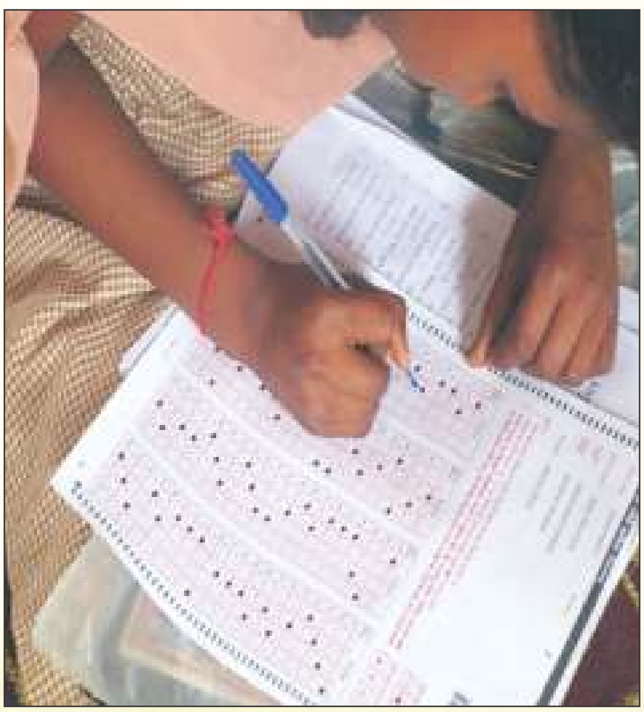

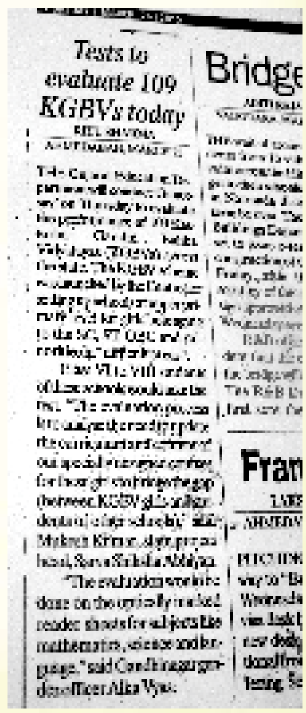

Tests to evaluate 109 KGBVs today

"The evaluation work will be done on the optically marked reader sheets for subjects like mathematics, science and language," said Gandhinagar district officer Alka Vyas.

केन्द्राभिमुख व्यूह रचना :

१. नियमित समयान्तर पर स्वाथ्य निरीक्षण NRHM-PHC/CHC के द्वारा।

२. के.जी.बी.वी के छात्रों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम सामग्री, विकास तथा राज्य स्तरीय मूल्यांकन।

३. आर.एम.एस.ए. मार्फत उच्चशिक्षा का संचार।

४. पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा सेतु तथा पुलिस पहरा।

५. के.जी.बी.वी. में वन विभाग के द्वारा बागबानी।

६. कन्याओं के लिए अलायदा बैंक खाते बैंको के द्वारा।

७. गुजरात के खेलकूद सत्ता विभाग के द्वारा सहायता।

८. युनिसेफ के द्वारा जीवन कौशल्य शिक्षण का प्रशिक्षण।

९. केर इंड़िया लिमिटेड के द्वारा कच्छ को शैक्षणिक आश्रय।

१०. ईन्डेक्स बी. के द्वारा के.जी.बी.वी. के शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑन लाईन विज्ञापन।

के.जी.बी.वी. योजना का टिकाऊपन :

गुजरात सरकार ने जी-के.जी.बी.वी. की शुरुआत की है । जी-के.जी.बी.वी.को ई.बी.बी. रहित ब्लॉको में कन्याओं की आवश्यक्ताओं की समस्या कों और गंभीर होने से रोकना है। यह १००% राज्यचित्र से चलती योजना है। २० जी-के.जी.बी.वी. मोडल ३ टाईप के स्कूलों को वर्ष २०१३-१४ में मान्यता दी गई है। नए भवन के लिए भूमि-ग्रहण हो चुका है। भारत सरकार के द्वारा नित्तीय नियम तथा दूसरे मापदण्ड बनाये जा चुके है। गुजरात ने पहले से ही के.जी.बी.वी. योजना को स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं।

कन्याओं का के.जी.बी.वी. से उच्च शिक्षा की ओर संक्रमण :

गुजरात सरकार के द्वारा कन्याओं का के.जी.बी.वी. से उच्च शिक्षा की ओर के संचार के लिए नजर में सहाय ता आवास सुविधा को २६ के.जी.बी.वी. में शामिल किया है। तथा १० में भर्ती किया जाता है। बची हुई के.जी.बी.वी. की छात्राओं के शाला तथा अन्य आवासीय शालाएँ, जो समाज कल्याण तथा जनजाति निकास विभाग के द्वारा संचालित हैं , में समाया जाता है। उच्च स्कूल में पढ़ती तथा के.जी.बी.वी. में पढ़ती कन्याओं का रोज ब रोज का खर्चा गुजरात सरकार उठाती है। राज्य सरकार बड़े कमरों के निर्माण टोललेट (जहाँ अधिक स्थान उपलब्ध हैं) के लिए भी फंड उपलब्ध कराती है। फर्नीचर तथा अन्य खर्चो के लिए भी पैसा देती हैं।

जिल्ला जुनागढ़

जिल्ला गिर सोमनाथ

विज्ञान मेले में शामील होना

के.जी.बी.वी. सुरेन्द्रनगर का पुस्तकालय

अध्याय -5

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय -5

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आर.टी.ई.. अधिनियम २००९ के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नियमो के द्वारा आयोजन किया गया है। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा ४ के निश्चित स्कूल बाहर के बच्चों के लिए आयु अनुसार प्रवेश के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखे हैं। ६ वर्ष के ऊपर के बच्चे जिनका किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं हो सका है या प्रवेश मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके है और स्कूल छोड चुके हैं। वैसे बच्चों को आयु आधारित स्कूलमें प्रवेश कराया जाता हैं ताकि के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें।

अधिकार स्कूल बाहर के बच्चे वंचित समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, मुस्लिम अल्प संख्यक, विचरतीजातियों के बच्चे काम करते बच्चे आदि होते हैं। आर.टी.ई. अधिनियम के स्कूल बाहर के बच्चों विकसित होने के लिए आयु के अनुसार कक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रवेश देता है। इसके संपूर्ण उद्देश्य आप के अनुसार प्रवेश के द्वारा उन बच्चों को अपमान तथा बड़े बच्चों में बैठने की झिझक से बचाता है। यह अधिनियम आयु उपयुक्त बच्चे को कक्षा प्रवेश के द्वारा बालक बालिका को प्रशिक्षण के द्वारा अन्य बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ प्रदान करता है। पूरे राज्य में इस प्रकार के बालको को एस.एस.ए के द्वारा पहचानने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है। एच.एच.एस के द्वारा आयोजित सर्वेक्षण नवम्बर दिसम्बर २०१३ में प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्ट के द्वारा किया गया था। इसका सर्वेक्षण जनजातियों ग्रामीण तथा शहरी, औद्योगिक व स्लम नमक की खाड़ियों, सहभोजन ईंटों के भट्टों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों तथा निर्माण-स्थानों पर किया गया है। सभी श्रेणियों के स्कूल बाहर के बच्चों तथा (CWSN) के बच्चों के लिए ही है। इस टोलफ्री का नंबर १८००-२३३-७९६ है। इस विशेष पहल को समाचार पत्रों तथा बसों के विज्ञापनों के द्वारा प्रचारित किया गया है, ताकी स्कूल बाहर के बच्चों का पता लगाया जा सके।

विशेष प्रशिक्षण का प्रयोजन जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के पूर्व ही स्कूल छोड चुके है, उन्हें एक निश्चित पहचान मिले जिनसे उन्हे उनका नामाँकन हो सके।

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है ?

यह एक सुविधा है, जिससे स्कूल बाहर बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा, व नियमित स्कूल तथा शैक्षणिक व भावनात्मक रुप से उन्हें दूसरे बच्चों के साथ जोडने के योग्य बनाती है। यह विशिष्ट प्रशिक्षण का आधार विशेषतः आयु के अनुसार पढ़ाई सामग्री को सत्ताधारी जी.सी.ई.आर.टी. तथा आर.टी.ई. अधिनियम २००९ के नियमों पर है।

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (३-मास)

यह एक स्कूल आधारित कार्यक्रम है, जिसे अप्रैल-जून २०१४ को के ६ से ८ वर्ष के आयुगृप के बच्चों, जिन्होंने एक वर्ष से कम समय में नामाँकन हो स्कूल छोडा था उनके लिए चलाया गया। बच्चों के प्रदर्शन व तरोताज मुलाकात के नियमो से बनाया गया है। कुल १३८३६ बच्चों को ईस कार्य के अन्तर्गत समाया गया था इसमें १००७० बच्चों का नामाँकन, प्रक्रिया के अन्तर्गत जून, २०१४ में किया गया था।

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (१२-मास)

इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल से बाहर बच्चे ९-१४ साल की है के लिए किया गया है। जिनका कभी भी नामाँकन नही हुआ था। छोडे एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, उन्हे इस कार्यक्रम में समावेश किया जाता है। मध्याहन भोजन प्रदर्शन मुलाकात, मेलों को प्रशिक्षण के दौरान आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल २७१७५ स्कूल बाहर के बच्चों का समावेश किया गया।

देशान्तर गमन करने वाले बालकों के लिए व्यूह रचना :

एस.एस.ए. गुजरात के माईग्रेशन मोनीटरींग सोफ्टवेर (MMS) तैयार किया है। जो ईन्डेक्स-बी की मदद से राज्य के भीतर तथा अन्तरष्ट्रिय देशान्तर करनेवाले बच्चों का पता लगाता है।

गुजरात राज्य में २६ जिले तथा ४ महानगर पालिकाए हैं। यहाँ १२ विशेष जिले तथा १२ जनजातियों के जिले हैं। ४५ ब्लॉकों के साथ लोगों की जीवन शैली सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता गुजरात में है। आदिवासी क्षेत्रों में कई बच्चे नियमित स्कूल में उपस्थित नहीं. होते, जबकि शहरी क्षेत्रो में स्लम क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं।

राज्य के देशान्तरगमन का पता लगाना :

अधिकतर कई परिवार अपने बच्चों के साथ एक जिले से दूसरे जिले में तथा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मौसम के अनुसार काल में अपने जीवन निर्वाह के लिए देशान्तरगमन करते हैं। कुछ जिले जैसे कि डांग, दाहोद, सूरत, नवसारी, नर्मदा, वलसाड, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, कच्छ, पंचमहल, वडोदरा से कई लोग आते हैं। ज्यादातर परिवार निर्माण- कार्यो; कृषि कार्यो नमक बनाने के कामो, ईंटो के भट्टों में, फैक्ट्री में, खनन कार्य मं तथा कुछ विचरती जातियाँ (Cageling) के लिए घूमती हैं। कुछ जिले प्राप्त करने वाले जिले है जैसे अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, जूनागढ, कच्छ, राजकोट, भावनगर। राज्य के भीतर की देशान्तरगमन की सूचनाए का विवरण तथा अनुगमन माईग्रेशन मोनीटरींग सोफ्टवेर (MMS) के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ऋतुकालीन हॉस्टल :

ऋतुकालीन हॉस्टल में राज्य के विचरती परिवारों के बच्चों का समावेश किया जाता है, देशान्तरगमन के समयतक। एम.एम.ए इन्हें पहचानने में काफी सहायक हैं, जो बिना सूचना, अनियमित देशान्तरगमन तथा विचरती जातियों के बच्चों से संबंधित हैं। २९७६१ देशान्तरित बच्चों को मूल रुप से ऐसे हॉस्टल्स में रखा गया था।

विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री :

इस प्रशिक्षण की सामग्री को SRG, DIET'S व्याख्यानों, GCERT के व्याख्यानों CRC समन्वय को, निवृत्त शिक्षकों के निष्णांत व्यक्तियों, तथा निष्णांत व्यक्तियों, विश्वविद्यालय के विभागों के व्यक्तियों के द्वारा विकसित किया गया है। १-६ कक्षातक की सामग्री का विकास किया गया है। जिसे २०१४-१५ में सुधारा गया था तथा हिन्दी अभ्यास सामग्री (वर्कबुक) को दूसरे राज्य के देशान्तरगमन बच्चों के लिए तैयार किया गया।

सलाह सूचन तथा प्रशिक्षण

राज्य के बच्चों के देशान्तरगमन के लिए एस.एस.ए. ने चालू वर्ष (२०१४-१५ में सलाह सूचन तथा देखरेख लिए विशिष्ट प्रशिक्षण किए, सहायक बल तथा सलाह सूचन प्रोजेक्ट सदस्यों के द्वारा किया गया।)

क्रमांक	समय खण्ड	लक्ष्यांक	व्याप	केन्द्रो की संख्या	बालक	कन्या	कुल
1	STP 3 Month	9807	10070	892	5157	4913	10070
2	STP 12 Month	25373	27175	2427	1546	1605	3151
3	STP लागू है	4661	3151	259	1546	1605	3151
4	OSC आवासीय हॉ.	815	705	25	467	238	705
5	ऋतुकालीन हॉ. स्थापना	28502	31158	998	17998	13160	31158

परिवहन/सहायक सुविधाएं :

परिवहन सुविधा के तहत प्रगति :

राज्य ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ एस.टी.पी. का पहुँचना कठिन है, वहाँ एस.टी.पी. के लिए परिवहन सुविधा का प्रावधान रखा है।

वर्ष २०१४ में कुल ७०७८९ बच्चों का लक्ष्य था। राज्य के द्वारा अनुमोदित प्रावधान के अन्तर्गत कुल ७६९९१ बच्चों का परिवहन सुविधा के अन्तर्गत समावेश किया गया। यह सुविधा वहाँ दी गई, प्राथमिक शाला पी.एस. की दूरी बच्चों के आवास से १.५ कि.मी. से अधिक है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल (UPS) के लिए जहाँ यह अंतर ३.५ कि.मी. से अधिक है। यह सुविधा ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को उपलब्ध की गई है। यह निर्णय उनकी आवश्यक्ताओं तो तथा कई लोगों को शामिल कर (प्रोजेक्ट, स्टाफ, शीक्षण को साथ रखकर कई सभाओं के बाद लिया गया। राज्य स्तर की मार्गदर्शिका तैयार कर उन्हें अप्रैल माह में (SMCS) तक पहुँचाया जाता है। इस विषय को अध्यापक प्रशिक्षण तथा (SMCS) प्रशिक्षण में भी सम्मिलत किया है। (SMCS) के द्वारा यह सुविधा सभी जिलों नगर पालिकाओं तक पहुँचाई जाती है। रिकार्ड के रश-रखाव, स्थानीय (RTO) के द्वारा मान्य वाहनों, अभिभावको से की सम्मति, चालक की माहिती तथा अन्य आवश्यक जानकारी को (H.M.) के प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है।

बच्चों की आवश्यक्तानुसार संबंधित एस.एम.सी. के द्वारा यह सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सी.आर.सी., बी.आर.सी.एस. समन्वयों के द्वारा प्रस्तावों को एकत्र कर दफ्तर भेजा जाता है। प्रस्तावों को मोटे तौर पर जाँचकर शाला (SMC) के द्वारा मान्यता दी जाती है। अनुदान को एस.एम.सी.एस. खाते में बांटा जाता है। एस.एम.सी. स्तर पर एस.एम.सी.एस. रिकार्ड को तैयार करता है।

वर्ष २०१४ की प्रगति।

बच्चो का लक्ष्यांक	बच्चों का समावेश की संख्या		
	बालक	कन्या	कुल
७०७८९	४०२७४	३६७१७	७६९९१
८७१९ (अधिक)	४२१८	४९१९	९१३७
कुल	४४४९२	४१६३६	८६१२८

अध्याय -6

बच्चों की विशेष जरुरतमंद के लिए समावेशी शिक्षा

अध्याय -6

बच्चों की विशिष्ट जरुरतों के लिए समावेशी - शिक्षा

स्कूल तथा गुणवत्ता आधारित बच्चों का समावेशी शिक्षा के लिए एस.एस.ए. के द्वारा समान अवसरों के लिए प्रयत्न किए गए हैं। स्कूल में उपर्युक्त आयु के बच्चों के नामाँकन के तुरन्त बाद, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक एस.एम.सी. के सदस्य स्कूलों में नियुक्त किए जाते हैं।

साधन सहाय दल को सशक्त करना : के लिए पूरे राज्य में आर.टी.एस., बी.आर.पी.एस. की नियुक्ती सभी ब्लॉको में की जाती है। ९३९ आर.टी.एस. तथा ४७८ बी.आर.पी.एस. को काम पर लगाया गया है। उपरान्त अत्यन्त दिव्यांग बच्चों के लिए आर.टी.एस. विशिष्ट प्रशिक्षित तथा योग्य लोगों को ब्लॉक स्तर, घर पर शिक्षा दिलाने के लिए अनुबंधित किया गया है। क्षमता को स्थाई करने के लिए ५ दिवसीय बहुमुखी स्तर का प्रशिक्षण तैयार किया गया।

प्रशिक्षण सुविधा को बढ़ाना :

सी.डबल्यु.एस.एन. प्रशिक्षण से संबंधित सभी बी.आर.सी. स्तर के साधन कक्षों को समुचित साधनों तथा सुविधाओं को समुचित रुप से सज्ज किया गया है। जैसे कि पूर्व कहा जा चुका है, प्रशिक्षण के लिए यथोचित स्टाफ रखा गया है।

रचनात्मक समावेशी स्कूल वातावरण के लिए उत्तेजन :

समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को लघु काल तथा दीर्घकाल प्रशिक्षण दिया जाता है। सी.डबल्यु.एस.एन. के वास्ते शिक्षकों को समावेश प्रशिक्षण दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के विचार को जानने के लिए माता-पिता तथा समुदाय के लोगों के प्रत्येक वर्ष इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। एस.एम.सी. का ढाँचा इस प्रकार का है कि अभिभावक प्रतिनिधि एस.एम. के सदस्य बना दिए जाते हैं। समावेशकों को समानपद के उत्तेजन के लिए पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शित करने के अवसर, खेल-कूद आदि को स्कूल स्तर पर आयोजित किया जाता है।

केन्द्राभिमुखता :

जिले स्तर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा सिविल अस्पतालों (स्वास्थ्य विभाग) के मेडीकल केम्पों का आयोजन केन्द्राभिमुखता के लिए किया जाता है। इसके लिए सी.डबल्यु.एस.एन. के द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा फ्री पास (बसों के लिए) उपलब्ध कराए जाते है। (CWSN) के लिए राज्य ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा स्कोलरशिप भी दिया जाता है।

दिव्यांग बच्चों का निरीक्षण :

सितम्बर,२०१३ में गुजरात के द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें १,०१,९२९ बच्चों को पहचाना गया था।

CWSN दिव्यांग बच्चों की स्कूल में कुल संख्या :

वर्ष २०१३-१४ के सर्वे के अनुसार ६-१८- वर्षीय १,०१,९२९ बच्चें का जिले स्तर की शालाओं में नामाँकन किया गया था।

क्रम	केटेगरी	खोजे गई संख्या	स्कूलों में सी. CWSN नामाँकन	CWSN की संख्या HBE के माध्यम से
1	LV	17479	16761	718
2	TB	4091	3734	357
3	HI	9280	8565	715
4	SI	7654	7258	396
5	OI	31657	30858	799
6	CP	10824	9661	1163
7	MR	20736	18578	2158
8	LD	2106	1726	380
9	MD	1610	685	925
10	ASD	4344	4103	241
TOTAL		109781	101929	7852

जिल्ला स्तरीय CWSN

क्रमांक	जिले का नाम	CWSN सं.	क्रमांक	जिले का नाम	CWSN सं.
1	अहमदाबाद	4372	17	पंचमहाल	5764
2	अमरेली	2993	18	पाटन	3256
3	आणंद	6410	19	पोरबंदर	930
4	बनासकांठा	6246	20	राजकोट	3232
5	भरुच	3217	21	साबरकांठा	4803
6	भावनगर	5262	22	सुरत	3514
7	दाहोद	4490	23	सुरेन्द्रनगर	4379
8	डांग	649	24	वडोदरा	6251
9	गांधीनगर	2393	25	वलसाड	2233
10	जामनगर	3159	26	अहमदाबाद (AMC)	5432
11	जूनागढ	5029	27	राजकोट (RMC)	1046
12	खेडा	3975	28	सूरत (SMC)	4541
13	कच्छ	5546	29	बड़ौदा (VMC)	2361
14	महेसाणा	3491	30	तापी	1275
15	नर्मदा	1852		कुल	109781
16	नवसारी	1680			

मूल्यांकन कैम्प : सी.डबल्यु.एस.एन. मूल्यांकन तथा मेडीकल सर्टिफिकेट कैम्पो का ब्लॉक स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सिविल होस्पिटलों सर्जनों कैम्पों का आयोजन पूरे राज्य में किया जाता है। एस.एस.ए. के द्वारा ओ.एच. तथा एच.आई. बच्चों के लिए भी मूल्यांकन कैम्पो को योजाजात है।

सहाय तथा साधन : दिव्यांग बच्चोंको साधन सहाय, उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। ओ.एच. तथा एच.आई. बच्चों के वास्ते कुल १६७ मूल्यांकन कैम्पो का आयोजन किया गया है तथा सभी जिलों ५१०७ (ओ.एच.) और ३६१० (एच.आई.) बच्चों को साधन सामग्री मुहय्या गई है। इसके अतिशक्त अन्य स्त्रोतो द्वारा ८७१७ बच्चों को साधन सामग्री मुहय्या गई है। इसके अतिशक्त अन्य स्त्रोतो द्वारा ८७१७ बच्चों को साधन सामग्री दी गई है।

आई.ई.डी. प्रशिक्षण : आई.ई. के अन्तर्गत निम्न प्रशिक्षण का आयोजन हुआ।

१. संपूर्ण राज्य में क्लास टीचर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया २,२२४९३ अध्यापकों को बच्चों की समावेश विशिष्ट जरुरीयात के वास्ते एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन।

२. १२०५० अध्यापकों को समावेश स्कूलों में समावेशी सी.डबल्यु.एस.एन. का ५ दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया कौशल्य वर्धन के लिए आई.ई.पी. तथा ५ पाठ्यक्रम संबंधी सी.डबल्यु.एस.एन. के एम.आर. बच्चों के लिए प्रशिक्षण।

३. ब्रेईन लिपि तथा संकेत भाषा तथा बहुस्तरीय १२९६ विशिष्ट अध्यापकों के लिए ५ दिवसीय प्रशिक्षण।

संपूर्ण राज्य में माता-पिता के प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें २०१२६ अभिभावकों प्रशिक्षित किया गया। जिसके विषय जीवन कौशल्य वर्धन, स्कूल गतिविधियाँ लाभ, शिक्षा तथा स्रोत कक्ष का महत्व।

स्रोत कक्ष : स्रोत कक्षों को संपूर्ण राज्य द्वारा सी.डबल्यु.एस.एन. की आवश्यक्तानुसार विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। विशेष आवश्यक्ता के लिए ब्लॉकलेवल पर २३९ स्रोत कक्षों को विकसित किया गया है, जिन्हें जी.एच.एस. (गु हियरिंग सिस्टम) स्वीच किट सज्ज किया गया है। महीने में ३-४ बार बच्चे स्त्रोतकक्ष में इसके यंत्रों का उपयोग करते हैं। सी.डबल्यु.एस.एन. बच्चों तथा उनके अभिभाव को यात्रा किराया दिया जाता है। स्रो कक्षों के द्वारा वास्तव में सी.डबल्यु.एस.एन.. को लाभ हुआ है। अभिभावक के प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन से बच्चों के व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास हुआ है।

परिवहन तथा सहायक भत्ता :

परिवहन तथा सहायक भत्ता चुकाया जाता है। इस वर्ष ५८६९ बच्चों को परिवहन भत्ता तथा ५९३२ बच्चों को सहायक सुविधा स्कूल में आने के लिए मुहय्या की गई। स्तरीय प्रगति निम्न प्रकार से है।

स्तर	परिवहन			सहायक सहायकी			कुल
	B	G	T	B	G	T	
MR	63	42	105	0	0	0	105
MD	2	2	4	6	5	11	15
CP	0	0	0	10	4	14	14
LV	238	206	444	257	194	455	899
TB	171	139	310	347	264	611	921
HI	394	351	745	223	186	409	1154
OI	561	355	916	533	368	901	1817
MR	1386	943	2329	1219	841	2060	4389
MD	293	207	500	438	300	738	1238
CP	305	211	516	444	289	733	1249
	3413	2456	5869	3477	2455	5932	11801

विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन : गुजरात में ब्लॉक तथा क्लस्टर लेवल पर विश्व दिव्यांग दिन को दिसम्बर २०१४ में मनाया गया, ताकि ऐसे बच्चों के प्रति जागरुक्ता लाई जा सको। एक सप्ताह तक पोस्टर स्पर्धा रैलियाँ, नाटक, गीत कविता, ब्रेल को पढ़ना-लिखना आदि कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। जी.ओ.जी. के फंड स्कूल स्तर पर मिति चित्र तथा के अनेक योजनाओं को एस.एस.ए के बजर के द्वारा पूर्ण किया गया। कुल १०७६१ स्कूलों को समाया गया।

अध्याय -7

मीडिया तथा दस्तावेजीकरण

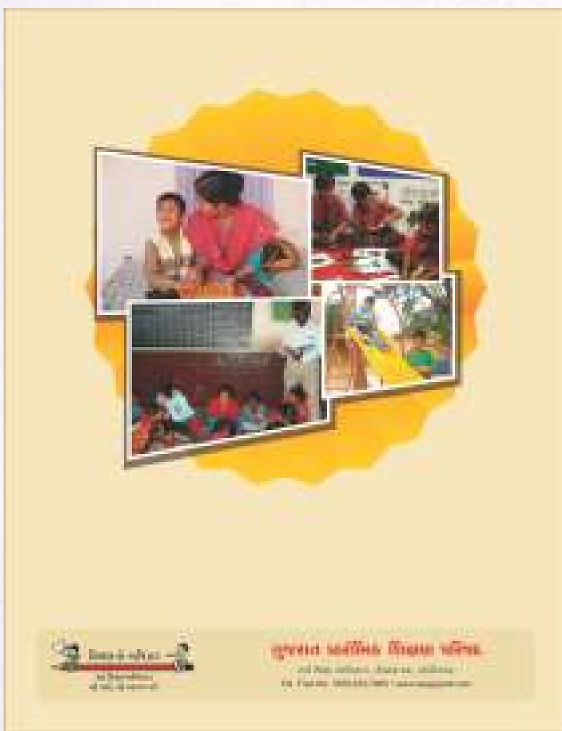

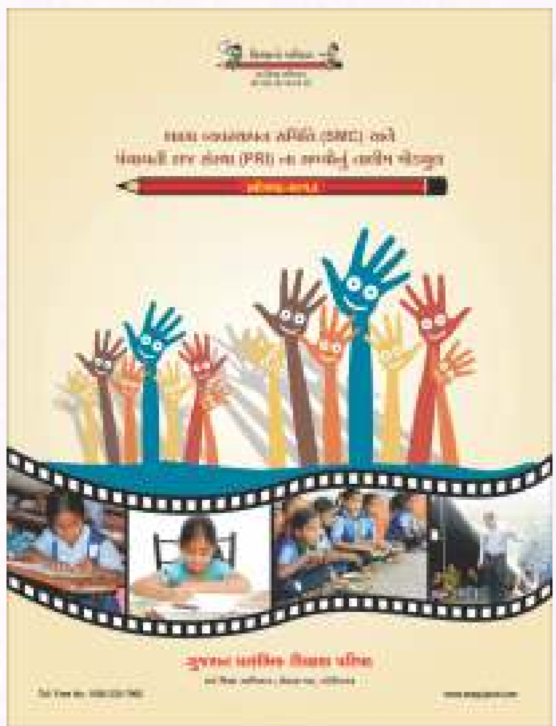

अध्याय -7 मीडिया तथा दस्तावेजीकरण

आर.टी.ई. अधिनियम के बाद लोक जागृति अभियान को प्रारंभिक शिक्षा के वैश्विकरण पर प्रकाश डाला गया। एस.एस.ए.ने समाज में अच्छा नाम कमाया तथा उनकी भागीदारी मूलाधार से प्राप्तकिया। इससे प्रोजेक्ट कार्यकक्षाओं में ठोस विश्वास उत्पन्न हुआ। दस्तावेजीकरण: निम्नलिखित दस्तावेज तथा प्रकाशन राज्य मीडिया तथा दस्तावेजी यूनिट के द्वारा एक वर्ष के दौरान तैयार किए गए।

समग्री का विकास तथा प्रचार प्रसार

(O.I.)IEC आर.टी.ई. अधिनियम से संबंधित सूचना शिक्षा प्रचार प्रसार संबंधी सामग्री के साथ पुस्तिकाएँ, एक पृष्ठ की पत्रिका केलेन्डर आदि को राज्य स्तर पर विकसित किया। इस गतिविधि को एस.एस.ए. गुजरात ने पूर्ण किया तथा समाज में भी वितरित किया गया।

०२. पोस्टर को शाला सी.आर.सी., ए.टी.पी., के.जी.बी.वी., डी.आई.ई.टी.एस. तथा डी.पी.सी. स्तर पर प्रदर्शित किया गया।

०३. टीवी. विज्ञापनों का विकास एस.एस.ए के घटका पर स्पॉट तथा डोक्यूमेटरी फिल्मों तथा डी.डी. गिरनार पर उसके प्रसारण तथा गुजरात के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे विकसित किया गया।

०४. **रेडियो विज्ञापन :** ऑल इडिया रेडियों के द्वारा स्पोट को तैयार कर राज्य की अमुक विचरती जातियों तक प्रसारण किया गया। एस.एस.ए अधिकारियों के साथ रिडियो वार्ता, शिक्षा मंत्री सचिव प्राथमिक शिक्षा तथा एस.एस.ए. डाहरेक्टर से भी राज्य में आर.टी.ई. को लागू करने पर चर्चा की गई।

०५. **बसों की साईदुं तथा पीछे चैनलों का विकास :** आर.टी.ई अधिनियम के प्रति जागृति तथा शाला प्रवेशोत्सव को जी.सी.आर.टी.सी. की २२५० बसो पर चैनलों को दर्शाया गया। प्रसिद्धि एक भाग रुप एस.एस.ए गुजरात की नवीन गतिविधियों जैसेकि टोल फ्री नं. गुणोत्सव, डी.आई.एस.ई की सूचनाओं आदि को विज्ञापनों के द्वारा समाचार-पत्रों में दिया गया। तथा प्रेस नोट जिसे सूचना विभाग को दिया गया था. तथा विभाग मुक्त में समाचार पत्रो में प्रसारे कर सके। अग्रिमता के स्तर पर। १००% प्रारंभिक शिक्षा के नामाँकन को प्राप्त करने विभिन्न गतिविधियों तथा प्रयासों के लिए प्रेस-नोट भी तैयार किए गए।

०६. माहिती पुस्तिका की छपाई तथा वितरण इसके अन्तर्गत अधिनियम की विशिष्ट मुद्दे, ज्ञान-सप्ताह, गुणोत्सव, एस.एस.ए के घटकों का समावेश किया गया है। माहिती पुस्तिकाओं एस.एम.सी. स्कूलों, सी.आर.सी., बी.आर.सी., जिलामे डी.आई.ई.टी.एस. आदि में वितरित किया गया।

०७. **केलेन्डर :** कुल ३.४८ लाख केलेन्डरों को तैयार कर स्कूलों सी.आर.सी., बी.आर.सी., यु,आर.सी. तथा एस.टी.पी. स्तर पर बाँटे गए।

०८. **सामूदायिक मेले :** ग्रामीण मेला समुदाय के सदस्यों से स्कूल की गतिविधियों में ज्यादा लोग मेले में शामिल हुए। मेले के खेल कूद प्रतियोगिताएँ, निबंध-लेखन प्रतियोगिता, विवाद प्रतियोगिता, कम्प्यूनिटी नेताओं के साथ खुला संवाद तथा सामूदायिक सदस्यों तथा माता-पिता भावकों को स्कूल बाहर के बच्चों का स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त के साथ एज्युकेश फन केर भी इसका हिस्सा रहा।

०९. **ऑल ईंडिया रेडियो के कार्यक्रम का प्रसारण:** रेडियो स्पॉट प्रोग्राम १५ मिनिट था। जिसके अन्तर्गत शिक्षा मंत्री महोदय का भाषण सचि व शिक्षा विभाग स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एस.एस.ए. का समावेश किया गया। प्रश्नोत्तरी सत्र एस.एस.ए समन्वयों के साथ तथा संवादात्मक समीक्षा हेड मास्टरों, शिक्षकों तथा स्कूल के विद्यार्थियों के साथ हुई कुल २० कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

१०. गिरनार (क्षेत्रीय चैनल) के द्वारा टीवी. कार्यक्रम डोक्यूमेंटरी फिल्म का निर्माण तथा प्रसारण के ३० मिनिट के १० कार्यक्रमों का तैयार किया गया आर.टी.ई. अधिनियम तथा एस.एस. के घटकों पर दस्तावेजी फिल्म को तैयार कर इसे ब्लॉकस्तर पर वितरित किया गया।

११. **विशेष ध्वनि रणकार टी.वी. तथा रेडियो के लिए :** २ ध्वनिकरण तथा आर.टी.ई गीत को शाला प्रवेशोत्सव तथा आर.टी.ई अधिनियम के के लिए तैयार किया गया जिसे स्थानीय टी.वी. चैनल गिरनार निजी चैनलों तथा ऑलइंडिया पर प्रसारित किया गया।

१२. स्कूल तथा क्लस्टर लेवल पर शिक्षादिवस को मनाना (ज्ञान सप्ताह १-५ सितम्बर) इसमें विद्यार्थीयो एस.एम.सी. सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों तथा ग्रामीण स्तर पर डेरी फेडरेशन यूनिट सदस्यों ने भाग लिया प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारणा के मुद्दों पर स्पर्धाएँ तथा वादविवादभी हुए।

१३. वीडियो कोन्फरन्स तथा टेलीफोनकोन्फरन्स प्रोजेक्ट अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए यह एक अच्छा प्रभावकारी साधन सिद्ध हुआ। एस.एस.ए. के विभिन्न यूनिटों के द्वारा टेलीकोन्फरन्सीस का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फरन्स का आयोजन १-५ सितम्बर, २०१४ को किया गया था।

१४. टीवी कार्यक्रम : के.जी.बी.वी. सिविल तथा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित टीवी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

१५. बी.आर.टी.एस. तथा सिटी बस आश्रय स्थान प्रसिद्ध के भाग रुप सिटी क्षेत्र में बी.आर.टी.एस. अहमदाबाद तथा सिटी आश्रय स्थान कोर्पोरेशनों पर विज्ञापनों को दर्शिया गया।

अध्याय -8

संचालन सूचना पद्धति

अध्याय -8 संचालन सूचना पद्धति (MIS)

जबसे सर्वशिक्षा अभियान के लिए गुणवत्ता को एक मुख्य सरकार तथा इसको एक लक्ष्य माना गया। इसके लिए उसके बोध को काफी महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए पह भी जरुरी है कि सभी स्कूलों की मुलाकात ली जाए तथा गुणवत्ता मुक्तसूचनों को समय समय पर एकत्र किया जाए, अपडेटीड, जाँच तथा विश्लेषण किया जाए ताकि एस.एस.ए. के लक्ष्यों की सिद्धि प्राप्त हो सके।

कार्यक्रम के लक्ष्यांकों तक पहुँचने के वास्ते डी.आई.एस.ई. (डिस्ट्रीक्ट ईन्फोर्मेशन सिस्टम फोर एड्युकेशन) का अस्तित्व २००३-०४ से है। डी.आई.एस.ई. हमें आधार भूत आंकडे प्रदान करता है, जिसका प्रयोग शैक्षणिक सूचनों को मूलरुप से जानने में सहायता मिलती है। जो सूचनाएँ निर्दिष्ट सूचकों से उत्पन्न होती है। वे योजना बनाने वालों तथा लागू करने वालों विभिन्न स्तरों पर जाँचने तथा मूल्यांकन में मदद देते हैं। जिससे कार्यक्रम का प्रभाव तथा हास्तक्षेप को जाना जा सके।

२०१२-१३ से डी.आई.एस.ई. को यू-डी.आई.एस.ई में परिवर्तित कर दिया गया है, जो माध्यमिक स्कूलो को भी समेटता है। एस.ई.एम.आई.एस. के सर्वे को अब बरख्वाति कर दिया है तथा उसी को समा लिया गया है। सभी कक्षा १-१२ शाला स्तरीय सूचनाओं को अब ष्ठद्घ्रस् में एकत्र किया जाता है। संचालन सूचना पद्धति युनिटों को एस.पी.ओ., डी.पी.ओ. तथा ब्लॉक लेवल कार्यालयों के सभी जिले पूरी तरह समुचित आधारभूत ढाँचे तथा मानव बल से चलाये जा रहे है।

एम.आई.एस.-२०१४-१५ में

- मान्यता / एवार्ड प्राप्त
- देशान्तरगमन बोध पद्धति को सितम्बर, २०१० में गुजरात में लागू किया गया, जिसे १७ कें जोइंट रिव्यू मिशन के द्वारा सराहा गया। यह देश में देशांन्तरगमन बच्चों के लिए सबसे पहला ऑनलाईन एप्लीकेशन है।
- जी.आई.एस. स्कूल मेचिंग नेशनल ई-गवर्नन्स एवार्ड २०१३ के अन्तर्गत सिल्वर एवार्ड के द्वारा राज्य सरकार के इस प्रयास को सराहा है। यह प्रसंशा पद्दति की व्यापक कामगीरी, एक निर्णायक सहाय पद्धति के रुप में प्रारंभिक शिक्षा की निश्चित प्राप्ति के लिए।
- वर्ष २०१४-१५ डी.आई.एस.ई. आंकडे जिलों के द्वारा उत्पन्न कर जी.ओ.आई., को भेजे गए। इन्हें ही राज्य, जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अंदिकारियों के साथ शामिल किया गया।
- जन बाँचन : एक विशेष प्रसंग जिससे सी.आर.सी., एस.एमस.सी. सदस्य स्कूल स्टाफ तथा ग्रामीण लोगों को एकत्र कर डी.आई.एस.ई. एक निश्चित स्कूल में सूचनाओं को आपस में बाँटता है। डी.आई.एस.ई द्वारा उत्पन्न स्कूल रिपोर्ट कार्ड को स्कूल में वितरण करता है।
- संपूर्ण राज्य केद बच्चों के अनुसार समेटता डेटाबेस आधार को लागू करना।
- एक योजना जिसे आधार इनेवल्ड का नाम दियागया, को बनवा २०१२ में शुरु किया गया। बच्चों का पथा लगाने पढ़ाई के परिणाम को धारण शक्ति तथा मूल्यांकन के संबंध मे जानना था।
- इसका लक्ष्य विद्यार्थी डेटाबेस के निभाव को ऑनलाईन कर बच्चे की सूचना को शीघ्र पहुँचा प्रदान करना है। साथ ही आन्तर्गत संकलन के साथ नामाँकन तथा शैक्षणिक डेटा को पहुँचाना भी है।
- बालक के अनुसार रिकोर्ड के साथ विद्यार्थी का माता-पिता का नाम जन्म तारीख, पता, तथा सरकार द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन तथा लाभ।

- १८ डिजिट्स की यूनीक आई.डी नंबर प्रत्येक बालक को संम्पूर्ण शैक्षणिक भावि पर नजर रखती पद्दति को लागू करना।
- सभी विद्यार्थीयों की प्रारंभिक पढ़ाई की पद्धति को इस विधि तहत समावेश किया गया है।
- इस पद्धति में प्रत्येक वर्ष, प्रवर्तमान रिकोर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है तथा कक्षा १ नए प्रवेशार्थियो के पद्धति के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।
- सरकारी प्रस्ताव ने पी.आर.ई-१४१४-४१९-के. के द्वारा अनिवार्यत: यूनिक आई.डी. सभी शैक्षणिक दस्तावेजो के लिए जैसे कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मायग्रेशन कार्ड आदि का समावेश।
- पद्धति की गतिशीलता के महत्त्व की जागृति के लिए अख़बारों में प्रेंस नोट को प्रकाशित करना कराना।
- वार्षिक कामगीरी प्लान तथा एस.एस.एस., आर.टी.ई., के.जी.बी.वी. के बजट तैयार करना।
- आधारित ऑन लाईन भर्ती प्रार्थना पत्र।
- शाला वंचित बच्चों के लिए ऑन लाईन सोफ्टवेर
- वेब साईट का ऑन लाईन अपडेशन
- विभिन्न संकेतकों डेटा उपलब्ध करवाना।

कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा कार्यक्रम :

- प्रारंभिक स्तर पर सरकार ने कम्प्युटर की सहायता से पढ़ाई पर समुचित ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों को कम्प्यूटर मुहय्या करवाई है। ताकि बच्चे उसका उपयोग कर उसके मार्फत पढ़ाई कर सके।

कम्प्युटर की सहायता से पढाई (CAL) का मुख्य उद्देश्य है :

- विद्यार्थियों तथा शिक्षको को कम्प्यूटर से जोड़ना
- विषय को कम्प्यूटर के द्वारा सीखना
- शैक्षणिक सोफ्टवेर का प्रयोग कठिन मुद्दों के लिए
- सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों जैसी शिक्षा उपलब्ध करवाना
- वर्ष २०१३-१४ तक कुल २०५०२ स्कूलों को कम्प्यूटर लेब की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
- पाठ्यक्रम आधारित कंम्प्यूटराईज्ड शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक स्कूल को मुहाय्या कराई गई है।
- यह कार्यक्रम काफी समीप से निदर्शित किया गया है, राज्य तथा जिला एम.आई.एस. के द्वारा।

अध्याय -9

आयोजन और संचालन

अध्याय -9

आयोजन तथा संचालन, शोध और मूल्यांकन यूनिट

वार्षिक कार्य का आयोजन तथा २०१४-२०१५ के बजट की है तैयारी

वार्षिक कार्य आयोजन व बजर २०१४-१५ को एक समीक्षा प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया गया। इसमें ग्रामीण सामूदायिक स्तर के ढाँचे को शामिल किया गया इस आयोजन में सूक्ष्म प्रयोग से काम लिया गया तथा भिन्न-भिन्न अभ्यासों को जिले तता ब्लॉक लेवल पर इसे अपनाया गया ईमेईल्स डेट २०१४-१५ के लिए प्रयोग कर व्यूहरचनाएँ विकसित की गई।

मुख्य पहल आयोजन और संचालन में

एस.एस.ए. वार्षिक कार्य आयोजन तथा वर्ष २०१४-१५ के बजट को निम्न मुख्य पहलों से बनाया गया था। ताकि गुजरातमें प्रारंभिक शिक्षा के वैश्विकरण का आरंभ हो।

- एस.एस.ए. गुजरात ने गुणवत्ता सलाह सूचन युक्तियों को प्रारंभिक स्कूलों के लिए बदला है। यह नया सलाह सूचन का तरीका अच्छा परिणाम् देगा। यह दूसरे राज्यों के लिए एक मोंडल साबित हो सक्ता है।
- सुषुप्त गुणों के उद्घाटन आश्रय तथा समाज को समाविष्ट करने सभी जिलों मे जागृति केम्पेन को और ज्यादा उत्साह पूर्ण बनाया गया। विगत अनुभव के आधार पर गतिशीलन व्यूहरचनाों को और भी तेज किया गया। धारण करने तथा गणवत्ता सुधार इस वर्ष के वार्षिक आयोजन के मुख्य क्षेत्र रहे।
- सामग्री आधारित शिक्षक प्रशिक्षण, जिसका समावेश डी.आई.ई.टी. या जी.सी.ई.आर.टी. के नियमित प्रशिक्षण में न हो पाई एक दूसरा केन्द्रित क्षेत्र था, जिसे अध्यापन संबंधी सुधारों नवीन भारपूर्वक साधा गया।
- शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, डी.आई.ई.टी.एस., बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. की क्षमता निर्माण पर अधिक भार दिया गया।
- मकानों की मरम्मत करवाकर, सिविल वर्क कार्यक्रम को आगेबढ़ा कर भवनों के निर्माण तथा क्लास रुमों को बी.ए.एल.ए. (Bulding As Learning Aids) के समीप लाना।

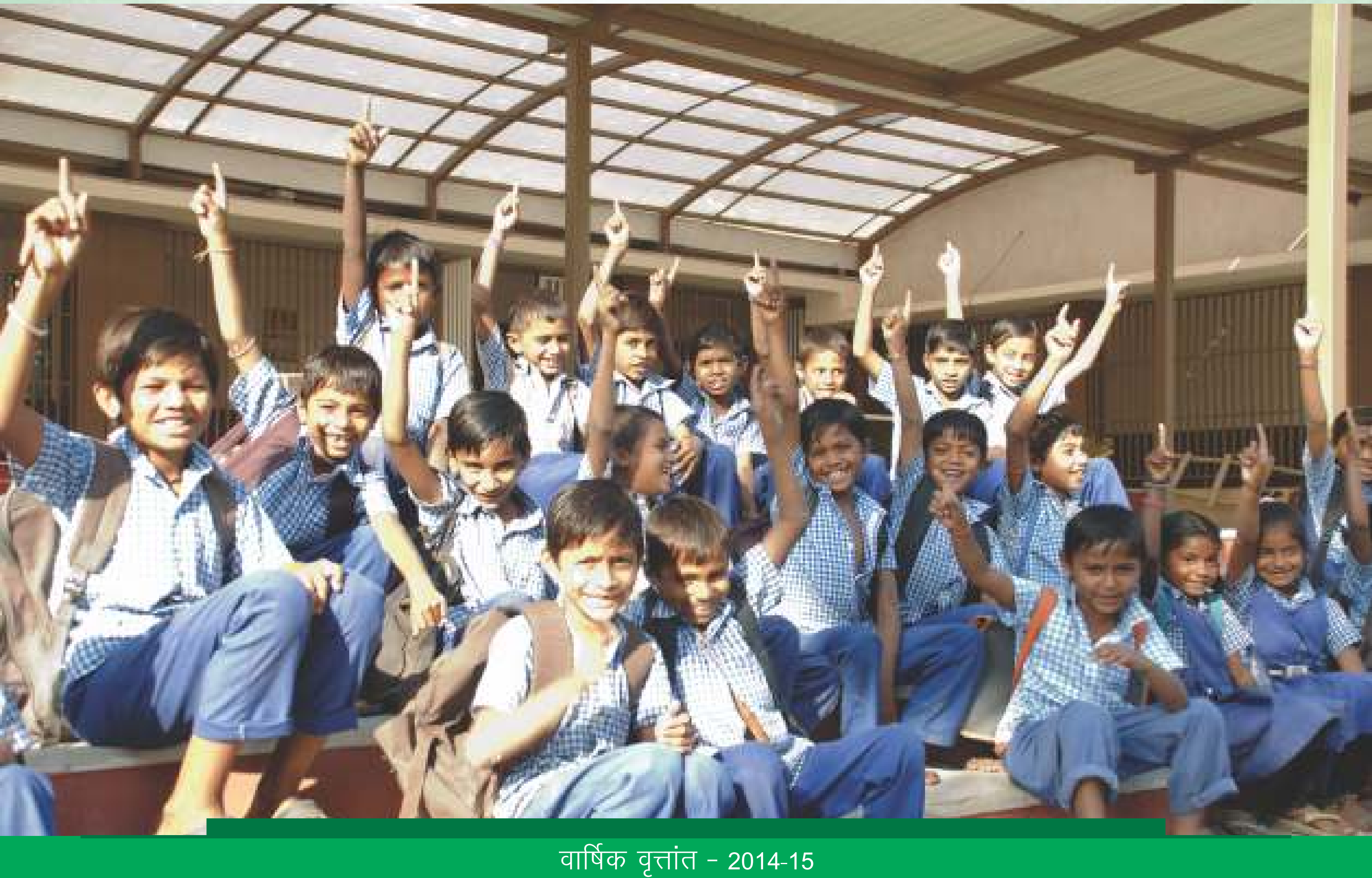

अध्याय -10

स्कुल के आधारभुत निर्माणका विकास
(Civil Works)

स्कुल के आधारभुत निर्माणका विकास
(Civil Works)

अध्याय -10

एस.एस.ए के अन्तर्गत स्कूल के आधारभूत निर्माण का तत्त्व काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रावधान बच्चों से स्कूल में आने तथा उन्हें रोके-रखने में आर.टी.ई. अधिनिय के लक्ष्य के अनुसार है, वे दोनों एस.एस.ए के ध्येय हैं। मूल भूत ढाँचे का विकल्प संसाधन केन्द्रों को सबडिस्ट्रीक्ट लेवल पर शैक्षणिक आश्रय के लिए सहायक है, जो गुणवत्ता सुधार के लिए मध्यस्थता का काम करता है। स्कूल का भवन एसा हो, जो बच्चे वे शिक्षक सरलता से उपयोग कर सकें तथा उसका निर्माण विभिन्न जरुरियातों के संवेदनात्मक समझदारी के साथ हो।

आर.टी.ई. की सारणी में इस अधिनियम के नियम तथा मापदण्ड स्कूल भवन के लिए बनाए हैं। स्कूल भवन सभी ऋतुओं के अनुकूल तथा एक कक्षा एक शिक्षक के लिए तथा ऑफिस - कम - स्टोर - कम हेड टीचर रुप, बिना रुकावट आना - जाना, अलग अलग शौचालय बालक बालिकाओं के लिए, स्वच्छ - सुरक्षीत पीने की पानी की व्यवस्था सभी के लिए, स्कूल भवन की सुरक्षा हेतु चारों और दीवार, एम.डी.ऐम. केलिए रसोई घर, खेल-कूद की सामग्री एक लायब्रेरी तथा टी.एल.एम.

गतिविधियाँ सम्पन्न की गई।

अधिक क्लास रुम

लड़को के शौचालय ब्लोक

लड़कियों के शौचालय ब्लोक

मुख्य डिजाईन मरम्मत

स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस के द्वारा नियुक्त स्थपत्य तथा सहायक स्थपत्य के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के मद्देनजर स्थापत्य डिजाईन को ध्यान में रख कर स्कूल भवन का निर्माण करना पड़ता है। वह डिजाईन भूकम्प तथा साईकलोंन प्रतिरोधक होना अत्यावश्यक है।

क्लासरुप की डिजाईन बालक केन्द्रित तथा अभ्यासक्रम सामग्री के प्रतिसंवेदनशील तथा गाँव के संदर्भ में होनी चाहिए, जहाँ स्कूल कार्यरत है। डिजाईन एसी हो, जहाँ दिव्यॉग बच्चे भी सरलता से स्कूल में आ-जा सकें। शौचालय का निर्माण भी एसा हो, जो दिव्यांगो के लिए सुविधायुक्त हो बच्चों के अनुकूलन आन्तरिक व बाह्यतत्व भी अनिवार्यत: शामिल सभी नए निर्माण तथा मरम्मत कार्यो कें लिए

लागू करने वाली एजेन्सी :

अधिकार सिविल वर्क्स के कामों को एस.एम.सी. द्वारा दिया जाता है इसके लिए कुशल ठेके दारों चाहिए जैसे कि मल्टीलेवल, क्लास रुम तथा के.जी.बी.वी. के लिए होते हैं। एस.एम.सी. स्थानीय मज़दूरों को कामदेती है, सामान खरीदती है तथा संपूर्ण निर्माण कार्य पर नजर रखती है। इस तरह समाज के द्वारा निर्माण स्वामित्व की भावना काफी अधिकतर उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य गावमें प्रायमरी शिक्षा के सर्वांगी विकास में समुदाय को लगाकर प्रगति करना है। इसके लिए ब्लॉक, जिले तथा राज्य स्तरों पर समुचित तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी गण की आवश्यक्ता होती है, जो एस.एम.सी. के साथ तकनीकी ड्राइंग तथा

अंदाज और गुणवत्ता सभर निरीक्षण करते हैं ।

एस.एम.सी. का प्रशिक्षण :

निर्माण कार्य के कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए स्कूल मेनेजमेंट कमिटी के सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ।

कार्यशुरु होने से पूर्व यह प्रशिक्षण लेना होता है तथा कार्य निर्माण के मध्य स्तर पर पहुँचता है तब भी ।

निरीक्षण, सलाह सूचन गुणवत्ता का विश्वास ।

- इंचीनियरों करार के आधार पर राज्य नियुक्त करती है । तथा ब्लॉक लेवल पर सलाह सूचन और निरीक्षण कार्य पर लगाता है । इंजीनियर एस.एम.सी. को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं ।
- डिस्ट्रीक प्रोजेक्ट इंजिनीयर, जो जिले स्तर पर नियक्त होते हैं, वे संपूर्ण जिले का काम देखते हैं । वह सप्ताह में एक बार सभी ब्लॉकों के इंजीनियरों के साथ मीटिंग कर जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा तथा प्रगति के लिए सलाह - सूचन करता है ।
- संपूर्ण राज्य की प्रगति के सलाह-सूचन तथा समीक्षा के लिए, सभी डिस्ट्रीक प्रोजेक्ट इंजिनीयरों की मासिक बैठक राज्य स्तर पर होती है । सिविल वर्क्स से संबंधित मुद्दों को मासिक बैठक में तय किया जाता है।
- कार्य की गुणवत्ता की जाँच के लिए अनेकबार डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट इंजिनीयर निर्माण कार्यस्थल की मुलाकात लेते हैं ।
- स्थपत्य सहायक की नियुक्ति संपूर्ण स्कूल विकास योजना के लिए जिल्ला स्तर पर की जाती है ।
- तकनीकी सज्ज व्यक्ति की नियुक्ति ब्लॉक लेवल पर की जाती है । जो संकूल में हो रहे निर्माण गतिविधियों पर देख रेख रखता है । प्रत्येक ४० से ५० स्थानों के लिए एक टी.आर.पी. नियुक्त किया जाता है ।
- राज्य ने एक सलाह सूचन दल (स्तुड्डद्धह्लह्वद्धड्डद्द ष्टद्गद्यद्य) का गठन सहायक इंजिनीयर के साथ किया है, जो समय समय पर स्थानों की मुलाकात लेकर कार्य की गुणवत्ता के सुधार के लिए अपने सुझाव देता है ।

सिविल वर्क्स का बाह्य मूल्यांकन (तीसरी पार्टी) :

- सिविल वर्क्स की तकनीकी अधिकृत जाँच तथा गुणवत्ता के वचन के लिए व्यावसायिक सलाह-सूचन कारों की सेवाएँ पारिश्रमिक देकर ली जाती हैं । ये प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के मापदण्डों को कायम रखने के लिए जन कार्य प्रगति पर होता है, तब निर्माण कार्य का निरीक्षण अफ़सर करते हैं । यदि कोई विसंगति भूल पाई जाती है तो तीसरी पार्टी अपने सुझावों तथा सुधार तरीकों से उस गलती को सुधारती है ।
- सलाह-सूचन कार स्वतंत्र रुप से भी निर्माण सामग्री की जाँच (फील्ड तथा लेबोट्री) कह उसकी रिपोर्ट एस.एम.सी. तथा इंजिनीयर को देता है ।
- कार्य पूर्ण होने पर कन्सल्टंट कंप्लीशन सर्टीफिकेट पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करता है ।

वर्ष २०१४-१५ में आधारभूत निर्माण कार्य :

वर्ष २०१४-१५ एस.एस.ए के अन्तर्गत आधारभूत निर्माण गतिविधियों के विस्तृत स्टेटस इस प्रकार है।

कार्य का नाम	कुल योजनाए	पूर्ण कार्यो की संख्या	प्रतिशत	कार्यो की संख्या	प्रतिशत
क्लास रुम	३५५१	३२४२	९१.३०	३०९	८.७०
बालक टोयलेट ब्लोक	९८३	९८०	९९.६९	३	०.३१
कन्या टोयलेट ब्लोक	१९६७	१९६३	९९.८०	४	०.२०
मुख्य मरम्मत	१०६	१०६	१००.००	०	-

अधिक क्लास रुम :

एस.एस.ए. के द्वारा इस वर्ष के दौरान अधिक क्लास रुमों के निर्माण का कार्यन्वीय पर लिया गया। ३५५१ के लक्ष्य के सामने ३२४२ अधिक क्लास रुमों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया, जबकि ३०९ क्लास रुमों का कार्य प्रगति पर था।

जिलेवार विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	जिले का नाम	बी.आर.सी.	सी.आर.सी.	बी.आर.पीय
1	अहमदाबाद	76	9	67
2	अमरेली	114	0	114
3	आणंद	124	12	112
4	बनासकांठा	281	61	220
5	भरुच	107	0	107
6	भावनगर	172	48	124
7	दाहोद	246	1	245
8	डांग	50	2	48
9	गांधीनगर	79	8	71
10	जामनगर	116	0	116
11	जूनागढ	185	60	125
12	खेड़ा	197	7	190
13	कच्छ	186	0	186
14	महेसाना	170	10	160
15	नर्मदा	67	0	67
16	नवसारी	71	0	71
17	पंचमहाल	212	6	206
18	पाटन	135	1	134
19	पोरबंदर	39	10	29
20	राजकोट	148	5	143
21	साबरकांठा	167	23	144
22	सूरत	135	3	132
23	सूरत कोर्पोरेशन	46	0	46
24	तापी	61	0	61
25	सुरेन्द्रनगर	75	11	64
26	वडोदरा	137	16	121
27	वडोदरा कोर्पोरेशन	22	14	8
28	वलसाड	133	2	131
	कुल	**3551**	**309**	**3242**

टोयलेट ब्लॉक्स :

वर्ष दरमियान १९६७ कन्या एवम् ९८३ बालक टोयलेट ब्लॉक निर्माण का लक्ष्य था। जिसमें से १९६३ कन्या तथा ९८० बालक टोयलेट ब्लॉकों को पूर्ण किया गया, जबकि कन्या टोयलेट ४ तथा बालक टोयलेट ३ का कार्यप्रगति पर।

कन्या टोयलेट ब्लॉक					बालक टोयलेट ब्लॉक		
क्रम	जिला	लक्ष्यांक	प्रगतिपर	पूर्ण	लक्ष्यांक	प्रगतिपर	पूर्ण
1	अहमदाबाद	160	0	160	70	0	70
2	अमरेली	72	0	72	25	0	25
3	आणंद	99	0	99	40	0	40
4	बनासकांठा	148	4	144	46	3	43
5	भरुच	35	0	35	29	0	29
6	भावनगर	150	0	150	100	0	100
7	दाहोद	76	0	76	22	0	22
8	डांग	20	0	20	0	0	0
9	गांधीनगर	79	0	79	28	0	28
10	जामनगर	91	0	91	60	0	60
11	जूनागढ़	86	0	86	28	0	28
12	खेड़ा	49	0	49	32	0	32
13	कच्छ	97	0	97	79	0	79
14	महेसाना	91	0	91	37	0	37
15	नर्मदा	23	0	23	28	0	28
16	नवसारी	38	0	38	39	0	39
17	पंचमहाल	77	0	77	33	0	33
18	पाटण	51	0	51	22	0	22
19	पोरबंदर	10	0	10	5	0	5
20	राजकोट	75	0	75	31	0	31
21	साबरकांठा	53	0	53	38	0	38
22	सूरत	46	0	46	26	0	26
23	सुरेन्द्रनगर	135	0	135	69	0	69
24	तापी	26	0	26	23	0	23
25	वडोदरा	137	0	137	54	0	54
26	वलसाड़	43	0	43	19	0	19
	कुल	**1967**	**4**	**1963**	**983**	**3**	**980**

मुख्य मरम्मत :

वर्ष के दौरान एस.एस.ए के अन्तर्गत स्कूल भवनों की मुख्य मरम्मत का काम किया गया। लक्ष्यांकित सभी १०६ मुख्य मरम्मत के कार्यों को पूर्ण किया गया।

मुख्य मरम्मत				
क्रमांक	जिला	लक्ष्याँक	प्रगतिपर	संपूर्ण
1	अहमदाबाद	4	0	4
2	अहमदाबाद कोर्पो	4	0	4
3	अमरेली	4	0	4
4	आणंद	6	0	6
5	बनासकांठा	8	0	8
6	भरुच	7	0	7
7	भावनगर	5	0	5
8	दाहोद	4	0	4
9	गांधीनगर	3	0	3
10	जामनगर	4	0	4
11	जूनागढ	3	0	3
12	खेड़ा	3	0	3
13	कच्छ	3	0	3
14	महेसाना	3	0	3
15	नर्मदा	2	0	2
16	नवसारी	3	0	3
17	पंचमहाल	5	0	5
18	पाटन	4	0	4
19	पोरबंदर	3	0	3
20	राजकोट	4	0	4
21	साबरकांठा	5	0	5
22	सूरत	3	0	3
23	सुरेन्द्रनगर	4	0	4
24	तापी	3	0	3
25	वडोदरा	4	0	4
26	वलसाड	5	0	5
	कुल	**106**	**0**	**106**

सर्व शिक्षा अभियान

गुजरात

वार्षिक अहेवाल २०१४-१५

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

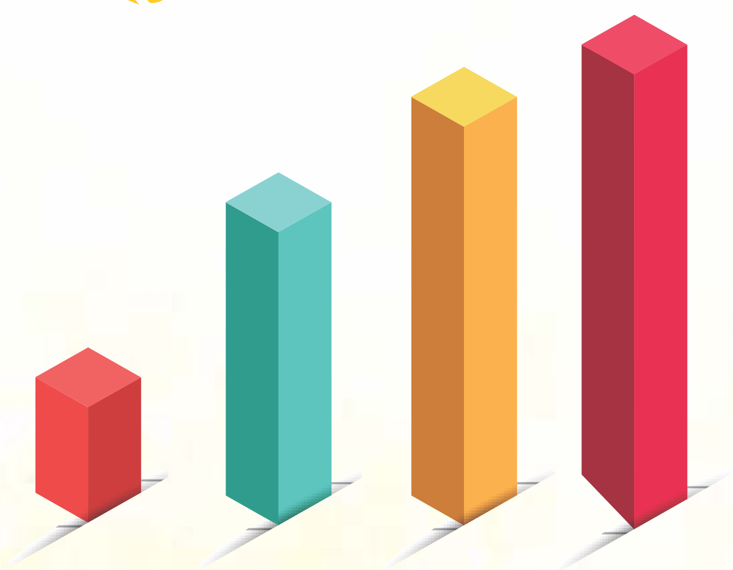

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद

सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय

सेक्टर-17, गांधीनगर, गुजरात

टोल फ्री नंबर : 1800-233-7965 | www.ssagujarat.org

श्री मुकेशकुमार, आईएेअस
स्टेट प्रोजक्ट डिरेक्टर,
सर्व शिक्षा अभियान एवं

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस
गुजरात काउन्सिलरओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन
सर्व शिक्षा अभियान, से-17, गांधीनगर, गुजरात
दूरभाष : 079-23235069, 23232436
ई-मेइल : dpepgujarat @yahoo.co,
gujssafinance@gmail.com
web : www.ssagujarat.org

D.O.No : SSA/ACT/2016/6496-6497 DATE : 26/I/2016 [printed: /11/2015]

माननीय महोदय,

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए एसएसए और केजीबीवी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ आवश्यक निवेदन, प्रमाणपत्र व रिपोर्ट्स तैयार किए गए और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए है।

- *एसएसए के लिए*

(1) लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट
(2) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) प्राप्ति एवं भुगतान
(4) वार्षिक समेकित वित्तीय बयान
(5) उपयोग विनिय (एसएसए एवं एनपीईजीईएल)
(6) एफएमआरएस - I एवं - II
(7) प्रबंधन पत्र
(8) खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

- *केजीबीवी के लिए*

(1) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
(2) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) उपयोग प्रमाणपत्र
(4) एफएमआरएस - I
(5) प्रबंधन पत्र

कार्यवाही समिति को अवगत कराने के बाद, हमे हमारे वित्तिय वर्ष २०१४-१५ के वार्षिक हिसाबो की अनुमति मिल जाएगी, हम बहुत जल्दी ही उसकी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त विवरणों को क्रमबद्ध स्वरूप में देखे।

आभार सह,

संलग्न : उपर्युक्त दस्तावेज

भवदीय,

(मुकेशकुमार)

प्रति,
विरेन्द्र सिंह
उप-निर्देशक, (एस.ई.- ए.ल)
भारत सरकार, मनाव संशाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्र भवन, नई दिल्ली - 110115
ई-मेइल : ssafinance@gmail.com एवं virender.justa@nic.in

प्रतिलिपि :
टेकनिकल सपोर्ट ग्रुप,
सर्व शिक्षा अभियान,
एड.सिल. (इन्डिया) लिमीटेड (गवर्मेन्ट ओफ इन्डिया अेन्टरप्राइज),
विजय बील्डींग, ५ फ्लोर, १७ अभियान, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-११०००१, (येद मेट्रो स्टेशन के पास),
EPABX No.: 011-23765605 to 23765612

FRN 102511W
AHMEDABAD

1

dhirubhai shah & doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

दिनांक : १६-१०-२०१५

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान मिशन,
सेक्टर -१७, गांधीनगर,
गुजरात राज्य.

माननीय महोदय,

संदर्भ :- एसएसए, ओनपीइजीइएल और केजीबीवी के २०१४-१५ के वैद्यानिक अंकेक्षण

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद एक पंजीयुकत संस्था है जो गुजरात के सभी जिला में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम लागू कर रहा है जिसके लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच ६०-४० के अनुपात मे धन साझा हो रहा है।

कार्य का विस्तार :

कार्यक्रम वित्तिय विवरण द्वारा रिपोर्ट के रुप में कार्यक्रम (कार्यक्रम वित्तीय बयान के ओडिट का उद्देश्य यह है की वह लेखा परिक्षक को ३१ मार्च को समाप्त हुए लेखांकन अवधि के लिए एसएसए, ओन.पी.ई.जी.इ.एल. और के.जी.बी.वी. की स्थिति पर एक पेशेवर राय देने के लिए सक्षम करता है।

कार्यक्रम के खाते (खातों की किताबे) पी.एफ.एस. की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते है और परियोजना कार्यान्वयन ऐजंसी जी.सी.इ.इ. द्वारा अनुरक्षित परियोजना के लिए स्थापित किए गऐ है की गयी चर्चा के संदर्भ में ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए साल के लिए हमने सर्व शिक्षा अभियान मिशन की सार्वधिक ओडिट और कार्य का विस्तार निकाला है जो इस प्रकार है।

- वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत की गए विभिन्न गतिविधियों के खिलाफ व्यय किए गए है और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशी में निकाला हुआ आया-व्ययक कार्यक्रम लागत खर्चे में उपयोग किया गया है विभिन्न उपायों के तहत खर्च की वास्तविक राशि में आधार पर व्यय का विवरण भारत सरकार को भेजा जाता है हमने भारत के चार्टर्ड ऐकाउन्टन्ट संस्थान की

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023
Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001
204 Sakar Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road, Vadodara : 390015

ओडिट के मानक के अनुसार विभिन्न परिक्षकजैसे की लेखांकन अभिलेखा आंतरिक निरिक्षण नियंत्रण और खातों की अन्य आवशयक लेखा परिक्षा का अमल किया है लेखा परिक्षा आयोजित करते वक्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया था।

- सब धन का उपयोग प्रासंगिक वित्तिय मानदंडो और वित्तिय नियमों की हालत के अनुसार और अर्थव्यवस्था और दक्षता को उचित ध्यान में रखते हुए तथा केवल जिस उद्देश्य के लिए वित्तपोषण प्रदान किया गया था उसी के लिए किया गया है।
- आम तौर पर सभी संस्थाओ जो की एसएसए, अेन.पी.ई.जी.इ.अेल. और के.जी.बी.वी. के तहेत खर्च करने के लिए अधिकृत हे वह स्वीकृत लेखांकन सिध्दांतो का पालन करते है।
- माल काम और सेवाओं का वित्तपोषण प्रयोजन के लिए निर्धारीत खरीद के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया गया है. उचित दस्तावेजों अर्थात खरीद सूची, निविदाएँ, दस्तावेजो, चलन, वाउचर्स, रसीदे, बिलो का भुगतान आदि को संभाल कर रखा है और लेनदेन के साथ जांच करके कार्यक्रम के अंत तक बरकरार रखा जाता है।
- सभी आवश्यक समर्थक दस्तावेजों रेकोर्ड और खातों में व्यय के बयान के द्वारा व्यय सहित सभी कार्यक्रम व्यय के संबंध में रखा गया है खातों में पुस्तकों और भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के बीच स्पष्ट संबंध मौजूद होना चाहिए।
- एसएसए, अेन.पी.ई.जी.इ.अेल. और के.जी.बी.वी. के तहत किए गए व्यय को सख्त रुप से एसएसए के ढांचे में निर्धारित वित्तीय मानदंडो या समय समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अनुसार होना चाहिए. वित्तिय वर्ष के अंत में कार्यक्रम के खर्च का बयान और वर्ष के लिए संशाधन और व्यय के व्यय बयानो / वित्तिय बयानों उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए शामिल किया गया है
- पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित बजेट आवेदन के संदर्भ में व्यय किए गए है अगर बजेट आवेदन में बढावा होता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत तरीके से उचित पुनःविनियोग प्राप्त किया गया होगा सभी व्यय गतिविधि जो की बजट आवेदन को पार करते हे उनका उल्लेख किया गया है।
- एसएसए, अेनपीइजीइएल और केजीबीवी के फंड को कुशलतापूर्वक और आर्थिक रुप से उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए वह पाए जाते है।
- बैंक के बयान और खातों का सुलह नियमित रुप से मासिक आधार पर किया जाता है।
- पिछले ओडिट आपत्तियों की लेखापरीक्षा अनुपालन जो उठाया जाता है तो उसे भी ध्यान में रखा जाता है।
- ओडिट प्रमाणपत्र उपयोग प्रमाणपत्र अथवा समय पर आवश्यक किसी भी प्रमाणपत्र को प्रदान किया जाता है।
- हमारे ओडिट अहेवाल में राज्य सुधार सोसायटी, सभी जिला परियोजना कार्यालय और उदाहरण बीआरसी, सीआरसी स्कुलो / अेस.अेम.सी. के सभी को तिन साल का ओडिट चक्र में क्रमानुसार लिया गया है, सिर्फ जो स्कुले / अेस.अेम.सी. भारत प्रति वर्ष से आय प्राप्त कर रहे है उनके उदाहरण के तौर पर लिया गया है।
- हमारी टिप्पणियों / सिफारीशों के साथ रिपोर्ट पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है।

FRN:107511W
AHMEDABAD

स्वीकृतियां :-

हम सर्व शिक्षा अभियान मिशन के प्रबंधन और कर्मचारीयों को स्तविधिक लेखा परिक्षा के दौरान उनकी मदद लेखा सहयोग के लिए आभारी है कृपया, इस मामले में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए हमें फोन करने के लिए आप अपने आप में निश्चित का अनुभव कीजिए।

आपका आभारी,

आपका विश्वासु,

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

CHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

लेखा परिक्षक की रिपोर्ट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर

संदर्भ :- गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद विभाग (एसएसए) २०१४-१५ के वैद्यानिक अंकेक्षण

१. हमने *'सर्व शिक्षा अभियान', गुजरात* की यहाँ संलग्न ३१ मार्च, २०१५ की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उनकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियाँ एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तीय निवेदनों का इसमें दर्शाई गई दिनांक को संपन्न होनेवाले वर्ष का लेखा परिक्षण किया है । ये वित्तीय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारे लेखा परिक्षण के आधार पर वित्तीय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है ।

२. हमने भारत में सामान्यरूप से मान्य किए गए लेखा परिक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है । इन मानकों के अनुसार हमे अपना लेखा परीक्षण इस तरह से आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की सामग्री के गैर निवेदन से मुक्त है । लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आँकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के यादृच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है । लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनो समेत समग्र वित्तीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है । हमारा मानना है कि हमारे लेखा परिक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है ।

३. 'सर्व शिक्षा अभियान' भारत सरकार का कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है ।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot : 360001

204 Sakar Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road Vadodara : 390015

४. सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों में इस अनुदान का उपयोग करता है।

५. प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत) गत वर्षों के शेष अनुदान, बैंक से प्राप्त ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियों के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई राशि तथा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

<u>हम रिपोर्ट करते है कि :-</u>

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परिक्षण के लिए आवश्यक तमाम जानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बेलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में आवश्यक आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबों के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की दिनांक तक अधिकारियों की कस्टडी मे थे ३१.०३.२०१४ तक कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) प्रमाणपत्र का उपयोग तथा प्राप्ति अदायगी और उपयोगिता के प्रमाणपत्र के आधार पर विधिवत रूप से जिल्ला स्तर / नगर निगम के स्तर पर सुक्ष्म अधिकारियों द्वारा प्रमाणित एव संकिलत किया गया है।

(ई) हमारे अनुसार, परियोजना द्वारा आवश्यक हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमूनों की जाँच से पता चलता है।

(एफ) वित्तिय वर्ष ओडिट आपत्तियों के अनुपालन के लिए लंबित कर रहे है और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

(जि) हमारे सत्यापन लिए हमें जुटाए गए दस्तावेजों एवं हमे प्राप्त करवाई गई जानकारी के आधार पर हमने मालसामान की खरीदी के लिए अपनाई गई खरीद प्रकिया, कार्यों और सेवाओं का लेखा परीक्षण के अलावा तथा कुछ शामिल नहि किया है जिससे खरीद प्रमाणपत्र के अभिप्रायों में शामिल किया जाये।

(जि) सभी सर्व शिक्षा अभियान जिलों या महानगरपालिकाओं के लेखा किताबों का दृढीकरण राज्य परियोजना कार्यालय, गांधीनगर में किया गया जाए।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

(एच) सर्व शिक्षा अभियान जिलों या महानगरपालिकाओं के लेखा किताबों का दृढीकरण राज्य परियोजना कार्यालय, गांधीनगर में किया गया है।

(आई) हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-3 में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र में आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धांतो का पालन किया गया है :

१. बेलेंस शीट के विषय में राज्य परियोजना कार्यालय के मामलों की दशा दिनांक ३१.०३.२०१५ के अनुसार।

२. आय और व्यय खाता के विषय में ३१.०३.२०१५ को पूर्ण होते वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के उपलक्ष में।

३. ३१.०३.२०१५ को संपन्न हो रहे वर्ष के लिए प्राप्ति एवं अदायगी से संबंधित प्राप्तियाँ एवं अदायगी खाता।

धीरूभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

प्रति,
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात राज्य,
गांधीनगर

प्रबंधन पत्र

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक १०१.५ एवं पूरक अंश - XVI की आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए प्रबंधन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परीक्षण जाँच एवं यदच्छित लेखा परीक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हमारे अवलोकन एवं सिफरिशें शामिल है, इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है।

१ जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया है और इससे पता चलता है कि प्रक्रिया / पध्धति योग्य है, तथापि वर्ष के अंत में तीन महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए गैरभुगतान रहे चैक अगले वित्त वर्ष में समाधान के बाद उलट किए जाने चाहिए।

२ तहसील स्तर की ईकाईयों जैसे कि बीआरसी, सीआरसी,एसएमसी स्तर, पर लेखा परिक्षण के दौरान हमने पाया है की संयोजक काफी भुगतान नकद रूप में कर दिया करते है। भुगतान के उपर नियंत्रण लाने के लिए सलाह दी जाती है कि जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए सभी भुगतान जो की संस्था के हिसाब से योग्य है अकाउन्ट पेय चैक के द्वारा चुकाने चाहिए।

३ ओडिट के दौरान हमने देखा है की बीआरसी, सीआरसी,एसएमसी स्तर से प्राप्त व्याज को करीबन सभी जिलाओको जिला स्तर पे ईकठ्ठा नही किया है, जिसकी वजह से महत्तम व्याज की कुछ रकम तहसिल (सब-जिला) स्तर पर जमा है, व्याज की रकम जिला स्तर पर नहीं होने की वजह से यह रकम एसएसए के हिसाबी कार्यप्रणाली में सामिल नही है, जिसकी वजह से आय का अहेवाल कम दिखाई देता है इसलिए यह सलाह दी जाती है की सभी जिला की व्याज की रकम को जिला स्तर पर ईकठ्ठा किया जाए ईस कार्य से नहीं की सिर्फ एसएसए के हिसाब में ही व्याज की रकम बतार जाऐगा। ईस ध्येय में उसका उपयोग किया जाएगा. । इससे तहसिले और जिला स्तर पर गेर बंधारणीय तथा संदेहात्मक नाणांकीय व्यवहार को टाला जा सकता है।

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbs...
1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023 | Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001 | 204 ... Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road, Vadodara ...

४ जिला परियोजना कार्यालयों की ओडिट के दौरान हमारे ध्यानमें आया है की कई बार बीआरसी और सीआरसी अपने उपयोग की निधि / अनुदान रकम जिला में संबंधित अकाउन्ट ओफिसर को बिना बताये सीधा ही बेंको में जमा कर रहे है, जिस से की बेंक अकाउन्ट में जमा राशी का उदभव अकाउन्ट ओफिसर के ध्यान में नही आता और संदिग्धता का निर्माण होता है एसी सुविधा और संदिग्धता नही हो ईसके लिए तथा लौटाई गई राशि के लिए जिला स्तर पर योग्य हिसाब कार्यप्रणाली और आंतरिक नियंत्रण पध्धति का विकास करना चाहिए।

५ आंतरिक लेखा परिक्षक के सुझावों / निरीक्षण प्रकिया में है, इसके लिए सभी आवश्यक हिसाबी सामग्री शिघ्र ही खतम करके बाटाकार के दर्शाया जाय।

६ जिला और तहेसील स्तर पर किए गए लेखा परिपत्रो जानकारी होती है की कर की कटौती (टी.डी.एस) के संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है, वह नही हुआ है जिसे भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए. एसएमसी स्तर पे ज्यादा तर एसएमसी ने कर कपात का प्रावधान निधि उदभवः स्थान (टी.डी.एस) पे नहीं रखा है. यहां पर आंतरिक कर कपात का योग्य नियंत्रण प्रणाली होना आवश्यक है।

७ ३१.०३.२०१४ में रिटेंशन रकम रु. २७,५३,८५,९९७ की जमा राशि में से रु ९,४४,८३,५८५ समाधान (सुलेह) के आधिन हे इन बकाया का पता करने के लिए जल से जल कदम शुरु करना चाहिऐ और उसका समाधान होना चाहिए।

८ निम्नलिखित शेष राशियों की शीघ्रातिशीघ्र पुष्टि और समाधान होना चाहिए ।

अनु क्रमांक	लेखा शीष	रकम (रु)	जमा / उधार
१	कमिश्नर मध्याह्न भोजन शेष	७४,५८,२३३	जमा
२	जमा (डिपोजिट)	२६,२८५	जमा
३	टीआरपी वेतन अनुदान	१,६८,०४०	जमा
४	बाल मानचित्रिकरण	७५,७९७	जमा
५	मध्याह्न भोजन योजना रसोईघर के छप्पर	२१,६७०	जमा
६	ओम.आइ.ओस. माहिती अनुदान	१०,०००	जमा
७	अन्य दायित्व	३७,१३९	जमा
८	युनिसेफ अनुदान	१४,९३२	जमा
९	जी.सी.पी.इ. रकम	९,१५,३९४	जमा
१०	जमा डिपोजिट जिल्ला	५७,८४४	जमा
११	SMC	७,५००	
१२	ओडवान्स (सुरक्षा जमा राशि)	४,०८,७८३	जमा
१३	टोरंट पावर को दि गइ सुरक्षा जमा राशि	१,००,५६५	जमा
१४	बकाया अग्रिमो - एसएसए	५७,७२०	उधार
१५	सामुहिक कर्मचारी विमा के लिये दी गइ राशि, जिला	४५,९६०	उधार
१५	सामुहिक सहकर्मचारी विमा के लिये दि गइ राशि	१२,१८७	उधार
१७	अन्य	२,८५५	उधार

९ हमे प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरेन्द्रनगर जिले में दी गइ राशि का दुरुपयोग किया गया है जो खाते में अग्रिम दर्शाया गया है, जिसकी जांच कोर्ट द्वारा हो रही है उसका मूल्य नीचे लिखा गया है सुरेन्द्रनगर (वर्ष २००८-०९) रु. ३२,०६,५०३/-

१० अेस.अेम.सी. / सीआरसी का ओडिट करते समय हमें नीचे दिये गये मुद्दे ध्यान में आये है।

(ए) कुल अेस.अेम.सी. सभ्य जो साम्रगि निर्माण कार्यो के लिये उपयोग में ला जाती है उस साम्रग्री का विवरण ठीक से नहि रख रहे है जिससे ये जानना मुनासिफ हो रहा है की कितनी इस वजह से हम ये पता नहि लगा पा रहे है कि दूसरा / तिसरा भुगतान किया गया है वो दिये गये नियमो के अनुसार है या नहि।

(बी) कुछ अेस.अेम.सी. मजदुर का भुगतान खाता ठीकसे संचालन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमे पता नहि चल रहा है कि जिन मजदूरो को भुगतान किया गया है वो नियमानुसार है कि नहीं।

(सी) कुछ अेस.अेम.सी. सभ्य नकद खाते को ठीक से संचालन / रख नहि रहे है।

(डी) कुछ अेस.अेम.सी. समन्वयन ठीक से खातावही और अनुदान रजीस्टर बनाए रखने में कमि कर रहे है।

(इ) आम तौर पर अेस.अेम.सी. / सी.आर.सी. ध्वारा विभिन्न गतिविधियों के अनुदानों के लिए विभिन्न वर्षो में आयोजित बेठक का कार्यवृत्त को बनाए रखने में कमि कर रहे है।

(एफ) खरीद प्रकिया विधिवत कुछ अेस.अेम.सी. / सीआरसी द्वारा नियमो अनुसार पालन नहि कर रहे है।

११ राज्य और जिलावार बजट अनुमानो पी.अे.बी. द्वारा अनुमोहित किया गया है, जिसकी जांच करते हुए हमे ये पता चला है कि राज्य और जिले के स्तर पर किया गया खर्च तय किये गये खर्च से ज्यादा है जिसको ऐन्युअल वर्क प्लान अेन्ड बजट द्वारा अनुमित प्राप्त है इन जिलो कि माहिती अलग से दिखाइ गइ है। हम ये सुजाव देते है कि स्थानिय कार्यालय के लिए अलग से भुगतान रखा जाये और जिसका हिसाब जिला और राज्य स्तर पर रखा जाये और उसकि अनुमित ऐन्युअल वर्क प्लान अेन्ड बजट द्वारा प्राप्त कि जाए।

क्रमांक	खर्च का नाम	बजट आवंटित	वास्तविक खर्च	बजट के सामने हुआ वास्तविक खर्च	प्रबंधन का जवाब
१	शिषक अधिगम उपकरण (टी.अेल.ई.)	278.85	65.40	23.45%	टी.अेल.ई. के लिए बजट काप्रस्ताव प्राथमिक निर्देशक से प्राप्त होता है और टी.अेल.ई. अनुदान सीर्फ कक्षा ८ के लिए स्कूल को वितरीत की जाता है बिनउपयोगी राशि का बचत में बताया जाता है जहां ८ की स्कूल नहीं खुली होवी
२	संशोधन, मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षन	106.53	50.05	46.98%	बजट की तुलना में जिला में हुई कुछ प्रवृत्तयां

FRN 102511W
AHMEDABAD

१२ वस्तुओकी सुची पर बहेतर नियंत्रण करने के लिए, अेस.पी.ओ. कि और से ये सुचना दि जानी चाहिए कि पूंजीगत वस्तुओं, शिक्षको की शिक्षा सामग्री, प्रशिक्षण मोडयुल और निःशुल्क पाठयपुस्तक के रूप मे वस्तुओ की मात्रात्मक विवरण दिखाई देना चाहिए, जिससे कि उपभोक्त और गैर उपभोक्त लेख और के लिए उप-जिला स्तर पर अलग स्टोक रजीस्टर बनाना चाहिए. हम ये हिदायत देना चाहते है कि कम से कम साल में एक बार भौतिक चकासणी होनी चाहिए । हम ये राय देना चाहते है कि वस्तुओ की सुची और वितरण के लिए योग्य व्यवस्था कि जानी चाहिए।

१३ काफि समय से मिशन नियमित रुप से जोखांकन निति मे नकद आधार पर चल रहा हे जबकि मानव संशाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा निर्देशो की लेखा की व्यापारिक प्रणाली निर्धारित की गइ है।

१४ हम उसकी से भौतिक स्वरूप से निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ जिला स्तर पर फर्निचर और उसकि स्थिरता और संपत्ति क्रम से सहि पाया हे हालांकि, हम निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर में जो भी अर्ज कर रहे है, वो संपत्ति वर्तमान में भी अर्ज किया जाना चाहिए जो अभी तक नहि हो रहा है।

१५ १३ वां वित्त आयोग कि सिफारिश से मिशन को गुजरात सरकार द्वारा रु ११५ करोड का अनुदान प्राप्त हुआ है। मानव संशाधन मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अनुसार, अनुदान से किए गए खर्च के लिए आती में किए गए खर्च के लिए बनाया हुआ खाता अनुदान की सीमा तक १३ वें वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में कहा कि अनुदान के लिए खर्च के रूप में स्थानांतरीत कर प्राप्त कर रहे है।

१६ वित्त वर्ष २०१४-१५ के लिए तय कि गइ जिम्मेदारीओं का खर्च के लिए रु.१३,०१,४२,९८२/- (करोड) प्रावधान किया गया है। इस रकम में से रु. ६,२८,५४,६७२/- को दिनांक २६.०९.२०१४ तक खर्च किया गया है। प्रबंधन के मतानुसार बाकी रकम का कार्य आदेश उपलब्ध दे और कम समय में रकम का उपयोग किया जायेगा।

१७ यह सुजाव दिया जाता हे कि एक समय के लिए दिए अनुदान को ऐडवान्स के स्वरूप में दर्शाना चाहिए और सभी जिला से जो प्राप्ति (यु.सी.) होती हे उसे खर्च के रुप में दिखाना हे। उस से सच्चा और स्वच्छ वित्तीय अहेवाल दर्शित होता हे।

१८ सर्व शिक्षा अभियान, गांधीनगर (अेस.पी.ओ.-गांधीगर) के प्रबंधक द्वारा हमे दि गइ जानकारीयां और माहिति के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष से ओडिट की दिनांक तक कोई भी आयकर रीटर्न आखिल नहीं किया है । यह संबंधित जानकारीया हीं मिलने की वजह से पिछले सालो की जिम्मेदारीया और टी.डी.अेस. हम तय नही कर पाये है।

धीरूभाई शाह अेन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

३१ वीं मार्च, २०१५ के रूप में समेकित बेलेन्स शीट
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

देनदारियाँ	रकम (रू.) वर्तमान वर्ष	रकम (रू.) पिछले वर्ष
असल पूंजी		
प्रारंभिक शेष	4,481,301,673	3,283,521,140
धन प्राप्ति		
जिला स्तर पर प्रावधिक / मौजूदा देनदारियाँ		
[illegible]	7,458,233	7,458,233
[illegible]		80,624
[illegible]	26,285	873,200
[illegible] अनुदान	168,040	168,040
[illegible]	75,797	85,797
[illegible]	21,670	21,670
[illegible] अनुदान	10,000	10,000
अन्य दायित्व	37,139	87,350
[illegible]	-	23,074
[illegible] का अनुदान	14,932	14,932
[illegible] १४-१५ [illegible]	1,530,789	-
[illegible]	223,718	-
[illegible]	661,894	-
एसएमसीओं में हुआ अग्रिम / मौजूदा दायित्व		
[illegible]	326,425,006	275,385,997
सुरक्षा डिपोज़िट	33,074,376	14,000,806
[illegible]	915,394	915,394
[illegible]	19,295,468	11,184,124
[illegible]	4,519	28,263,955
खर्च के लिए प्रावधान	85,068,148	130,142,982
[illegible]	3,733,134	-
कुल	4,963,596,215	3,752,545,318

परिशिष्ट-[illegible] के अनुसार किए गए हिसाबों की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

परिसंपत्तियाँ	रकम (रू.) वर्तमान वर्ष	रकम (रू.) पिछले वर्ष
अचल संपत्ति		
निर्माण कार्य	-	-
वाहन	-	-
उपकरण	-	-
जमा राशि		
(ए) बैंक में जमा [illegible]	-	-
(बी) अन्य जमा राशि	-	-
जिला स्तर पर शेष राशि		
(ए) बैंक में शेष राशि	843,450,767	868,522,626
(बी) हाथ पर शेष राशि	3,709	3,709
(सी) अग्रिम [illegible]	3,206,503	4,814,307
(डी) डिपोज़िट	57,844	57,844
(इ) अन्य	-	616
(एफ) [illegible] अनुदान	7,500	-
एसएमसीओं पर अंतिम शेष		
बैंक में शेष राशि	3,995,359,558	2,879,059,305
हाथ पर शेष राशि	-	-
[illegible]	408,783	408,783
[illegible]	100,565	100,565
[illegible]	-	253,841
[illegible]	57,720	62,320
अन्य प्राप्य	-	2,855
[illegible]	58,347	58,147
[illegible]	4,379,913	-
[illegible] अनुदान	39,726,500	-
[illegible] अनुदान	671,563	-
[illegible] द्वारा प्राप्त	293,463	-
[illegible] द्वारा प्राप्त	3,407,933	-
[illegible] द्वारा प्राप्त	22,902,642	-
[illegible]	50,000,000	-
CGG द्वारा प्राप्त	2,900	-
कुल	4,963,596,215	3,752,545,318

संलग्न तारीख के हमारे लेखा रिपोर्ट के अनुसार,

(वि.के. खरादिया)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

([illegible]) आईएएस
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : १६-१०-२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१ वीं मार्च, २०१५ के अंत में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

व्यय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
जिला एवं उपजिला स्तर पर		
एसएसए - सामान्य अनुदान		
परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	211,373,598	129,645,541
स्कूल बाह्य के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण	380,016,727	796,798,446
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	174,826,800	173,882,250
वर्दी के लिए प्रावधान	-	-
शिक्षक अधिगम उपकरण	6,540,000	8,802,130
नए शिक्षकों का वेतन	4,137,803,780	7,829,768,140
प्रशिक्षण	246,059,470	207,234,767
ब्लॉक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	493,428,442	474,983,676
क्लस्टर संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	976,828,604	965,337,970
कम्प्यूटर सहायक शिक्षा	18,014,000	144,907,501
स्कूलों में पुस्तकालय	-	-
शिक्षक अनुदान	-	-
स्कूल ग्रांट	331,269,788	330,720,600
शोध, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	5,015,678	3,821,762
मरम्मत के लिए अनुदान	375,560,293	409,779,345
सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	232,515,823	235,978,097
नवाचार हेड	119,463,581	1,315,000
अेस.अेम.सी. / पी.आर.आई. प्रशिक्षण	58,898,073	56,387,102
प्रबंधन	623,521,958	639,711,424
अेन.पी.इ.जी.इ.अेल.	-	-
अनुदान सहयोग (सामग्री)	-	-
राज्य घटक		
प्रबंधन और एमआईएस	128,637,740	261,622,551
संशोधन एवं मूल्यांकन	19,839,356	12,646,398
एसएसए सामान्य के कुल खर्च	8,539,613,495	7,683,402,704
एसएसए अवास अनुदान		
निर्माण कार्य	2,592,666,624	1,964,410,728
एसएसए अवास का कुल खर्च	2,592,666,624	1,964,410,728
एसएसए १३ वें एफ.सी. अवॉर्ड		
निर्माण कार्य	1,150,000,000	1,130,000,000
एसएसए १३वें एफ.सी. अवॉर्ड का कुल खर्च	1,150,000,000	1,130,000,000
कुल व्यय (एसएसए+एनपीईजीईएल)	12,282,280,119	10,777,813,432
व्यय से अधिक आय के अतिरिक्त	4,484,801,673	3,283,821,140
कुल	16,767,081,792	14,061,634,572

वर्णित नोट के अनुसार किए गए हिसाबों की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

आय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
अनुदान प्राप्ति		
भारत सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	4,972,475,800	2,381,908,000
(ब)एसएसए-कैपिटल अनुदान	2,597,357,000	5,553,995,000
(क)एनपीईजीईएल	-	-
राज्य सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	2,943,568,000	3,228,007,000
(ब)एसएसए-कैपिटल अनुदान	1,400,000,000	1,809,625,000
(क)एनपीईजीईएल	-	-
१३वें एफ.सी.अवॉर्ड से प्राप्त	1,150,000,000	1,130,000,000
ब्याज		
(अ)एसएसए	230,541,858	105,790,027
(ब) एनपीईजीईएल	574,331	764,586
अन्य		
अनुदान वापसी प्राप्त	178,318,087	105,717,511
निविदा शुल्क	3,300,200	2,887,000
वाहनों की पुन बिक्री	2,352,833	8,885,576
प्रकाशन नुकसान	1,005,672	1,626,228
अन्य	2,086,471	3,918,752
अग्रेषित अनुदान (प्रारंभिक)	3,283,821,140	(365,539,109)
कुल	16,767,081,792	14,061,634,572

संलग्न तारीख के हमारे लेखा रिपोर्ट के अनुसार,

(पि. पि. वाघेला)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

(मुकेश कुमार) आईएएस
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

धीरूभाई शाह एण्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६-१०-२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१ वीं मार्च, २०१५ के रूप में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

प्राप्ति	रकम (रु) वर्तमान वर्ष	रकम (रु) पिछले वर्ष	अदायगी	रकम (रु) वर्तमान वर्ष	रकम (रु) पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष					
(अ) बैंक में जमा राशि	3,747,581,931	1,269,844,021	एसएसए- सामान्य अनुदान		
(ब) हाथ पर शेष राशि	3,709	3,709	परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	211,373,598	129,045,541
भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			स्कूल भवन के बच्चों की मुख्य धारा के लिए विशेष	380,016,727	796,798,449
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	4,972,474,000	2,381,969,000	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	174,826,600	173,882,250
(ब) एसएसए- कैपीटल अनुदान	2,597,355,000	5,553,995,000	भर्ती के लिए प्रावधान	-	-
(क) एनपीईजीईएल	-	-	शिक्षक अधिगम उपकरण	6,540,000	8,862,130
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			नए शिक्षकों को वेतन	4,137,603,760	2,829,768,140
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	2,943,568,000	3,228,007,000	प्रशिक्षण	246,059,470	207,234,767
(ब) एसएसए - कैपीटल अनुदान	1,400,000,000	1,600,625,000	ब्लॉक संसाधन केंद्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	493,428,442	474,983,678
(क) एनपीईजीईएल	-	-	क्लस्टर संसाधन केंद्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	976,828,604	965,337,970
			कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	18,014,000	144,937,501
१३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	1,150,000,000	1,130,000,000	स्कूलों में पुस्तकालय	-	-
ब्याज			शिक्षक अनुदान	-	-
(अ) एसएसए	230,541,858	198,799,027	स्कूल ग्रान्ट	331,269,786	330,720,800
(ब) एनपीईजीईएल	574,331	764,586	संशोधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	5,015,678	3,821,762
अन्य			रखरखाव के लिए अनुदान	375,560,293	409,779,345
अनुदान वापसी जमा	178,318,087	105,717,511	सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	232,316,823	236,978,097
निविदा शुल्क	3,300,200	2,867,002	नवीनकृत हेतु	119,463,581	1,315,000
विविध प्राप्तियाँ	2,352,633	9,885,576	एस एम सी / पी आर आइ प्रशिक्षण	58,898,073	56,387,102
वाहनों की पुनःबिक्री	-	-	प्रबंधन	623,521,858	639,711,424
प्रत्यावर्तित व्यय (लौटाया गया हिसाब)	1,805,672	1,626,228	एन.पी.इ.जी.इ.एल	-	-
अन्य	2,988,471	3,918,753	अनुदान स्थानांतर (एसएसए)	-	-
प्राप्ति योग्य रकम में बढ़ोतरी / घटोती	(109,747,730)	(1,171,622,339)			
			राज्य घटक		
			प्रबंधन और एमआईएस	128,637,745	281,622,551
			संशोधन एवं मूल्यांकन	19,839,356	12,646,399
			एसएसए सामान्य के कुल खर्च	8,539,613,495	7,683,492,704
			एसएसए असल अनुदान		
			निर्माण कार्य	2,592,666,624	1,984,410,728
			एसएसए असल का कुल खर्च	2,592,666,624	1,984,410,728
			एसएसए १३ वें एफ.सी. एवोर्ड		
			निर्माण कार्य	1,150,000,000	1,130,000,000
			एसएसए १३वें एफ.सी अवोर्ड का कुल खर्च	1,150,000,000	1,130,000,000
			कुल व्यय(एसएसए-एनपीईजीईएल)	12,282,280,119	10,777,813,432
			अंतिम शेष		
			(अ) बैंक में शेष जमा राशि	4,838,810,325	3,747,581,931
			(ब) हाथ पर शेष जमा राशि	3,709	3,709
कुल	17,121,094,153	14,525,399,072	कुल	17,121,094,153	14,525,399,072

अनुसूची १ के अनुसार किए गए हिसाबों की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार,

(... ...)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

(... कुमार) आईएएस
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६-१०-२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट
FRN 102511W
हर्षिया वी. पटेल
भागिदार
M. No 014427
स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : १६-१०-२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१ वीं मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक वित्तिय निवेदन

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

स्रोत एवं अनुप्रयोग

स्रोत(प्राप्तियां)	एसएसए	एनपीईजीईएल	कुल
प्रारंभिक शेष			
(अ) हाथ पर शेष राशि	3,709	-	3,709
(ब) बेन्क में जमा शेष	3,729,268,142	18,313,789	3,747,581,931
कुल	**3,729,271,851**	**18,313,789**	**3,747,585,640**
स्रोत (प्राप्ति)			
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			
(i) सामान्य अनुदान	4,972,474,000	-	4,972,474,000
(i) अमल अनुदान	2,597,355,000	-	2,597,355,000
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			-
(i) सामान्य अनुदान	2,943,568,000	-	2,943,568,000
(i) अमल अनुदान	1,400,000,000	-	1,400,000,000
(स) १३वां एफ.सी.एवार्ड से प्राप्त निधि	1,150,000,000		1,150,000,000
(द) ब्याज	230,541,858	574,331	**231,116,189**
अन्य :			-
अनुदान वापसी भवन	178,199,309	118,718	178,318,087
निविदा शुल्क	3,300,200	-	3,300,200
विविध प्राप्तियां	2,352,632	-	2,352,632
वाहनों की पुनर्बिक्री	-109,747,739	-	-109,747,739
प्रभारित व्यय (लीक्वीडेटेड डेमेज)	1,805,672	-	1,805,672
अन्य	2,966,471	-	2,966,471
कुल प्राप्तियां (I)	**17,102,087,314**	**19,006,838**	**17,121,094,152**
अनुप्रयोग (खर्च)	*मान्य बजेट जिसमें हस्तांतर शामेल है*	*खर्च सामेल*	*बचत*
एसएसए- सामान्य और १३वें एफ सी अवोर्ड			
परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	236,671,500	211,373,598	25,297,902
स्कूल बाहर के बच्चों को मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	429,349,260	380,016,727	49,332,533
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	181,124,450	174,826,600	6,297,850
बच्चों के लिए प्रावधान	-	-	-
शिक्षण अधिगम उपकरण	27,885,000	6,540,000	21,345,000
नए शिक्षकों का वेतन	4,137,803,760	4,137,803,760	-
प्रशिक्षण	297,248,100	246,059,470	51,188,630
ब्लॉक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	697,140,640	493,428,442	203,712,198
क्लस्टर संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	1,333,640,000	976,828,604	356,811,396
कम्प्यूटर आधारित शिक्षा	18,014,000	18,014,000	-
स्कूलों में पुस्तकालय	-	-	-
शिक्षक अनुदान	-	-	-
स्कूल ग्रांट	339,129,000	331,269,786	7,859,214
संशोधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	10,653,396	5,015,678	5,637,718
मरम्मत के लिए अनुदान	384,440,000	375,560,293	8,879,707
अशक्तों के लिए हस्तक्षेप	240,487,200	232,515,823	7,971,377
नवाचार हेड	123,161,508	119,463,581	3,697,927
एस.एम.सी. / पी.आर.आई. प्रशिक्षण	59,115,600.00	58,898,073	217,527
प्रबंधन	624,028,661	623,521,958	506,703
आर.ए.ई.आई.आर.	-	-	-
समुदाय मोबाइलाइज (लामबंदी)	-	-	-
राज्य घटक			
प्रबंधन और एमआईएस	128,640,000	128,637,746	2,254
[illegible]	19,865,000	19,839,356	25,644
एसएसए अमल अनुदान			
निर्माण कार्य	4,364,282,287	3,742,666,624	621,615,663
कुल खर्च (II)	**13,652,679,362**	**12,282,280,119**	**1,370,399,243**
बंद शेष - (I) - (II)		**3,747,585,640**	
(अ) बेन्क में शेष जमा राशि	4,819,642,117	19,168,208	4,838,810,325
(ब) हाथ पर शेष राशि	3,709	-	3,709
कुल	4,819,645,826	19,168,208	4,838,814,034

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

परिशिष्ट-॥

उपयोगिता प्रमाणपत्र - १३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोर्ड

अनुक्रमांक	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	१३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोड		
		सामान्य अनुदान	असल अनुदान	कुल योग
1	राज्य सरकार से प्राप्त 13 वें वित्तिय कमीशन अवोर्ड			
	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक ABP/10/ 201415/GEN/PLAN/280/V	-	1,150,000,000	1,150,000,000
	उप कुल		1,150,000,000	1,150,000,000
2	पिछले वर्ष की अव्ययित शेष धनराशि	-	-	-
3	बैन्क से प्राप्त ब्याज	-	-	-
4	अन्य प्राप्तिया	-	-	-
	उप कुल		1,150,000,000	1,150,000,000
5	वर्ष पर्यांत उपयोग में लिया गया अनुदान	-	1,150,000,000	1,150,000,000
6	अग्रीम बकाया	-	-	-
7	वर्षांत पर अव्ययित शेष	-	-	-

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१४-१५ के दौरान राज्य परियोजना निर्देशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं गुजरात राज्य के उपर्युक्त पत्रक्रमांको के संदर्भ से प्राप्त अनुदान सहाय धनराशि रू.११५,००,००,०००/- (११५करोड रुपये) को उसके सामने प्रदर्शित रूपो से खर्च किया गया और उसमें से शेष रह गई अव्ययित धनराशि जो कि रू. शून्य है, बैन्क से प्राप्त ब्याज की राशि, जोकि रू. शून्य है और अन्य प्राप्तियाँ रू.शून्य है, कुल मिलकर रू.११५,००,००,०००/- (११५ करोड रुपये) होता है, उसे अगले वर्ष में ले जाया गया है। कुल धनराशि रू.११५,००,००,०००/- (११५ करोड रुपये)जिन उदेश्य से प्राप्त की गई थी, उन्हें वर्ष २०१४-१५ के दौरान उसी काम में उपयोग में ले लिया गया है और वर्ष के अंत तक रू. शून्य की धनराशि अव्ययित शेष रह पाई है जो कि अगले वर्ष २०१५-१६ में प्राप्तियोग्य अनुदान सहाय के सामने समायोजित की जाएगी।

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023

Aditya Centre, Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001

204 Sakar ..., Opp Abs Tower, ... Road, Vadodara 390015

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 102511W AHMEDABAD

२. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को जिन शर्तों पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैंने नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम की है और मैं उससे संतुष्ट हूँ।

जाँच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

१. लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)

२. उपयोग प्रमाणपत्र

३. प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

पि. बि. खरचिलया
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मुकेश कुमार (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकाड्‌र्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युकत विवरणो की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण उन सभी के साथ पूर्ण रुप से अनुरुप है, इसे वर्षांत ३१.३.२०१४ के हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढे।

धीरूभाई शाह अेन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

जिला	खर्च का नाम	एडबल्युपी अेन्ड बी	खर्च	महत्तम उपयोग
अहमदावाद	निशुल्क पाठ्यपुस्तके	६५२७५००	६५२८०००	-५००
अहमदावाद	यु.पी.अेस. में कम्प्युटर द्वारा शिक्षा	६०७७०६०	६०७७२००	-१४०
अहमदावाद	प्रबंधन	३६१८४९५०.८	३७५०८२०९	-१३२३२५८
ओ.अेम.सी.	प्रतिशत	६६१०५००	७९८८७३६	-१३७८२३६
ओ.अेम.सी.	संशाधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	९५२०१.६	२१४४३६	-११९२३४
ओ.अेम.सी.	सीडबल्युअेसअेन के लिए हस्तक्षेप	१२५२४६००	१२५२५०००	-४००
ओ.अेम.सी.	अेस.अेम.सी. / पी.आर.आइ प्रशिक्षण	८२६२००	२१६०७१५	-१३३४५१५
अमरेली	अेस.अेम.सी. / पी.आर.आइ प्रशिक्षण	१४३८२००	१५१७२१५	-७९०१५
आणंद	यु.पी.अेस. में कम्प्युटर द्वारा शिक्षा	६०७७०६०	६०७७२००	-१४०
आणंद	अेस.अेम.सी. / पी.आर.आइ प्रशिक्षण	१८९९०००	१९१७६८५	-१८६८५
गांधीनगर	निशुल्क पाठ्यपुस्तके	४२६१७५०	४२६१९९९	-२४९
पोरबंदर	यु.पी.अेस. में कम्प्युटर द्वारा शिक्षा	६०७७०६०	६०७७३२२	-२६२
पोरबंदर	संशाधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	७५७०६.८	७६२१५	-५०८
आर.अेम.सी.	सीडबल्युअेसअेन के लिए हस्तक्षेप	१११८४००	११२८५६८	-१०१६८
आर.अेम.सी.	अेस.अेम.सी. / पी.आर.आइ प्रशिक्षण	१४५८००	१५२९१०	-७११०
आर.अेम.सी.	प्रबंधन	२१३२३९३.५	३०३०६६१	-८९८२६७
सुरत	संशाधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	११८६५५.६	११९००१	-३४५
सुरत	प्रबंधन	२२८५०४८४.५	२२८७१००५	-२०५२०
सुरेन्द्रनगर	सी.आर.सी.	७२०९०००	७३१६५५२	-१०७५५२
सुरेन्द्रनगर	यु.पी.अेस. में कम्प्युटर द्वारा शिक्षा	६०७७०६०	६०७७२००	-१४०
वी.अेम.सी.	निर्माण कार्य	३३१३९५३३.६	३३१६८१९३	-२८६५९
वडोदरा	प्रबंधन	३४५३०५२३	३४९६१७१०.५	-४३११८७

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

वर्तमान संपत्तियां	प्रारंभिक शेष	जमाशेष	फर्क
बी.जी. के सामने सीरेस को अेडवान्स	-	4,379,918	-4,379,918
मोडल दिन परियोजना को अेडवान	408,783	408,783	-
स्वच्छ विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान	-	39,225,000	-39,225,000
स्कूल की कोम्प्युटर द्वारा प्राप्त	-	671,563	-671,563
के.जी.बी.वी. २७८९ द्वारा प्राप्त	253,841	-	253,841
जे.सी.आर.-अेन.टी. १०९१२ द्वारा प्राप्त	-	293,463	-293,463
बुट-८६६८ द्वारा प्राप्त	-	3,407,933	-3,407,933
प्राथमिक निर्देशक द्वारा प्राप्त	-	22,902,642	-22,902,642
जिला संपत्तियां	4,072,767	3,214,003	858,764
जिला समायोजना अकाउन्ट	100,565	100,565	-
टोरेन्ट पावर सुरक्षा जमा राशी	57,720	57,720	-
वाहन जमा राशी	5,000	-	5,000
बैंक चार्ज प्राप्त	2,855	-	2,855
बी.ओ.आई ग्रान्ट की के.जी.बी.वी.आवक / जावक	-	(50,000,000)	50,000,000
स्वच्छ भारत कोष	-	3,733,134	-3,733,134
सुरक्षा जमा राशी	14,000,806	33,074,376	-19,073,570
कर और ड्यूटी	28,265,955	4,519	28,261,436
सन्दीप उधारक	192,086,536	338,726,776	-146,640,240
खर्च के लिए व्यवस्था १३-१४	130,142,982	-	130,142,982
खर्च के लिए उधार १४-१५	-	85,068,148	-85,068,148
जिला स्तर पर कर्मचारी द्वारा समूह बीमा के लिये इकट्ठा किया	- 45,960	- 45,960	-200
जिला स्तर पर कर्मचारी द्वारा समूह बीमा के लिये इकट्ठा किया	- 12,187	-12,187	-
आर.अेम. / इ.अेम.डी / व्यापारिक उधारक	94,483,585	6,993,698	-87,489,887
जिला स्तर पर खर्च	8,828,920	10,220,653	1,391,733
आंतरीक अन्वेषण	915,394	915,394	-

(पी.डी.पलसानिया)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

(मुकेश कुमार)
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट
FRN 102511W
हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:102511W AHMEDABAD

dhirubhai shah & doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

सर्व शिक्षा अभियान

IUFR - I

राज्य का नाम : गुजरात

व्यय रिपोर्ट सारांश

वित्तिय वर्ष २०१४-१५ के लिए (1.04.2015 TO 31.03.2015)

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	योजना	एडब्ल्यूपी एंड बी	०१-०४-१४ को रोक प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा विमोचित	राज्य द्वारा विमोचित	३१-०३-१५ तक प्रतिवेदित व्यय	अगले वित्तिय वर्ष २०१४-१५ के लिए अनुमानित एडब्ल्यूपी एंड बी
गुजरात	एसएसए	13,652,679,362	3,380,529,296	8,719,829,000	4,343,568,000	12,282,280,119	19,406,091,000
	एनपीईजीईएल	-	(96,708,156)	-	-	-	-
	के.जी.बी.वी.	442,576,900	102,117,600	277,715,000	140,344,000	355,073,005	329,887,000
	कुल	14,095,256,262	3,385,938,740	8,997,544,000	4,483,912,000	12,637,353,124	19,735,978,000

एडब्ल्यूपी एंड बी के अलावा, हम सभी आंकड़ो को प्रमाणित करते है ।

धीरूभाई शाह अेन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक :१६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers,
23 Nagindas Master Road,
Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor,
Phulchhab Chowk,
Rajkot: 360001

204 Sakar Complex,
Opp Abs Tower, Old Padra Road
Vadodara : 390015

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

एस.एस.ए मिशन

एफ.एम.आर-2

रज्य का नाम - गुजरात

खर्च समीक्षा रीपोर्ट

वित्तिय साल 2014-15

	राज्य का नाम	योजना	शेष राशि दिनांक ०१-०४-२०१४ तक	भारत / राज्य सरकार द्वारा विमोचित	कुल धन खर्च का विवरण ३१-०३-१५
1	गुजरात	एसएसए	3,380,529,296	13,063,401,400	12,282,280,119
2		एनपीईजीईएल	(96,708,156)	-	-
3		के.जी.बी.वी.	102,117,600	418,059,000	355,073,005
		कुल	3,385,938,740	13,481,460,400	12,637,353,124

हम ए.इ.डब्लू.पि और बि के लिये आंकडों को प्रमाणित करते है.

धीरुभाई शाह एन्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीश का. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६-१०-२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers,
23 Nagindas Master Road,
Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor,
Phulchhab Chowk,
Rajkot : 360001

204 Sakar Complex,
Opp Abs Tower, Old Padra Road
Vadodara : 390015

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

सर्व शिक्षा अभियान

IUFR - III

राज्य का नाम - गुजरात

For the half year ending on31.03.2015

अनुक्रम	प्रकृति वार व्यय	०१.०४.२०१४ से ३१.०३.२०१५ तक
	३१/०३/२०१५ तक एसएसए के अंतर्गत प्रकृति वार व्यय का बयान	
	१३वें एफ.सी.एवॉर्ड से प्राप्त निधि	
1	परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	211,373,598
2	स्कूल बाहर के बच्चों को मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	380,016,727
3	निशुल्क पाठ्यपुस्तकें	174,826,000
4	नदी के लिए प्रावधान	-
5	शिक्षक अधिगम उपकरण	6,540,000
6	नए शिक्षकों को वेतन	4,137,803,700
7	प्रशिक्षण	246,059,470
8	ब्लाक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	493,428,442
9	क्लस्टर संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	976,828,004
10	कम्प्यूटर ऐडेड शिक्षा	18,014,000
11	स्कूलों में पुस्तकालय	-
12	शिक्षक अनुदान	-
13	स्कूल ग्रान्ट	331,269,786
14	संशोधन, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	5,015,678
15	रखरखाव के लिए अनुदान	375,560,293
16	सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	232,515,823
17	नवीनतम हेतु	119,463,581
18	एस.एम.सी. / पी.आर.आई. प्रशिक्षण	58,898,073
19	प्रबंधन	623,521,958
	राज्य घटक	
20	प्रबंधन और एमआईएस	128,637,746
21	संशोधन एवं मूल्यांकन	19,839,356
	कुल (I)	
	एसएसए असल अनुदान	
22	निर्माण कार्य	3,742,696,624
23	के.जी.बी.वी.	355,073,005
	कुल योग - (I) + (II)	**12,637,353,124**

हम उपर्युक्त सारे आँकड़ों को प्रमाणित करते हैं।

धीरुभाई शाह एन्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : २६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | Email : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers,
23 Nagindas Master Road,
Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor,
Phulchhab Chowk,
Rajkot : 360001

204 Sakar Complex,
Opp Abs Tower, Old Padra Road
Vadodara : 390015

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी - गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद, गांधीनगर के द्वारा उपयोग में लाई गई खरीद, प्रक्रिया की याद्दच्छिक आधार पर चले है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए वर्ष २०१४-१५ के राज्य एवं जिला स्तर के आलेखों का लेखा परिक्षण किया है, और हमारे प्रबंधन पत्र के आधीन रहकर, सामान्यरुप से हम संतुष्ट है कि खरीद प्रकिया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबन्धन और खरीदी मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रकिया का पालन गया है और निम्नलिखित विचलनों का अवलोकन किया है।"

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023
Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001
204 Sakar Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road Vadodara : 390015

वैद्यानिक ओडिट फकरा की वर्षानुसार विवरण

सर्व शिक्षा अभियान

क्रमांक	ओडिट रीपोर्ट वर्ष की अवधि	ओडिट रीपोर्ट के अनुसार फकरों की संख्या	सेटल हुआ पेरा की संख्या	ओडिट दिनांक वर्ष के दिन बाकी फकरा की संख्या	बाकी फकरों के नंबर
१	२	३	४	५	६
१	२००८-०९	20	7	13	1,3,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,18
२	२००९-१०	24	8	16	1,3,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,18, 19,22, 23
३	२०१०-११	24	8	16	1,3,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,16,17,18, 19,21,22
४	२०११-१२	23	23	NIL	N.A.
५	२०१२-१३	26	26	NIL	N.A.
६	२०१३-१४	20	20	NIL	N.A.
	कुल	137	92	45	

CHINUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

१ यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१४-१५ के दौरान राज्य परियोजना निर्देशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कुल शिक्षा साक्षरता विकार विभाग एवं गुजरात राज्य से संदर्भित पत्र अनुसार रू.१२३३,१४,५६,०००/- (अेक हजार दोसो तैतीस करोड चौदाह लाख छप्पन हजार) का अनुदान मंजुर / प्राप्त हुआ और पिछले साल की बाकी जो खर्च नही हुइ वो रू.३३७,८८,९२,९१३/- (तिनसो साडित्तस करोड अठ्ठासी लाख बानवे हजार नवसो तेरह) बेंक व्याज रू.२३,९२,३५,०७४/- (तेवीस करोड बहानवे लाख पैंतिस हजार चव्वत्तर) अन्य प्राप्तियाँ रु.१८,८७,९३,८०७/- (रू.अढारवे करोढड सत्तासी लाख तहानवे हजार आठसो सात) कुल मिला के रू.१६१३,८३,७७,७९४/- (अेक हजार छेसो तेह करोड तयांसी लाख सतहतर हजार सातसो चोरनवे) जिसमें से कुल रू.११४८,७३,५३,१२४/- (अेक हजार अेकसो उडयान्सी करोड तहतर लाख सहतर लाख तेपन हजार अेकसो चोबीस) जो काम के लिये मंजुर किये गये थे जो साल २०१४-१५ के दैरान उपयोग किया गया, रू. ५२,०२,०४७/- (रू. बहान वे लाख दो हजार सुडतालीस) को ला के अंत में बाकी असमयोजित के लिये अेडवान्स दिया गया जो इकाइयो / अेजेसियो को लागु करने से प्राप्त हो रहे हे, किसे के लिए वर्ष के अंतमें असमयोजित शेष एक अग्रिम के रुपमें दिया जाता है और बेलेन्स रू.४६४,५८,२२,६२३/-(चारसो चोसठ करोड अठ्ठावन लाख बाइस हजार छेसो तेइस) को साल के अंतमें आगे लिया गया और उसको अगले साल २०१५-१६ के दैरान अनुदान भुगतान में समयोजित किया गया।

२ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को जिन शर्तो पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की अपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैंनें नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम से की है और मैं उससे संतुष्ट हूँ।

जाँच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

1. लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbs...

1st Floor Cama Chambers,
23 Nagindas Master Road,
Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor,
Phulchhab Chowk,
Rajkot: 360001

204 Sakar Complex,
Opp Abs Tower, Old Padra Road
Vadodara : 390015

2. उपयोग प्रमाणपत्र
3. प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

पि. बि. खरचिलया
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :१६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकाड्र्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युक्त विवरणो की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण उन सभी के साथ पूर्ण रुप से अनुरुप है, इसे वर्षात ३१.३.२०१५ के हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढे ।

धीरूभाई शाह अेन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

dhirubhai shah & doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

लेखा परिक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
राज्य परियोजना निर्देशक,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर.

संदर्भ :- गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद विभाग (के.जी.बी.वी.) २०१४-१५ के वैद्यानिक अंकेक्षण

१. हमने *'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम', गुजरात* की यहाँ संलग्न ३१ मार्च, २०१५ की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उनकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियों एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तीय निवेदनों का इसमें दर्शाई गई दिनांक को पूर्ण होने वाले वर्ष का लेखा परिक्षण किया है। ये वित्तीय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परिश्रण के आधार पर वित्तीय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

२. हमने भारत में सामान्यरुप से मान्य किए गए लेखा परिक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमे अपना लेखा परीक्षण इस तरह से आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की सामग्री के गैर निवेदन से मुक्त है। लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आँकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के यादृच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है। लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनो समेत समग्र वित्तीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारे लेखा परिक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है।

३. 'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम' भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है।

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023

Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001

204 ..., Opp Abs Tower, Old Padra Road, Vadodara : 390015

४. सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों में इस अनुदान का उपयोग करता है।

५. प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत) पीछले वर्षों के शेष अनुदान, बैन्क से प्राप्त ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य आयों को आय एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियो के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई राशि तथा / अथवा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपत्ति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

६. ईसके अंतर्गत नियत की गई विविध प्रवृत्तियों का भी समावेश किया गया है। तथा साथ साथ इस कार्य अंतर्गत सभी हेतुओं भी उपलब्ध है। अन्य खर्च आवक महेसूल में सामिल किया गया है।

__हम रिपोर्ट करते है कि :-__

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परिक्षण के लिए आवश्यक तमाम जानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बॅलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जरुरी आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबों के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की तारीख तक अधिकारीयों की कस्टडी मे थे ३१.०३.२०१५ तक कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) हमारे अनुसार, परियोजना द्वारा जरुरी हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमूनों की जाँच से पता चलता है।

(ई) हमारे मतानुसार हमे मू ल्करने से यह सिध्ध हुआ है की, परीयोजा द्वारा अपेक्षित सभी लेखांकन बुक्स अनुरक्षित किया गया है।

(अेफ)हमारी जांच और माहिती के लिए उपलब्ध रीमार्कस जो हमे दिये गये, हमने खरीद प्रक्रिया की ओडिट की है जीसमें से मालखरीद, कार्य एवं सेवा सब स्मामिल हे और रीपोर्ट बरने के लिए कोइ भी गेरमाहिती नही है।

(जी) कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी लेखांकन बुक्स भिन्न जिला स्तर पर बाइ जाती है और उसको राज्य परीयोजना कार्यालय, गांधीनगरमसं समेकित किया जाता है।

(अेच)हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-२ में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र के आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धांतों का पालन किया गया है :

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

(अ) बेलैंस शीट के विषय में राज्य परियोजना कार्यालय के मामलों की दशा दिनांक ३१ मार्च, २०१४ के अनुसार

(ब) आय और व्यय खाता के विषय में ३१ मार्च, २०१४ को पूर्ण होते वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के उपलक्ष में ।

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

प्रति,
राज्य परियोजना निर्देशक,
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय,
गुजरात राज्य,
गांधीनगर.

<u>*प्रबंधन पत्र*</u>

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षण एवं साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक १०१.५ एवं पूरक अंश-XVI की आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए प्रबंधक पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परिक्षण जाँच एवं यदच्छित लेखा परिक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के किए हमारे अवलोकन एवं सिफारिशें शामिल है। इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है।

१ जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया और उससे पता चलता है की प्रकिया / पध्धति योग्य है तथापि वर्ष के अंत में तीन महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए गैरभुगतान रहे अगले वित्त वर्ष में समाधान के बाद उलट किये जाने चाहिए।

२ आंतरिक लेखा परिक्षक के सुझावों / ध्यान प्रकिया मे है और उसे शीध्र ही समयानुसार पुरा करना है।

३ राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए लेखा परिपत्रो से ज्ञात होता है कि कर की कटोती (टी.डी.एस.) के संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है वह पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसलिए यहां पर आयकर प्रावधान की योग्य व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

४ जिला स्तर से तहसील स्तर तक धनराशी के मिलान की क्रिया लागु की जानी चाहिए तथा ब्याज समय की बाकियां की प्रतिप्रष्ठि होनी चाहिए।

५ हसील स्तर की इकाईया जैसे की के.जी.बी.वी. स्तर पर लेखा परिपत्र के दौरान हमने पाया है की

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023 | Aditya Centre,Second Floor, Phukhhab Chowk, Rajkot : 360001 | 204 Sakar Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road, Vadodara - 390015

संचालक काफी भुगतान नकद रुप में कर दिया करते है। इसलिए नकद भुगतान के उपर नियंत्रण लाने के लिए सलाह दी जाती है कि जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए सभी भुगतान ओ की संस्था के हिसाब से योग्य है अकाउन्ट पे चैक के द्वारा चुकाने चाहिए।

६ इस का काम हरहंमेश, समयानुसार पिछली प्रक्रिया की तरह नकद हिसाबी पध्धति से हो रहा है जो हिसाबी निति कई सालोसे बंध कर दी है. हालाकि ओम.ओच.आर.डी. की सलाह और सुचन अनुसार योग्य हिसाबी पध्धति का वितरण किया गया है।

७ सूची पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस कि ओर से ये सुचना दि जानि चाहिए कि पूंजीगत वस्तुओ, शिक्षको की शिक्षा सामग्री, प्रशिक्षण मोड्युल्स और निःशुल्क पाठयपुस्तक के रूप में वस्तुओ की मात्रात्मक विवरण दिखाइ जानी चाहिए जिससे कि उपभोग्य और गैर उपभोग्य लेख और के लिए उप जिला स्तर पर अलग स्टोक रजिस्टर बनाना चाहिए. हमे ये हिनायत देना चाहते है कि कम से कम साल में एक बार उनकी भौतिक चोकसाइ होनी चाहिए जिससे कि एक सामग्री के वितरण के लिए स्थापित किया जाना चाहिए जिससे विघ्न कि गई वस्तुओ कि सुचि को मिलाने में आसानी हो।

८ जिला मे इस कार्यक्रम का संचालन महिला सामख्य से हो रहा है. जहां पर कार्यक्रम की मुख्य कार्यालेप संस्थाओ को धनराशि उपलब्ध कराता है जिससे वो जिला की सभी मोडल स्कूलो में उपयोग होता हे, हमारे लेखा परिरुप के दौरान ध्यान में आया हे की जांच के लिए कोर योग्य वाउचर्स नहीं दे और सिर्फ चार्टड एकाउन्टन्ट द्वारा दिया गया उपयोगिता प्रमाणपत्र महिला सामख्य की ओर से उपलब्ध कराया गया हे जो सिर्फ खर्च के किए आधार माना गया हे। हम इस बात का प्रबंधको से सख्त विरोध हे की संस्थाओ के द्वारा किया गया खर्च जांच के लिए कोइ माहितगार वाउचर्स नहि है।

९ निम्नलिखित राशि की पुष्टि और सामंजस्य से जल्द हो जानी चाहिए।

क्रम	खाता हेड	रकम (रु)	जमा / उधार
१	आरएम / इअेमडी / परफोर्मन्स डिपोझीट	५,८९,२२६	जमा
२	कर और कपात	१६,८८२	जमा
३	लेनदार	१,३९,४८,५३६	जमा
४	अेस.अेस.अे. को भुगतान	७,८६,६४९	जमा
५	निजला स्तर पर के.जी.बी.वी. को अेडवान्स	८,००,११२	जमा

१० हमारा सुझाव है कि जिन संपत्तियो को संपत्ति रजिस्टर में आलेखित किया गया है उन्हें हिसाब की वित्तिय किताबों में भी लिखा जाना चाहिए, जो अभी नही किया गया है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

११ कुछ केवीकेयों द्वारा खरीद प्रक्रिया का योग्य अनुपालन नही किया जा रहा है जिसे समय रहते ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक :१६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

३१.०३.२०१५ तक की अवधि पूर्ण होने तक का आय और व्यय खाता

व्यय	ईस साल वही रकम	पीछले साल वही रकम	आय	ईस साल वही रकम	पीछले साल वही रकम
			भारत सरकार के प्राप्त अनुदान		
अनुदान चुकाना /वापस लेना			सामान्य अनुदान	-	70,800,000
(राज्य और जिला स्तर पर)			अचल अनुदान	277,715,000	49,200,000
			गुजरात सरकार से प्राप्त अनुदान		
मोडल I	19,936,105	46,307,172	सामान्य अनुदान	140,344,000	106,013,000
मोडल I	47,063,878	73,451,008	अचल अनुदान	102,117,600	188,315,426
मोडल III	32,082,801	38,450,461		-	
आवर्ती व्यय			जोड़े: असंवितरित शेष पिछले वर्ष से आगेल लाये		
मोडल I	158,700,601	97,458,416	बैन्क व्याज	5,241,462	4,919,627
मोडल I	56,304,016	34,587,138	प्राप्त निविदा शुल्क	9,500	
मोडल III	40,985,604	28,591,208	अन्य आय	1,814	
				3,718	-
आय से अधिक खर्च को बेलेन्स शीट में आगे ले जाने के लिए	**173,273,224**	**102,117,600**	*जिलों पर प्राप्त व्याज*	6,001	
			बैन्क व्याज	2,877,423	1,711,750
			अन्य आय	29,711	3,200
कुल	**528,346,229**	**420,963,003**	कुल	**528,346,229**	**420,963,003**

अनुबंध "।" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :१६/१०/२०१५

राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

३१.०३.२०१५ पर बैलेन्स शीट

स्रोत	वर्तमान साल की रकम (रू.)	पीछले साल की रकम (रू.)		अनुप्रयोग	वर्तमान साल की रकम (रू.)	पीछले साल की रकम (रू.)
देय (राज्य और जिला स्तर पर)				बैंक एवं नकद शेष		
विविध लेनदारीया	1,39,48,536	1,62,030		(राज्य एवं जिला स्तर)	17,45,47,769	5,80,47,263
जिला स्तर पर जिम्मेदारीयां	16,882	-		ओस.पी.ओ. का बैंक शेष	6,16,93,338	5,42,67,298
आर.ओम. / ई.ओम.डी. / ओम.डी.	5,89,226	1,06,96,675		जिला स्तर पर बैंक शेष		
ओसओसओ द्वारा भारत सरकार प्राप्त / देय अनुदान	5,00,00,000			प्राप्य		
कर्तव्यो और करों ओसओसओ को देय	-	17,07,149		(राज्य एवं जिला स्तर)		
अनुदान विवरण	-	2,53,841		महिला सामथ्य को अडवान्स	7,86,649	15,20,010
आय और खर्च खाते से लायी गइ शेष	17,32,73,224	10,21,17,600		जिल्ला स्तर पर के.जी.बी.वी. को अडवान्स	8,00,112	11,02,726
कुल	**23,78,27,868**	**11,49,37,295**		कुल	**23,78,27,868**	**11,49,37,295**

(प्रो. [illegible])
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :. १६/१०/२०१५

(मुकेश कुमार)
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरिश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१.०३.२०१५ को समाप्त हुए वर्ष के लिए

स्रोत(प्राप्तियाँ)	कुल				
प्रारंभिक शेष					
(अ) हाथ पर शेष राशि	-				
(ब) बेन्क में जमा शेष	112,314,559				
कुल	112,314,559				
स्रोत (प्राप्ति)					
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि	277,715,000				
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि	140,344,000				
(सी) ब्याज	8,118,885				
अन्य					
(अ) अनुदान वापसी बचत	29,711				
(ब) निविदा शुल्क	3,718				
(क) विविध प्राप्तियाँ	9,500				
(ड) वाहनों की पुनःबिक्री	1,814				
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	52,770,925				
(फ) अन्य	6,001	वर्तमान संपत्ति	प्रारंभिक शेष	जमा शेष	फर्क
कुल प्राप्तियां (१)	591,314,113	महिला सामख्य एडवान्स	15,20,010	7,86,649	7,33,361
अनुप्रयोग (व्यय)	व्यय खर्च	जिला स्तर पर केजीबीवी को एडवान्स	11,02,726	8,00,112	3,02,614
अदायगीयाँ		वर्तमान जिम्मेदारीयां	प्रारंभिक शेष	जमा शेष	फर्क
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल - १	19,936,105	कर्तव्यों और करों	17,00,456	-	-17,00,456
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत मोडल - १	158,700,601	विविध देनदारीयां	99,59,078	1,39,48,536	39,89,458
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल -२	47,063,878	जिला स्तर पर जिम्मेदारीयां	6,692	16,882	10,190
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत मोडल -२	56,304,016	एसएसए को देय	2,53,841	-	-2,53,841
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल -३	32,082,801	आर.एम./ई.एम.डी./एस.डी.	8,99,627	5,89,226	-3,10,401
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल ३	40,985,604	एसएसए द्वारा भारत सरकारश्री प्राप्त / देय अनुदान	-	5,00,00,000	5,00,00,000
कुल खर्च (२)	355,073,005				5,17,34,950
बंद शेष -(१) - (२)	236,241,108				
(अ) बेन्क में शेष जमा राशि	236,241,107				
(ब) हाथ पर शेष राशि					
कुल	**236,241,107**	नेट आय प्रवाहिता (व्यय प्रवाहिता)			**5,27,70,925**

(पी.डी. चिरचलीया)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

(मुकेश कुमार)
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१ वीं मार्च, २०१५ के रुप में समेकित आय और व्यय लेखा
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

प्राप्ति	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष	भुगतान	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष			भुगतान		
(अ) बेन्क में जमा राशि	112314559	131587765	केजीबीवी- गैर आवर्ती मोडल-१	19936105	46307172
(ब) हाथ पर शेष राशि	-		केजीबीवी- प्रति वर्षकी लागत मोडल-१	158700601	97458416
भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			केजीबीवी- गैर आवर्ती मोडल-१	47063878	73451008
(ओ) के.जी.बी.वी. सामान्य अनुदान	-	70800000	केजीबीवी- प्रति वर्षकी लागत मोडल-१	56304016	34587138
(बी) के.जी.बी.वी. पूंजी अनुदान	277715000	49200000	केजीबीवी- गैर आवर्ती मोडल-१	32082801	38450461
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			केजीबीवी- प्रति वर्षकी लागत मोडल-१	40985604	28591208
(ओ) के.जी.बी.वी. सामान्य अनुदान	-	-			
(बी) के.जी.बी.वी. पूंजी अनुदान	140344000	106013000			
ब्याज					
के.जी.बी.वी.	8118885	6631377			
अन्य					
(ओ) जिला स्तर पर अनुदान वापसी (जन्य)	29711	3092			
(बी) देर से प्रस्तव जुर्माना	3718	-			
(सी) निविदा फीस	9500	-			
(डी) जुर्माना आमदनी	1814	-			
(इ) अन्य आमदानी	6001	108			
भुगतानी / प्राप्ति में नेट वृध्धि / कमी	52770925	66924620	कुल खर्च (के.जी.बी.वी.) जमा शेष	355073005	318845403
			(ओ) बेन्क बेलेन्स		
			(बी) हाथ में नकद	236241107	112314559
कुल	591314113	431159962	कुल	591314113	431159962

अनुबंध "।" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

(पी.के.खरचलीया)
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

(सुकेश कुमार)
राज्य परियोजना निर्देशक,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 102511W AHMEDABAD

फंड प्रवाह विवरण – केजीबीवी

३१.०३.२०१५ को समाप्त हुए वर्ष के लिए

स्रोत(प्राप्तियां)	कुल
प्रारंभिक शेष	
(अ) हाथ पर शेष राशि	-
(ब) बैन्क में जमा शेष	112,314,559
कुल	112,314,559
स्रोत (प्राप्त)	
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि	277,715,000
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि	140,344,000
(स) ब्याज	6,118,885
अन्य	
(अ) अनुदान वापसी वचत	29,711
(ब) निविदा शुल्क	3,718
(क) विविध प्राप्तियां	9,500
(ड) वाहनों की पुन:बिक्री	1,814
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	52,770,925
(फ) अन्य	6,001
कुल प्राप्तियां (I)	591,314,113
अनुप्रयोग (व्यय)	व्यय खर्च
अदायगीयां	
केजीबीवी – गैर आवर्ती मोडल I	19,936,105
केजीबीवी – प्रतिवर्ष आवर्ती लागत – मोडल – I	158,700,601
केजीबीवी – गैर आवर्ती मोडल II	47,063,878
केजीबीवी – प्रतिवर्ष आवर्ती लागत – मोडल II	56,304,016
केजीबीवी – गैर आवर्ती मोडल III	32,082,801
केजीबीवी – प्रतिवर्ष आवर्ती लागत – मोडल III	40,985,604
कुल खर्च (II)	355,073,005
बंद शेष –(I) – (II)	236,241,108
(अ) बैन्क में शेष जमा राशि	236,241,107
(ब) हाथ पर शेष राशि	
कुल	236,241,107

(पि. के. खंभालिया)
और हिसाब अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, राज्य परियोजना कार्यालय, गुजरात
प्रारंभिक शिक्षा परिषद,

स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

नि. (सुकेश कुमार) आईएएस
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरूभाई शाह एन्ड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार M. No. 014427
स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

29

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

३१.०३.२०१५ पर बैलेन्स शीट

स्रोत	ईस साल बही रकम	पीछले साल बही रकम	अनुप्रयोग	ईस साल बही रकम	पीछले साल बही रकम
अनुदान विवरण			बैंक और रोकड़ शेष		
देय			(राज्य और जिला स्तर पर)		
(राज्य और जिला स्तर पर)		-			
आरएम/ईएमडी/ निष्पादन जमा	-	102,117,600	एसपीओ के पास बैंक में शेष धनराशि	174,547,769	58,047,263
केजीबीवी को अग्रिम भुगतान			जिलाओ के पास बैंक मे शेष धनराशि	61,693,338	54,267,296
कर्तव्य और देय कर					
लेनदार					
देय			प्राप्य		
(राज्य और जिला स्तर पर)			(राज्य और जिला स्तर पर)		
आरएम/ईएमडी/ निष्पादन जमा	10,696,675		महिला सामख्य को अग्रिम भुगतान	786,649	1,520,010
केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	1,707,148		जिलों पर केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	800,112	1,102,726
कर्तव्य और देय कर	253,841				
लेनदार	162,030	12,819,695	समायोजन खाता		
कुल	12,819,694	114,937,295	कुल	237,827,868	114,937,295

अनुबंध "I" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

संलग्न तारीख के हमारी लेखा रिपोर्ट के अनुसार,

पि.बिखारचलिया
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरूभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार M. No. 014427

स्थान : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

27

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम
गुजरात राज्य

३१.०३.२०१५ तक की अवधि पूर्ण होने तक का आय और व्यय खाता

व्यय	इस साल की रकम	पीछले साल की रकम	आय	इस साल की रकम	पीछले साल की रकम
			भारत सरकार के प्राप्त अनुदान		
अनुदान चुकाना /वापस लेना			सामान्य अनुदान	-	70,800,000
(राज्य और जिला स्तर पर)			अमल अनुदान	277,715,000	49,200,000
			गुजरात सरकार से प्राप्त अनुदान		
मोडल I	19,936,105	46,307,172	सामान्य अनुदान	140,344,000	106,013,000
मोडल II	47,063,878	73,451,008	अमल अनुदान	102,117,600	188,315,426
मोडल III	32,082,801	38,450,461		-	
आवर्ती व्यय			जोडें: अवर्गीकृत शेष पिछले वर्ष		
			से आगे लाये		
मोडल I	158,700,601	97,458,416	बैंक ब्याज	5,241,462	4,919,627
मोडल II	56,304,016	34,587,138	प्राप्त निविदा शुल्क	9,500	
मोडल III	40,985,604	28,591,208	अन्य आय	1,814	
				3,718	-
आय से अधिक खर्च को	173,273,224	102,117,600	किश्तों पर प्राप्त ब्याज	6,001	
बेलेन्स शीट में आगे ले जाने के लिए					
			बैंक ब्याज	2,877,423	1,711,750
			अन्य आय	29,711	3,200
कुल	528,346,229	420,963,003	कुल	528,346,229	420,963,003

अनुबंध "I" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

वि. बि. [illegible]
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
दिनांक : १६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
दिनांक : १६/१०/२०१५

संलग्न तारीख के हमारे लेखा रिपोर्ट के अनुसार,
धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W

हरीश बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427
स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

28

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

परिशिष्ट '1 '' महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खातों का गठन

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम- गुजरात राज्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों :

(ए) लेखांकन का आधार :

परियोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा हिसाब की रोकड रकम के आधार पर तैयार किए जाते है, आय / अनुदानों का हिसाब तभी देखा जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते है और खर्च तभी किए जाते है, जब यह वस्तुत: उसे चुकाया जाता है। उप जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को शोधन के समय किए गए खर्चों तौर पर लिया जाता है।

प्राप्त अनुदान, वापस किए गए अनुदान (बचत), पिछले वर्षो के अनुदानों की असंवितरित धनराशि, बेन्क ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य आय को आय के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवृत्तियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया, इसमें निर्माण के लिए किया गया भुगतान तथा / अथवा अचल संपत्ति के अभिग्रहण को भी समाविष्ट किया गया है।

(बी) अचल संपत्तियाँ :

राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित / निर्मित अचल संपत्ति भुगतान के समय खर्च के तौर पर लिया जाता है, परियोजना के निर्माण कार्य, जैसे कि केजीबीवी भवनों इत्यादि के निर्माण कार्य को आय और व्यय के रुप में लिया जाता है।

(सी) वस्तुसूची :

३१.०३.२०१४ की स्थिति पर उपभोग्य और अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नहीं किया गया है। वर्ष पर्यंत इन वस्तुओं के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा ईसका हिसाब नकद रकम के रुप में किया गया है।

(डी) निवेश :

बेन्क के बचत खाते में रखी रकम के अलावा अन्य कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in

1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023 | Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot: 360001 | 204 Sakar Complex, Opp Abs Tower, Old Padra Road Vadodara : 390015

(ई) *सरकारी अनुदान :*

परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए जानेवाले अनुदान प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है

(एफ) *वापसी अनुदान :*

प्रवर्तमान वितीय वर्ष में विशेष बजट हेड के अंतर्गत संवितरित अनुदान की रकम तथा अव्यतित / गैर उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है, और जो अनुदान की रकम पिछले वितीय वर्षो के दौरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और इस वितीय वर्ष के दौरान अव्यतित / गैरउपयोगी के रुप में उलट की गई है, उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

2. ***लेखा टिप्पणियाँ :***

(ए) 'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद की 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस' के नाम से ईस कार्यक्रम के उद्देश्यों को अभियान के रुप में लागु किया गया है।

(बी) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिला स्तर, तहसिल स्तर, क्लस्टर स्तर और ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविध हेतुओं के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

(सी) कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार, किसी भी वर्ष विशेष में, मंजुर की गई कोई लागत यदि पूर्ण से व्यतित नहीं की जाती है, तो वही लागत बचत बन जाती है तथा उसे गैर-आवर्ती हेड के तहत व्यवहार में लाया जाता है, यह बचत आगे के वर्षों में की जानेवाली प्रवृत्तियों के लिए खर्च करने योग्य समझी जाती है।

(डी) मोजुद देनदारियों और मोजूद संपत्तियों में शेषा राशि खाता किताब के अनुसार और संबंधित पार्टियो से पुष्टि के आधीन है।

(ई) यह परियोजना के लिए दी गई सुचना एवं मार्गदर्शन अनुसार विविध राज्ये में अनुदान को वर्गीकृत किया गया है।

(एफ) रीटेनशी मनी / बीड सिक्युरिटी / अरनेस्ट मनी डिपोजीट (ईएमडी) / पर्फोर्मेन्स सिक्युरिटी के रुप में शेष राशि रू.५,८१,२२६/- रीकन्सीलेशन अनुसार होगी।

(जी) क्षेत्र में कोई भी दावे की सुनवाई कोर्ट में बाकी नही है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

(एच) बैलेन्स शीट में कोई आकस्मिक दायित्व और बैलेन्स शीट के बाहर की वस्तु नहीं है।

(आई) आँकड़ो को निकटतम् रुपयों मे परिवर्तित किया गया है।

पि. वि. खरचिलया
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :१६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

इस दिनांक हमारे संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

सर्व शिक्षा अभियान
वैधानिक अंकेक्षण २०१४-१५

अनेक्षर-२

नं	जिल्ला का नाम	कुल युनिट					न ओडिट ओडीटेड					समय ओडीटेड					बाकी व अधिक युनिट				
		डीपीओ	बीआरसी	सीआरसी	एसएमसी	कुल	डीपीओ	बीआरसी	सीआरसी	एसएमसी	कुल	डीपीओ	बीआरसी	सीआरसी	एसएमसी	कुल	डीपीओ	बीआरसी	सीआरसी	एसएमसी	कुल
१	अमदावाद	1	11	155	953	1120	1	11	63	272	347	1	11	63	267	342	0	0	0	5	5
२	अमरेली	1	11	120	807	939	1	11	40	260	312	1	10	40	252	303	0	1	0	8	9
३	आणंद	1	8	164	1153	1326	1	8	55	256	320	1	8	55	354	418	0	0	0	2	2
४	बनासकांठा	1	12	278	2394	2685	1	12	93	771	877	1	12	92	751	856	0	0	1	20	21
५	भरूच	1	8	129	964	1102	1	8	51	312	372	1	8	51	312	372	0	0	0	0	0
६	भावनगर	1	11	171	1200	1383	1	11	10	393	415	1	11	10	376	398	0	0	0	17	17
७	दाहोद	1	7	174	1788	1970	1	7	58	312	378	1	7	58	307	373	0	0	0	5	5
८	डांग	1	1	42	404	448	1	1	16	131	149	1	1	16	128	146	0	0	0	3	3
९	गांधीनगर	1	4	95	696	796	1	4	32	208	245	1	4	32	208	245	0	0	0	0	0
१०	जामनगर	1	10	194	1457	1662	1	10	65	468	544	1	10	62	451	524	0	0	3	17	20
११	जूनागढ़	1	14	184	1360	1559	1	14	63	441	518	1	14	62	434	511	0	0	0	7	7
१२	खेडा	1	10	211	1761	1983	1	10	72	558	641	1	10	72	558	641	0	0	0	0	0
१३	कच्छ	1	10	232	1748	1989	1	10	78	341	430	1	10	78	341	430	0	0	0	0	0
१४	महेसाणा	1	9	146	1063	1219	1	9	49	336	395	1	9	49	332	391	0	0	0	4	4
१५	नर्मदा	1	4	84	746	835	1	4	45	232	282	1	4	45	210	260	0	0	0	22	22
१६	नवसारी	1	5	103	774	883	1	5	34	96	136	1	5	34	96	136	0	0	0	0	0
१७	पंचमहाल	1	11	274	2460	2746	1	11	91	817	920	1	11	88	805	905	0	0	3	12	15
१८	पाटण	1	7	109	852	969	1	7	36	235	279	1	7	36	233	277	0	0	0	2	2
१९	पोरबंदर	1	3	48	333	385	1	3	16	110	130	1	3	16	108	128	0	0	0	2	2
२०	राजकोट	1	14	185	1362	1562	1	14	62	450	527	1	14	61	447	523	0	0	1	3	4
२१	साबरकांठा	1	13	328	2615	2957	1	13	106	819	939	1	13	96	809	919	0	0	10	10	20
२२	सूरत	1	9	137	1087	1234	1	9	51	342	403	1	9	51	339	400	0	0	0	3	3
२३	तापी	1	5	81	871	958	1	5	27	263	296	1	5	27	261	294	0	0	0	2	2
२४	सुरेन्द्रनगर	1	10	139	1025	1175	1	10	46	350	407	1	9	46	338	394	0	1	0	12	13
२५	वडोदरा	1	12	238	2441	2692	1	12	80	771	864	1	12	80	752	845	0	0	0	19	19
२६	वलसाड	1	5	133	1061	1200	1	5	45	332	383	1	5	45	332	383	0	0	0	0	0
२७	ए.एम.सी	1	4	43	501	549	1	4	14	151	170	1	4	14	151	170	0	0	0	0	0
२८	एस.एम.सी.	1	4	33	297	335	1	4	12	90	107	1	4	12	90	107	0	0	0	0	0
२९	वी.एम.सी.	1	4	16	113	134	1	4	6	35	46	1	4	6	35	46	0	0	0	0	0
३०	आर.एम.सी.	1	4	22	89	116	1	4	7	27	39	1	4	7	27	39	0	0	0	0	0
	कुल	30	240	4268	34373	38911	30	240	1422	10179	11871	30	238	1404	10104	11776	0	2	18	175	195

Status of KGBV

नं	जिला का नाम	कुल युनिट	नं ओफ ओडीटेड	समाप्त ओडीटेड	नही कवर हो पाये
१	अमदावाद	4	4	4	0
२	अमरेली	2	2	2	0
३	बनासकांठा	10	10	4	6
४	भावनगर	6	6	6	0
५	दाहोद	7	7	7	0
६	जामनगर	3	3	1	2
७	जुनागड	6	6	6	0
८	खेडा	1	1	0	1
९	कच्छ	8	8	8	0
१०	मेहसाणा	1	1	1	0
११	नर्मदा	2	2	2	0
१२	पंचमहाल	9	9	9	0
१३	पाटण	5	5	5	0
१४	राजकोट	3	3	1	2
१५	साबरकांठा	3	3	3	0
१६	सुरत	9	9	9	0
१७	तापी	3	3	3	0
१८	सुरेन्द्रनगर	3	3	3	0
१९	वडोदरा	2	2	2	0
२०	वलसाड	2	2	2	0
	कुल	89	89	78	11

FRN:102511W AHMEDABAD

सर्व शिक्षा अभियान

बाकी अेडवान्सीस का विवरण

अेनेक्षर-३

नं	जिला का नाम	Year	पिछले साल की ओडिट रीपोर्ट अनुसार अेडवान्सीस			साल के दौरान अेडवान्स समायोजन			बाकी अेडवान्स		
			पूंजी	सामान्य	कुल	पूंजी	सामान्य	कुल	पूंजी	सामान्य	कुल
१	अेस.अेम.सी.	२०१३-१४	0	45000	45000	0	45000	45000	0	0	0
२	गांधीनगर	२०१०-११	0	59081	59081	0	59081	59081	0	0	0
३	राजकोट	२००५-०७	0	58283	58283	0	58283	58283	0	0	0
		२०१३-१४	0	311700	311700	0	311700	311700	0	0	0
४	सुरेन्द्रनगर	२००८-०९	0	3206503	3206503	0	0	0	0	3206503	3206503
५	वलसाड	२०१३-१४	0	333740	333740	0	333740	333740	0	0	0
६	अेस.पी.ओ.	२०१२-१३	0	408783	408783	0	0	0	0	408783	408783
	कुल		0	4423090	4423090	0	807804	807804	0	3615286	3615286

KGBV

नं	जिला का नाम	Year	पिछले साल की ओडिट रीपोर्ट अनुसार अेडवान्सीस			साल के दौरान अेडवान्स समायोजन			बाकी अेडवान्स		
			पूंजी	सामान्य	कुल	पूंजी	सामान्य	कुल	पूंजी	सामान्य	कुल
१	अमदावाद	२०१३-१४	0	1052696	1052696	0	252583.5	252583.5	0	800112	800112
२	राजकोट	२००८-०९	0	6175	6175	0	6175	6175	0	0	0
		२००९-१०	0	13425	13425	0	13425	13425	0	0	0
		२०१०-११	0	30430	30430	0	30430	30430	0	0	0
३	अेस.पी.ओ.	२०१३-१४	0	1520010	1520010	0	733361	733361	0	786649	786649
	कुल		0	2622736	2622736	0	1035974.5	1035974.5	0	1586761	1586761

एसएसए - गुजरात
वित्तिय वर्ष २०१४-१५

एसएसए - एनपीईजीईएल - केजीबीवी उपयोगिता प्रमाणपत्र

क्र	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एनपीईजीईएल	केजीबीवी			कुल योग		
		सामान्य अनुदान	असल अनुदान	कुल		सामान्य अनुदान	असल अनुदान	कुल	सामान्य अनुदान	असल अनुदान	कुल
१					भारत सरकार						
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/ GEN/PLAN/V	705,091,900		705,091,900	-		33,977,000	33,977,000	705,091,900	33,977,000	739,068,900
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/ GEN/PLAN/V	2,510,595,000		2,510,595,000	-		43,738,000	43,738,000	2,510,595,000	43,738,000	2,554,333,000
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/SCSP/PLAN/V	150,000,000		150,000,000	-			-	150,000,000	-	150,000,000
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/SCSP/PLAN/V	402,867,900		402,867,900	-			-	402,867,900	-	402,867,900
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/TASP/PLAN/V	100,000,000		100,000,000	-			-	100,000,000	-	100,000,000
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/TASP/PLAN/V	1,103,921,000		1,103,921,000	-			-	1,103,921,000	-	1,103,921,000
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/ GEN/PLAN/V		558,901,100	558,901,100	-			-	-	558,901,100	558,901,100
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/ GEN/PLAN/V		1,800,000,000	1,800,000,000	-		200,000,000	200,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000
	GOG Dept.of Education No.APB/201415/ GEN/PLAN/V		199,230,000	199,230,000	-			-	-	199,230,000	199,230,000
	GOI Deppt. of Education Letter No. F.9-4/2014-EE.17		39,226,500	39,226,500				-	-	39,226,500	39,226,500
				-				-			-
		4,972,475,800	2,597,357,600	7,569,833,400	-	-	277,715,000	277,715,000	4,972,475,800	2,875,072,600	7,847,548,400

क्र	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एनपीईजीईएल	केजीबीवी			कुल योग		
		सामान्य अनुदान	असत अनुदान	कुल		सामान्य अनुदान	असत अनुदान	कुल	सामान्य अनुदान	असत अनुदान	कुल
2	गुजरात सरकार										
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/GEN/PLAN/280/V	1,906,156,000	-	1,906,156,000	-	-	140,344,000	140,344,000	1,906,156,000	140,344,000	2,046,500,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/GEN/PLAN/280/V	236,859,000	-	236,859,000	-	-	-	-	236,859,000	-	236,859,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/SCSP/PLAN/287/V	174,281,000	-	174,281,000	-	-	-	-	174,281,000	-	174,281,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/SCSP/PLAN/287/V	55,886,000	-	55,886,000	-	-	-	-	55,886,000	-	55,886,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/TASP/PLAN/288/V	405,107,000	-	405,107,000	-	-	-	-	405,107,000	-	405,107,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/TASP/PLAN/288/V	165,279,000	-	165,279,000	-	-	-	-	165,279,000	-	165,279,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/201415/GEN/PLAN/280/V	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000
	कुल योग GOG SSA	2,943,568,000	1,400,000,000	4,343,568,000	-	-	140,344,000	140,344,000	2,943,568,000	1,540,344,000	4,483,912,000
	कुल अनुदान (GOI + GOG)	7,916,043,800	3,997,357,600	11,913,401,400	-	-	418,059,000	418,059,000	7,916,043,800	4,415,416,600	12,331,460,400
3	पिछले वर्ष का अव्ययित शेष	4,978,024,288	(1,601,918,083)	3,376,106,205	(96,708,156)	69,933,931	29,560,933	99,494,864	4,951,250,063	(1,572,357,150)	3,378,892,913
4	बैंक से प्राप्त ब्याज	230,541,858		230,541,858	574,331	8,118,885	-	8,118,885	239,235,074	-	239,235,074
5	अन्य प्राप्तियां	188,743,063		188,743,063		50,744	-	50,744	188,793,807	-	188,793,807
	कुल	13,313,353,009	2,395,439,517	15,708,792,526	(96,133,825)	78,103,560	447,619,933	525,723,493	13,295,322,744	2,843,059,450	16,138,382,194
5	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया अनुदान	8,539,613,495	2,592,666,624	11,132,280,119	-	255,990,221	99,082,784	355,073,005	8,795,603,716	2,691,749,408	11,487,353,124
6	वापसी रिफंड	3,615,286	-	3,615,286	-	1,586,761	-	1,586,761	5,202,047	-	5,202,047
7	वर्ष के दौरान अव्ययित अनुदान	4,770,124,228	(197,227,107)	4,572,897,121	(96,133,825)	(179,473,422)	348,537,149	169,063,727	4,494,516,981	151,310,042	4,645,827,023
	नोट : (*) यह वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के बाद अंकों वाउचर में बकाया अग्रिम के आंकड़े दिखाता है										

dhirubhai shah
& doshi
CHARTERED ACCOUNTANTS
4th Floor, Aditya Building,
Near Sardar Patel Seva Samaj,
Mithakhali Six Roads, Ellisbridge,
Ahmedabad 380006.

ओडिटर रीपोर्ट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर

संदर्भ :- प्रारंभिक शिक्षा विभाग की गुजरात परिषद की सांविधिक ओडिट (स्वच्छ भारत कोष २०१४-१५)

(१) हमने स्वच्छ भारत कोष प्रोगाम गुजरात ३१,मार्च २०१५ वाले बैलेन्स शीट, आय और व्यय एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की उस तारीख को समाप्त होने वाला वर्ष की वहां तक की ओडिट की है यह वित्तीय विवरण की जिम्मेदारी प्रबंधक की है हमारी हमारी ओडिट के आधार पर वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने की है।

(२) हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत ओडिटींग और लेखांकन मानक के आधार पर हमारी ओडिट आयोजन किया है, हमारी योजना की आवश्यकता के अनुसार मानक अपनाया है जिससे वित्तीय विवरण की गलति से मुक्त है यह ओडिट में वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटीकरण समर्थन और परिवळ के आधार सबूत के साथ शामिल है। यह ओडिट में लेखांकन सिध्धांतो का इस्तेमाल किया और प्रबंधक द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण अनुमान को शामिल किया गया है साथ में संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुत का मूल्यांकन किया गया है। हम मानते है की हमारी ओडिट हमारी राय का एंव उचित आधार प्रदान करता है और हम निम्नलिखीत रीपोर्ट देते है।

(३) स्वच्छ भारत कोष यह भारत सरकार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम का हेतु कार्यान्वित करने के मिशन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद, सोसायटी बनाइ गई जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में आती है।

(४) राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान को विभिन्न जिला पर और रूप जिला के स्तर के उपयोग के लिए जारी किया जाता है या तो राज्य परियोजना कार्यालय खुद यह अनुमान का विभिन्न जिला में इस्तेमाल करते है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN-102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : (079) 2640 3325/26 | Website : www.dbsgroup.in | E-Mail : info@dbsgroup.in
1st Floor Cama Chambers, 23 Nagindas Master Road, Mumbai : 400023 | Aditya Centre,Second Floor, Phulchhab Chowk, Rajkot : 360001 | Opp. ... Tower, Old ... Road

(५) प्राप्त अनुदान, अनुदान वापसी (बचत), बैंक व्याज, टेन्डर, शुल्क प्राप्त और अन्य आयो को आय के स्वरुप में और विभिन्न कार्य में हुई खर्च को यह कार्यक्रम में खर्च (व्यय) के स्वरुप में लिया गया है। यह कार्यक्रम के मुख्य हेतु के किए खर्च की गइ राशि विभिन्न गतिविधियां जैसे निर्माण या अचल संपत्तियो के अधिग्रहल के लिए संवितरल यह सभी खर्च को राज्य व्यय में किया जाता है।

हम रीपोर्ट करते है की :-

(१) हम अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे वो सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।

(२) इस रीपोर्ट के साथ निपटा बेलैंस शीट, आय और व्यय खाते को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बनाए रखा खाते की बुक्स के साथ समझौते में है।

(३) नकद शेष,किसी भी वाउचर लेखा परीक्षा की तारीख पर अधिकारीयो की हिरासत में थे नकद शेष किसी भी ३१ वी मार्च, २०१५ को वर्ष के अंत में भौतिक रुप से हमारे आरा सत्यापित नही किया गया है।

(४) हमारी राय केअनुसार,जरुरी सभी लेखांकन बुक्स पिरयोजना द्वारा बनाए रखा, जो नमूना बांच से प्रकट होता है।

(५) हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमको दिया गया है, यह लेखांकन के उपर लेखांकन विषय की नोंध, यहां तकी की तारीख केखातो पर विषाय नोंट एक सच्चे और निष्पक्ष उच्च लेखांकन सिध्धांतो को राज्य पिरयोजना कार्यालय ने निभाया है :

- बैलेंस शीट, ३१वी मार्च, २०१५ में राज्य पिरयोजना कार्यालय के राज्य मामलें में।
- आय और व्यय खाते में व्यय केसामने आय की अतिरिक्त ३१वी मार्च, २०१५ के वर्ष के अंत में।

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M. No. 014427

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:102511W AHMEDABAD

३१ मार्च, २०१५ पर बैलेंस शीट
स्वच्छ भारत कोष

देनदनिरयों	वर्तमान वर्ष (रु)	पिछली राशि (रु)
पूजी निधी स्वच्छ भारत कोष	4,395,028	
कुल	4,395,028	

संपत्ति	वर्तमान राशि वर्ष (रू)	पिछली राशि (रु)
अेसअेसअे प्राप्त		
अेस.पी.ओ. द्वारा	3,733,134	
जिला द्वारा	661,894	
कुल	4,395,028	

अनुबंध के अनुसार किए गए हिस्से की टीप्पणी इस के साथ संलग्न है।

मि.[illegible].खरचिलया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.अेस.)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार
M.No.014427
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

३१ मार्च, २०१५ तक कीवर्ष अअत का आय औश्र व्यय खाता
स्वच्छ भारत कोष

व्यय	वर्तमान वर्ष की राशि (रु)	पिछली राशि (रु)
स्वच्छ भारत कोष के व्यय	14,504,972	
व्यय के सामने अधिक आय	4,395,028	
कुल	18,900,000	

व्यय	वर्तमान वर्ष की राशि (रु)	पिछली राशि (रु)
भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान	19,800,000	
कम करके परत अनुदान	900,000	
कुल	18,900,000	

अनुबंध के अनुसार किए गए हिस्से की टीप्पणी इस के साथ संलग्न है ।

पि.डी.खरचिलया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.अेस.)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरूभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W
हरीष बी. पटेल
भागीदार
M.No.014427
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं खातों का गठन स्वच्छ भारत कोष कार्यक्रम -गुजरात राज्य

(१) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया

१) लेखांकन का आधार :-

पिरयोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा हिसाब की रोकड रकम के आधार पर तैयार किए जाते है, आय और अनुदानों का हिसाब तभी दिया जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते है और खर्च तभी किए जाते है, जब यह वस्तुत: उसे चुकाया जाता है।

३५ जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को समय किए गए खर्च के तौर पर किया जाता है।

प्राप्त अनुदान, परत अनुदान (बचतें), पिछले वर्ष के अनुदानों की असंवतरित धनराशि, बैंक व्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवत्तियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया, इस में निर्माळ के लिए किया गया भुगतान तथा खथवा अचल संपत्र के अभिग्रहळ को भी समाविष्ट किया गया है।

२) अचल संपत्तियां : राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित निर्मित अचल संपत्ति भुगतान के समय खर्च क. तौर पर लिया जाता है। परियोजना निर्माल कार्य जेसे की शौचालय ब्लोक इत्यादि को आय और व्य के रुप में लिया जाता है।

३) वस्तुसूची :- ३१-०३-२०१५ की स्थिति पर उपभोग्य अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नही किया गया है। वर्ष पर्यंत इन वस्तुओं के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा ईसका हिसाब नकद रकम के रुप में किया गया है।

४) निवेश :- बैंक के बचत खाते में खर्ची रकम के अलावा अन्य कोइ भी निवेश नहीं किया गया है।

५) सरकारी अनुदान : परियोजना के लिए सरकार द्वारा किए जानेवालें अनुदान, प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

६) अनुदान वापसी :- प्रवर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट हेड के अंतर्गत संवितरीत अनुदान की रकम तथा अव्यतित और गैर उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है। और जो अनुदा की रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और ईस वित्तीय वर्ष के दौरान अव्यतित और गैर उपयोगी के रुप में उलट की गइ है , उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

७) सहायता अनुदान के उपयोग :- जिल्ला और उप जिल्ला स्तर पर उपयोग की गइ सहायता अनुदान का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उसको लेखांक में लिया जाता है।

SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

(२) *लेखा टिप्पणियां*

१) स्वच्छ भारत कोष यह भारत सरकार का कार्यक्रम है । सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना कार्यालय के नाम से इस कार्यक्रम के उदेश्यों को अभिमान के रुप में भागु किया गया है।

२) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिलास्तर, उप जिल्ला स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविद हेतुओं के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

३) मोजुद देनदारियों और संपत्तियों में शेष राशि खाता किताब के अनुसार और संबंधित पार्टियों से पुष्टि के आधीन है।

४) जिला और उप जिल्ला, सीर पर शौचालय बनाने के पूंजीगत खर्च को राज्य व्य में लिया जाता है।

५) राज्य परियोजना कार्यालय और जिल्ला और उपजिल्ला स्तर पर विस्तार से हेड के मुताबित लेखांकन नहि किया गया है।

६) न्यायालय में कोइ दावे अपूर्ण नही है, कोइ फरीयाद दाखिल या अपूर्ण नही/ है अथवा कोइ निर्णय अपूर्ण नही है।

७) बैलेंस शीट में कोइ आमस्मिक दायित्व और बैलेंस शीट के बाहर की वस्तु नही है।

८) आंकडो को निकटतम रुपयों में परिवर्तित किया गया है।

मिश्री खरचिलया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.ओस.)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M.No.014427
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१०/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

वित्तिय वर्ष २०१४-१५

उपयोगिता प्रमाणपत्र - स्वच्छ भारत कोष

क्रमांक	स्वीकृति पत्र नंबर और दिनांक	स्वच्छ भारत कोष		
		सहायता अनुदान सामान्य	सहायता अनुदान असल	कुल योग
१	केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत कोष स्वीकृत आदेश (२/२०१५) दिनांक २२.०१.२०१५	-	18,900,000	18,900,000
	उप कुल		18,900,000	18,900,000
२	पिछली वर्ष के खर्च नही की गइ राशी	-	-	-
३	बैंक व्याज	-	-	-
४	अन्य प्राप्ति	-	-	-
	उप कुल		18,900,000	18,900,000
५	वर्ष दौरान उपयोगी अनुदान	-	14,504,972	14,504,972
६	बाकी जमा	-	-	-
७	वर्ष के अंत में खर्च नही की गई राशि	-	-	4,395,028

१. यह प्रमाणित किया जाता है की वर्ष २०१४-१५ के दौरान राज्य परियोजना निर्देशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संशाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एव गुजरात राज्य के उपयुक्त पत्र क्रमांको के संदर्भ से प्राप्त अनुदान सहाय धनराशि रू.१,८९,००,०००/- (रुपिया ओक करोड और नवासी लाख) को उसके सामने प्रदर्शित रुपयो से खर्च किया गया और उसमें पिछले साल की अव्वतित राशि जो कि रु शून्य हे, बेंक से प्राप्त व्याज की राशि जो कि शून्य हे और अन्य प्राप्तियां रु. शून्य है, कुल मिलाकर रू.१,८९,००,०००/- (रुपिया ओक करोड और नवासी लाख) हे। कुल रू. १,४५,०४,९७२/- (ओक करोड पैतालीस लाख चार हजार नौसो बहतर) बिन उद्देश्यसे प्राप्त की गई थी उन्हे २०१४-१५ के दौरान उसी काम में उपयोग में ले लिया गया है और वर्ष के अंत में रू. ४३,९५,०२८/- (तेतालीस लाख पचानवे हजार अठ्ठइस) धनराशि अव्यतित शेष रह पाइ है जो की अगले वर्ष २०१५-१६ में प्राप्ति योग्य अनुदान सहाय के सामने समयोजित की जाएगी।

२. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को बिन शर्तो पर मंजुर किया गया है, वे सारी शर्तो का अनुपालन किया गया हे तथा यह धनराशि बिन उद्देशयों की अपूर्ति के लिए मंजुर की गई थी, उसमें उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैने नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम की है और में उससे संतुष्ट है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI FRN:102511W AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

लेखा परीत्रका प्रमाणपत्र

(१) लेखा परियोजना निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न हे)

(२) उपयोग प्रमाणपत्र

(३) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न हे)

पि.बी. खरचिलया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.अेस.)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए अभिलेख एवं किताबो के आधार पर हमन उपयुक्त विवरणों की जांच कर भी है और पाया है की ये इसे वर्षांत ३१-०३-२०१५ के हमारे लेखा परिक्षण रीपोर्ट के साथ पढे ।

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M.No.014427
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN: 102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

वित्तिय वर्ष २०१४-१५

उपयोगिता प्रमाणपत्र - स्वच्छ विद्यालय

क्रमांक	स्वीकृति पत्र नंबर और दिनांक	स्वच्छ विद्यालय		
		सहायता अनुदान सामान्य	सहायता अनुदान असल	कुल योग
१	केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय F.9-4/2014/EE-17	-	3,92,26,500	3,92,26,500
	उप कुल		3,92,26,500	3,92,26,500
२	पिछले वर्ष के खर्च नही की गइ राशी	-	-	-
३	बेंक व्याज	-	-	-
४	अन्य प्राप्ति	-	-	-
	उप कुल		3,92,26,500	3,92,26,500
५	वर्ष दौरान उपयोगी अनुदान	-	-	-
६	बाकी जमा	-	-	-
७	वर्ष के अंत में खर्च नही की गई राशि	-	-	3,92,26,500

१. यह प्रमाणित किया जाता है की वर्ष २०१४-१५ के दौरान राज्य परियोजना निर्देशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संशाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एव गुजरात राज्य के उपयुक्त पत्र क्रमांको के संदर्भ से स्वीकृत / प्राप्त अनुदान सहाय धनराशि रू.३,५२,२५,०००/- (रुपिया तिन करोड बहानवे लाख पच्चिस हजार) है और पिछले वर्ष की धनशाशि जो कि रु शून्य हे और अन्य प्राप्तियां रु शून्य है कुल धनराशि रू.३,९२,२५,०००/- (रु तिन करोड बहानवे लाख पच्चीस हजार) हे इसमें से कुल शून्य धनराशि का उपयोग, जिस हेतु से उसे स्वीकृत किया गया था वह रु शून्य उपयोग हुआ हे यानी की वर्ष २०१४-१५ दौरान अंत तक रू. ३,९२,२५,०००/- (तिन करोड बहानवे लाख पच्चिस हजार) की धनराशि अव्यतित शेष रह पाइ है जो की अगले वर्ष २०१४-१५ में प्राप्ति योग्य अनुदान सहाय के स्वरने समायोजीत की जाएगी।

२. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को बिन शर्तों पर मंजुर किया गया है, वे सारी शर्तो का अनुपालन किया गया हे तथा यह धनराशि बिन उद्देशयों की अपूर्ति के लिए मंजुर की गई थी, उसमें उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैंने नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम की है और में उससे संतुष्ट है।

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

(४) लेखा परियोजना निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)

(५) उपयोग प्रमाणपत्र

(६) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

मि.बी.खरचिलया
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

मुकेश कुमार (आई.ए.अेस.)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए अभिलेख एवं किताबो के आधार पर हमन उपयुक्त विवरणों की जांच कर भी है और पाया है की ये इसे वर्षांत ३१-०३-२०१५ के हमारे लेखा परिक्षण रीपोर्ट के साथ पढे ।

धीरुभाई शाह एन्ड दोषी
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN102511W

हरीष बी. पटेल
भागीदार
M.No.014427
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : १६/१२/२०१५

DHIRUBHAI SHAH & DOSHI
FRN:102511W
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

वार्षिक अहेवाल 2012-13 आरटीई - एसएसए : एनपीईजीईएल : केजीबीवी, गुजरात राज्य

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
सर्व शिक्षा अभियान
सेक्टर-17, गांधीनगर, गुजरात
टोल फ्री नंबर - 1800-233-7965 | www.ssagujarat.org